मेक इन इंडिया

स्वच्छ भारत
एक कदम स्वच्छता की ओर

63 वाँ
वार्षिक प्रतिवेदन
2016-17

समृद्धि हेतु सुरक्षा

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट निष्पादन के लिए पुरस्कार

माननीय रसायन एवं उर्वरक तथा संसदीय कार्य मंत्री श्री अनन्त कुमार जी हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड को राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट कार्यान्वयन के लिए पुरस्कार प्रदान करते हुए, जिसे कंपनी की ओर से श्री एस. पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, श्री अजंन बनर्जी, निदेशक (वित्त) तथा श्रीमती शान्ति ध्रुव प्रमुख हिन्दी विभाग ने 1 जुलाई, 2017 को बैंगलूर में हुई बैठक में प्राप्त किया।

उद्योगमण्डल यूनिट में राज्य मंत्री का दौरा

श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक कंपनी के उद्योगमण्डल, केरल यूनिट में श्री मन्सुख एल. मांडविया, सड़क, परिवहन और राजमार्ग, शिपिंग और रसायन और उर्वरक राज्य मंत्री का स्वागत करते हुए।

इंडिया कैम 2017 में एच.आई.एल.

श्री राजीव कपूर, आई.ए.एस, सचिव, रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग, भारत सरकार गांधीनगर, गुजरात में आयोजित इंडिया कैम 2017 में एच.आई. एल. स्टॉल का उद्घाटन करते हुए साथ में श्री एस. पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, श्री समीर कुमार बिश्वास, आई.ए.एस., संयुक्त सचिव, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, श्री भरत वी. भगत, निदेशक, एच.आई.एल.।

एच.आई.एल का निदेशक मंडल

श्री एस.पी. मोहन्ती
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
तथा निदेशक (विपणन)

श्री समीर कुमार बिश्वास, भा.प्र.से
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री अंजन बनर्जी
निदेशक (वित्त)

श्री डी.के. मदान
सरकार द्वारा नामित निदेशक

श्री भरत विदुरभाई भगत
स्वतंत्र निदेशक

डॉ0 सी.वी. जयामनी
स्वतंत्र निदेशक

श्री ओमप्रकाश मित्तल
स्वतंत्र निदेशक

समृद्धि हेतु सुरक्षा

वरिष्ठ प्रबंधन

मुख्य सतर्कता अधिकारी

श्री डी. प्रवीन

निगमित कार्यपालक

श्री पी.सी. सिंह, महा प्रबन्धक (मानव संसाधन एवं प्रशासन)
श्री अनिल यादव, उप महाप्रबन्धक (विपणन–बीज एवं संबद्ध उत्पाद)
श्री राजेश दास, उप महाप्रबन्धक (वित्त एवं लेखा)
श्री पी. कुंडू, उप महाप्रबन्धक (विपणन–कृषि रसायन, उर्वरक एवं जन–स्वास्थ्य)

यूनिट प्रमुख

श्री डी.वी. गोधने, यूनिट प्रमुख, रसायनी यूनिट
श्री एम.एस अनिल, यूनिट प्रमुख, उद्योगमण्डल यूनिट
श्री पी.डी. संकपाल, यूनिट प्रमुख, बठिंडा यूनिट

कम्पनी सचिव

श्री रूपेन्द्र धीमान

लेखा परीक्षक

मैसर्ज ए.के. बत्रा एण्ड एसोसिएट्स, सनदी लेखापाल, नई दिल्ली
मैसर्ज ए.पी. राजगोपालन एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल मुम्बई
मैसर्ज अब्राहम थॉमस एण्ड कम्पनी, सनदी लेखापाल, कोच्चि
मैसर्ज बंधोपाध्याय एण्ड दत्त, सनदी लेखापाल, कोलकाता

बैंकर

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया

पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय मंजिल, कोर–6, स्कोप कॉम्पलैक्स,
7, लोदी रोड़, नई दिल्ली–110003

अध्यक्षीय भाषण

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय मित्रों,

निदेशक मंडल और एच.आई.एल के कर्मचारियों की ओर से, आपकी कंपनी की 63 वीं वार्षिक आम बैठक में आप सभी का स्वागत करते हुए मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए आप सभी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष की निदेशक रिपोर्ट और वित्तीय विवरण, सांविधिक लेखा–परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां आपको पहले ही परिचालित की जा चुकी हैं और आपकी अनुमति से मैं उन्हें पढ़ा हुआ मानता हूं।

इस अवसर पर, मुझे यह सूचित करने में प्रसन्नता हो रही है कि दो नए निदेशक कंपनी बोर्ड में शामिल हुए। श्री अंजन बनर्जी 15 फरवरी, 2017 को निदेशक (वित्त) के रूप में शामिल हुए और श्री डी.के. मदान, रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग 09.08.2017 को सरकारी निदेशक के रूप में शामिल हुए और कंपनी इनके ज्ञान और बहुमुखी अनुभवों से बहुत कुछ हासिल करने के लिए अग्रसर है।

कंपनी ने पिछले वित्तीय वर्ष की 334.75 करोड़ रुपए के मुकाबले 10.38% की वृद्धि दर्ज करके वित्तीय वर्ष 2016–17 में 369.51 करोड़ रुपए का कारोबार हासिल किया, आपकी कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2016–17 में मूल्यह्रास और ब्याज़ के प्रावधान से पूर्व 23.55 रु0 का सकल लाभ दर्ज किया है, जबकि गत वर्ष यह लाभ 19.91 करोड़ रु0 था। गत वर्ष के दौरान 93.55 करोड़ रु0 के निवल मूल्य के मुकाबले में इस वर्ष कंपनी का निवल मूल्य बढ़कर 96.81 करोड़ रु0 हो गया है।

जैसा कि मैंने अपने पिछले वर्ष के संबोधन में सूचित किया था कि किसानों के लिए उनकी कृषि आदानों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए एक स्टॉप शॉप बनने के लिए आपकी कंपनी ने उर्वरक व्यापार में विविधिकरण किया है। मुझे इस बात को लेकर खुशी हो रही है कि आपकी कंपनी के उर्वरक कारोबार ने इस वर्ष गति को बढ़ाया और हम अपने समग्र कारोबार को न केवल जारी रखने बल्कि इसमें वृद्धि करने में सक्षम हुए। वर्ष के दौरान, हमने उर्वरक व्यवसाय से 82 करोड़ रु0 टर्नऑवर प्राप्त किया और कंपनी ने बठिंडा यूनिट में ''हिलगोल्ड'' ब्रांड नाम के तहत पानी में घुलनशील उर्वरक एन.पी.के 19:19:19 के निर्माण के लिए एक संयंत्र भी लगाया है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने उद्योगमंडल संयंत्र और रसायनी संयंत्र में भी इसी तरह की विनिर्माण सुविधा शुरू कर दी है। कंपनी ने एच.आई.एल नेटवर्क को देश भर में व्यापार के लिए नीम लेपित यूरिया, डी.ए.पी और एन.पी.के की आपूर्ति करने हेतु अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के निर्माताओं अर्थात् नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (एन.एफ.एल), राष्ट्रीय केमिकल और फर्टिलाइजर्स (आर. सी.एफ) और इफको के साथ एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं। कंपनी ने जैव–कीटनाशकों और जैव–उर्वरक व्यवसाय के क्षेत्र में भी अपनी उपस्थिति स्थापित करने का साहसिक कदम रखा है। कंपनी ने अपने व्यापारिक नेटवर्क में एस.एस.पी की आपूर्ति के लिए देश में अच्छी गुणवत्ता के सिंगल सुपर फॉस्फेट (एसएसपी) के सात निर्माताओं के साथ विपणन टाई–अप किए हैं।

श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक पानी में घुलनशील उर्वरक हिलगोल्ड (19:19:19) संयंत्र और सस्पेन्सिबल कन्सन्ट्रेट संयंत्र का उद्घाटन करते हुए।

आपकी कंपनी ने वर्ष 2012–13 में बीज के उत्पादन और मार्केटिंग का कार्य आरम्भ किया और तब से कंपनी के बीज कारोबार में कई गुना वृद्धि हुई है और गत वर्ष के 42 करोड़ रु0 के बीज कारोबार की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 24% वृद्धि के साथ बीज कारोबार में 52 करोड़ रु0 टर्नऑवर प्राप्त किया। इसके अतिरिक्त कंपनी बीज उत्पादन और खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम) और तिलहन एवं ऑयल पाम पर राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ओ.ओ.पी) और बागवानी एकीकृत विकास मिशन (एम.आई.डी.एच) के तहत नई उच्च पैदावार वाली किस्मों के बीज मिनीकिट की आपूर्ति में एक राष्ट्रीय स्तर की बीज एजेंसी के रूप में सक्रिय रूप से भाग ले रही है। वित्तीय वर्ष 2016–17 में एच.आई.एल द्वारा 1,64,000 बीज मिनीकिट की आपूर्ति की गई जबकि गत वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान 55,763 बीज मिनीकिट की आपूर्ति दर्ज की गई थी। यह करीब 200% है। एच.आई.एल ने प्रधान मंत्री कौशल विकास कार्यक्रम में काफी योगदान दिया है और ''अनाज, फलों और सब्जियों पर कीटनाशकों के उपयोग को तर्कसंगत बनाने के लिए''

माननीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री राधा मोहन सिंह मोतीहारी, बिहार में एच.आई.एल द्वारा कीटनाशकों के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग पर किसानों के लिए आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति।

कीटनाशकों के सुरक्षित और न्यायपूर्ण उपयोग और ''एकीकृत कीट प्रबंधन (आईपीएम)'' को अपनाने पर प्रशिक्षण प्रदान किया है। इस संबंध में एच.आई.एल के प्रयासों की कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय तथा रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के साथ पूरे देश भर में सराहना की गई है।

जन स्वास्थ्य क्षेत्र में, एच.आई.एल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, सरकार भारत के तहत राष्ट्रीय वेक्टर बोर्न रोग नियंत्रण कार्यक्रम में डी.डी.टी का निर्माण और आपूर्ति कर रहा है। कंपनी वेक्टर जनित रोगों के नियंत्रण विशेषतः मलेरिया और काला–जार के नियंत्रण के लिए एक मुख्य प्लेयर है और मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में डी.डी.टी एक महत्वपूर्ण वेक्टर नियंत्रण उपकरण है। वर्ष 2016–17 के दौरान, देश में 18 मलेरिया स्थानिक (विशेषक्षेत्री) राज्यों में डी.डी.टी को आई.आर.एस उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया था। उत्पाद की लंबी प्रभावकारिता और निरंतर महामारी प्रभाव ने देश के विभिन्न हिस्सों में रोग को नियंत्रित और समाप्त करने के लिए राष्ट्रीय वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम के प्रयास में सहायता की है। विश्व में मलेरिया से लड़ने के लिए एक मुख्य प्रभावी हथियार के रूप में डी.डी.टी पर नए सिरे से ध्यान देकर एच.आई.एल वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में अपने आपको पाता है और कई दक्षिण अफ्रिकी देशों को डी.डी.टी का निर्यात कर रहा है।

यह साझा करना महत्वपूर्ण है कि डी.डी.टी अनवरत जैविक प्रदूषक है और स्टॉकहोम कन्वेंशन में इसकी प्रतिबद्धता के कारण, भारत डी.डी.टी पर निर्भरता कम करने के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, एच.आई.एल डी.डी.टी के विकल्प के विकास की तलाश में है और कंपनी ने डी.डी.टी के लिए जैव–अवक्रमण विकल्प विकसित करने के लिए रसायन प्रौद्योगिकी संस्थान, मुंबई के साथ अनुबंध किया है जिसे आंतरिक अपशिष्ट छिड़कांव के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। एच.आई.एल, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी (सिपैट) की सहायता से, चेन्नई ने लंबे समय तक चलने वाली कीटनाशक मच्छरदानी (एल.एल.आई.एन) के लिए प्रौद्योगिकी विकसित की है और कंपनीयू.एन.आई.डी.ओ की परियोजना ''डी.डी.टी के लिए गैर–पीओपी विकल्प का विकास और संवर्धन'' के तहत प्रतिवर्ष 50 लाख मच्छरदानी की अपनी प्रारंभिक क्षमता के साथ रसायनी यूनिट में एल.एल.आई.एन विनिर्माण सुविधा स्थापित करने जा रही है, जो 2018–19 के दौरान चालू हो जाएगी।

फसल की सुरक्षा के लिए, एच.आई.एल ने किसानों को उचित मूल्य पर गुणवत्ता कीटनाशकों की आपूर्ति करता है। कृषि बाजार जहां बहुराष्ट्रीय, बड़ी भारतीय कंपनियों से लेकर 700 से अधिक नकली उत्पादकों के साथ प्रतिस्पर्धा में है। एच.आई.एल किसानों को अपने अद्वितीय बिक्री प्रस्ताव के साथ बहुत किफायती कीमतों पर अपने गुणवत्तायुक्त उत्पाद पेश करता है।

आपकी कंपनी ने बाजार की मांग को पूरा करने के लिए नए अणुओं के लिए पहले ही नए उत्पादों के लिए विनिर्माण सुविधाओं को लगाने के लिए कार्रवाई शुरू कर दी है। रसायनी यूनिट में बहुउत्पाद संयंत्र में बूप्रोफेज़िन और इसी प्रकार इमिडाक्लोप्रिड और क्लोरपाइरिफॉस संयंत्र तथा उद्योगमंडल यूनिट में ग्लाइफोसेट संयंत्र में व्यावसायिक उत्पादन शुरू कर दिया है। पेन्डिमथेलिन के निर्माण के लिए संयंत्र उद्योगमंडल में चालू होने के अंतिम चरण में है, जिसमें 1000 मीट्रिक टन/वार्षिकी की वार्षिक क्षमता होगी।

कंपनी, ओड़िशा में देश के पूर्वी हिस्से में भारत के राष्ट्र भर में उपस्थिति के आधार (पैन इंडिया बेसिस) पर किसानों की जरूरतों को पूरा करने के लिए एक विश्व स्तरीय विनिर्माण यूनिट पेश करने की योजना बना रही है। इसके लिए ओड़िशा में खाली नमक युक्त भूमि के आवंटन के लिए हमारे प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से डीआईपीपी को एक प्रस्ताव बनाया गया है। कंपनी अपनी बठिंडा में बीज प्रसंस्करण संयंत्र लगाने जा रही है और उसने देश के दूसरे राज्यों में बीज प्रसंस्करण संयंत्र लगाने के लिए जमीन खरीदने की प्रक्रिया शुरू की है।

वर्ष के दौरान औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे। कर्मचारियों का विकास करने के लिए और उनके विचारों को इकट्ठा करने एवं नवपरिवर्तन के लिए इन हाउस बैठक और प्रशिक्षण सत्र व्यवस्थित किए जाते हैं। कंपनी ने कंपनी के मानव संसाधन में सुधार लागू किए हैं जैसे एचआर नीति, पदोन्नति नीति, स्थानांतरण नीति उनमें से कुछ हैं, जो कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

एच.आई.एल ने सफलतापूर्वक सैप ईआरपी लागू किया है और ईआरपी के सभी मॉड्यूल कंपनी के सभी इकाइयों और क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों में सफलतापूर्वक परिचालित हैं। कंपनी ने प्रधान कार्यालय में ई–प्रोक्योरमेंट भी शुरू किया है। फाइल ट्रैकिंग सिस्टम भी शुरू किया गया है, जो फाइलों के संचलन (मूवमेंट) की निगरानी में सहायक है। कंपनी के सभी विनिर्माण इकाइयों/क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय में सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। भर्ती/चयन, निविदा और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं से संबंधित सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं कंपनी की वेबसाइट पर तुरंत डाले जाते हैं। नक़द रहित (कैशलैस) लेन–देन को बढ़ावा दिया गया है और प्रभावी संचार शुरू किया गया है और कंपनी के सभी आईटी पहलों का उद्देश्य पारदर्शिता, उत्तरदायित्व लाने और भारत सरकार के डिजिटल भारत के लिए अपनी प्रतिबद्धता को पूरा करना है।

वर्ष 2016–17 के दौरान सीएसआर की पहल के तहत, कंपनी

ने स्कूल के बच्चों की शिक्षा में सहायता की और हमारे विनिर्माण इकाइयों के पास स्थित स्थानों पर पेयजल उपलब्ध कराया और विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के फोकस क्षेत्र को समाज के अल्पसुविधाप्राप्त और वंचित वर्गों को इससे लाभ हुआ। कंपनी ने नौकरी प्रशिक्षण (अर्थात् व्यावसायिक प्रशिक्षण) और वृत्तिका प्रदान किया है। कंपनी ने भारत सरकार द्वारा शुरू की गई ''स्वच्छ भारत पहलों'' में अपनी उपस्थिति को भी चिह्नित किया। कंपनी ने एक प्रतिबद्ध सामाजिक जिम्मेदार संगठन के रूप में, पर्यावरण प्रबंधन, ऊर्जा संरक्षण और सामाजिक उत्थान, जो सतत विकास के लिए अग्रणी है के लिए उत्तम कार्य अपनाया है। ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करने की प्रतिबद्धता के रूप में, कंपनी ने अक्षय ऊर्जा पर निर्भरता द्वारा जीवाश्म ईंधन से प्राप्त ऊर्जा को कम करने के लिए कार्य शुरू किया है और उसके लिए छत के ऊपर सौर ऊर्जा पैनल स्थापित किए जा रहे हैं।

आपकी कंपनी सही पत्र और भावना में सर्वश्रेष्ठ कॉर्पोरेट संचालन प्रणालीं का अनुपालन करती है। कॉर्पोरेट संचालन रिपोर्ट और साथ ही प्रबंधन की चर्चा और विश्लेषण अलग से संलग्न है। यह उल्लेखनीय है कि कंपनी को सरकारी उद्यम विभाग (डी.पी.ई) द्वारा कॉरपोरेट संचालन पर डी.पी.ई दिशानिर्देशों के अनुपालन में ''उत्कृष्ट'' रेटिंग के साथ सम्मानित किया गया है।

एच.आई.एल भारत सरकार की राजभाषा नीति के उचित कार्यान्वयन को सुनिश्चित करता है। कंपनी की वेबसाइट द्विभाषी है और इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाता है। कंपनी अपनी छमाही हिंदी पत्रिका 'रक्षक' को नियमित रूप से प्रकाशित कर रही है। वर्ष के दौरान, नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), उपक्रम, दिल्ली द्वारा राजभाषा के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राजभाषा शील्ड से सम्मानित किया गया। शील्ड सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, द्वारा प्रदान की गई। कंपनी हिंदी भाषा के प्रयोग को बढ़ावा देती है और जो कर्मचारी राजभाषा हिन्दी में कार्य करते हैं और राजभाषा हिन्दी के विभिन्न कार्यक्रमों/कार्यशालाओं में भाग लेते हैं उनको दी जाने वाली राशि में बढ़ोतरी भी की है।

रसायन एवं पेट्रो रसायन विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत 'क' क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के बीच राजभाषा ''हिंदी'' के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कंपनी को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। यह पुरस्कार 1 जुलाई, 2017 को बैंगलोर में हुई हिंदी सलाहकार समिति की बैठक में माननीय मंत्री श्री अनंत कुमार जी के कर–कमलों से प्राप्त हुआ।

आपके साथ साझा करने के लिए खुशी की बात है कि आपकी कंपनी ने कई अन्य मान्यताएं और पुरस्कार हासिल किए हैं। कृषि विकास श्रेणी के लिए कंपनी को 'स्कोच–बीएसई 2017' ''ऑर्डर ऑफ मेरिट'' पुरस्कार मिला है। कंपनी को ''कृषि विकास'' पर उत्कृष्ट परियोजना के लिए गोल्ड श्रेणी में फेम 'राष्ट्रविभूषण पुरस्कार 2017' से सम्मानित किया गया है।

एच.आई.एल के इतिहास में पहली बार, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, अफगानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य के 22 अधिकारियों के एक अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण/अध्ययन दौरा 01.03.2017 से 14.03.2017 तक सफलतापूर्वक आयोजित किया गया था। यह प्रशिक्षण विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किया गया था। प्रतिनिधियों को विभिन्न कृषि अनुसंधान संस्थानों जैसे आईसीएआर और अन्य विश्वविद्यालयों में ले जाया गया ताकि उन्हें भारत में कृषि विकास से परिचित किया जा सके, जिससे अफगानिस्तान में इसे दोहराया जा सके। इस प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक संचालित करने के बाद, कंपनी को एक और प्रशिक्षण कार्यक्रम मिला है जो प्रक्रिया में है।

समाप्त करने से पूर्व, मैं आपको और प्रशासनिक मंत्रालय अर्थात रसायन और पेट्रो–रसायन विभाग जिन्होंने पूर्ण हृदय से और सतत समर्थन दिया है के लिए अपने हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं। मैं स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, कंपनी के बैंकरों, सांविधिक लेखा परीक्षकों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के कार्यालय का भी आभारी हूं और कंपनी के सुचारू और सफल संचालन सुनिश्चित करने के लिए उनके निरंतर समर्थन की आशा करता हूं।

अफ़ग़ानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य के अधिकारियों के साथ ग्रुप फोटो, जिन्होंने एच.आई.एल द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रशिक्षण प्राप्त किया। एच.आई.एल द्वारा आयोजित यह दूसरा अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम है, जिसमें कृषि सिंचाई और पशुधन (मेल) मंत्रालय, अफ़ग़ानिस्तान के इस्लामिक गणराज्य सरकार के 15 वरिष्ठ अधिकारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

मैं बोर्ड पर अपने माननीय सहयोगियों और एच.आई.एल के सभी कर्मचारियों, ट्रेड यूनियन को उनकी प्रतिबद्धता और समर्पण के लिए धन्यवाद और प्रशंसा व्यक्त करना चाहूंगा। मैं सभी ग्राहकों, आपूर्तिकर्ताओं के लिए उनके सतत समर्थन के लिए भी आभारी हूं। मुझे विश्वास है कि प्रतिबद्ध प्रयासों के साथ, आपकी कंपनी आने वाले वर्षों में अपने प्रदर्शन को और सुधारेगी।

धन्यवाद,

सादर,

हस्ता./–
एस.पी. मोहन्ती
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांकः– 28.09.2017
स्थानः नई दिल्ली

कार्यक्रम एवं पुरस्कार

रसायनी यूनिट में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण करते हुए श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

डा0 सुरेन्द्रनाथ पशुपालक, माननीय कुलपति, ओड़िशा कृषि विश्वविद्यालय श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एच.आई.एल तथा एच.आई.एल और औड़िशा कृषि विभाग के अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में भुवनेश्वर में घुलनशील उर्वरक 'हिलगोल्ड' को लान्च करते हुए।

एच.आई.एल, उद्योगमण्डल यूनिट को टॉलिक (पीएसयू), कोच्चि से राजभाषा हिन्दी के कार्यान्वयन के लिए द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

निदेशकों की रिपोर्ट

सेवा में,

सदस्य गण,

आपके निदेशक 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के लेखा परीक्षित लेखों सहित कंपनी के व्यवसाय एवं प्रचालनों पर 63वीं वार्षिक रिपोर्ट सहर्ष प्रस्तुत करते हैं।

1. वित्तीय निष्पादनः

कंपनी ने 369.51 करोड़ रूपये (गत वर्ष 334.75 करोड़ रूपये) की कुल बिक्री दर्ज की है तथा मूल्यह्रास तथा ब्याज के प्रावधान से पूर्व 23.55 करोड़ रु0 सकल लाभ (गत वर्ष 19.91 करोड़ रु0 सकल लाभ) दर्ज किया है। मूल्यह्रास, ब्याज तथा करों के प्रावधान के पश्चात वर्ष के लिए निवल लाभ 3.30 करोड़ रु0 है (गत वर्ष निवल लाभ 1.83 करोड़ रु0)। वर्ष के दौरान कंपनी को डी.डी.टी. के ऑर्डर, जो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से प्राप्त होते हैं, में कमी आने के बावजूद भी कंपनी ने अपना उच्चतम टर्न ऑवर प्राप्त किया तथा साथ ही साथ लाभ में भी महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2016–17 और 2015–16 के लिए वित्तीय निष्पादनों का संक्षिप्त ब्यौरा निम्नानुसार हैः–

(रूपए करोड़ में)

विवरण	2016-17	2015-16
बिक्री	369.51	334.75
घटाइएः उत्पाद शुल्क	11.60	14.44
निवल बिक्री	357.91	320.31
सकल लाभ(पीबीडीआईटी)	23.55	19.91
घटाइएः मूल्यह्रास	5.53	4.96
ब्याज़	13.88	12.64
कर से पहले लाभ	4.14	2.31
आयकर	0.88	0.48
वर्ष के लिए निवल लाभ	3.26	1.83
जोड़िएः अग्रानित लाभ	2.22	1.23
घटाइएः एम.ए.टी/मूल्यह्रास के लिए समायोजन	0.00	0.84
लाभ अग्रेनित	5.48	2.22

कंपनी का निवल मूल्य 31 मार्च, 2016 को समाप्त हुए गत वर्ष के 93.55 करोड़ रु0 से बढ़कर 31 मार्च, 2017 तक 96.81 करोड़ रु0 हो गया है।

2. उत्पादन निष्पादन

वित्तीय वर्ष 2015–16 के 11322 मी0ट0/कि0ली0 उत्पादन की तुलना में वित्तीय वर्ष 2016–17 में 10315.44 मी.ट/कि.ली. का कुल उत्पादन हुआ।

3. बिक्री निष्पादन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने 369.51 करोड़ रु0 का अधिकतम टर्नऑवर प्राप्त किया। यह गत वर्ष के मुकाबले 11% की वृद्धि है।

4. लाभांश :

आपके निदेशकों ने भारी उद्योग एवं लोक उद्यम मंत्रालय द्वारा जारी निदेर्शों के अनुसार 0.99 करोड़ रु0 अर्थात वर्ष 2016–17 में कर के पश्चात् लाभ का 30% लाभांश की संस्तुति की है।

5. बीज प्रभाग

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, बीज गतिविधियों में असाधारण वृद्धि हुई है जिससे बीज व्यापार के टर्नऑवर में गत वर्ष के 42 करोड़ रु0 की तुलना 24% की वृद्धि के साथ में 52 करोड़ रु0 की बढ़ोतरी हुई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन (एन.एफ.एस.एम) तथा तिलहन एवं ऑयल पाम राष्ट्रीय मिशन (एन.एम.ओ.ओ.पी.) के अंतर्गत एक राष्ट्रीय स्तर के बीज अभिकरण के रूप में बीज उत्पादन एवं अधिक उपज देने वाले किस्मों के बीज मिनीकिट की आपूर्ति के लिए सक्रियतापूर्वक भाग ले रही है। वर्ष 2016–17 के दौरान एच.आई.एल द्वारा आपूर्ति किए गए बीज मिनीकिट की संख्या 2015–16 में पंजीकृत 55,763 मिनीकिट के विरूद्ध 1,64,000 है, जो की लगभग 200% वृद्धि है।

उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महामहिम श्री राम नाइक ने बागवानी (एमआईएचएच) के एकीकृत विकास मिशन के तहत कीटनाशकों के सुरक्षित और विवेकपूर्ण उपयोग पर किसान प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्घाटन किया साथ में श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (एच.आई.एल), डॉ0 शैलेंद्र राजन, निदेशक, केंद्रीय उप–उष्णकटिबंधीय फसल संस्थान, उत्तर प्रदेश, रहमानखेड़ा

प्रधानमंत्री कौशल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत, वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान, एच.आई.एल द्वारा खाद्यान्न, फल एवं सब्ज़ियों पर कीटनाशक के प्रयोग को कम करने हेतु 40,000 किसानों को कीटनाशक के सुरक्षित एवं विवेकपूर्ण उपयोग तथा एकीकृत कीट प्रबन्धन (आई.पी.एम) को अपनाने पर प्रशिक्षण दिया गया। उपरोक्त कार्यक्रम कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की वित्तीय सहायता सहित भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद एवं राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के सहयोग से किसान, पौधमाली, बागवान आदि को

एच.आई.एल ने सोनीपत हरियाणा में किसानों के लिए एकीकृत कीट प्रबन्धन प्रयोग पर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। श्री एस.पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, 04 फरवरी, 2017 को किसानों को संबोधित करते हुए। इस अवसर पर डॉ0 के.पी. सिंह, कुलपति, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय, डा0 एस.के. मल्होत्रा, कृषि आयुक्त भी उपस्थित थे।

बड़ी संख्या में सम्मिलित करते हुए 14 राज्यों में आयोजित किए गए। इस संबंध में एच.आई.एल के प्रयासों की देश भर में तथा कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं रसायन उर्वरक मंत्रालय द्वारा पुरज़ोर सराहना की गई।

यह भी प्रसन्नता का विषय है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान एच.आई.एल के इतिहास में पहली बार कृषि, सिंचाई एवं पशुधन मंत्रालय (एम.ए.आई.एल), अफ़ग़ानिस्तान इस्लामिक गणराज्य सरकार के 22 वरिष्ठ अधिकारियों के लिए अफ़ग़ानिस्तान सरकार के माध्यम से विश्व बैंक द्वारा एच.आई.एल को 46.67 लाख रु0 के वित्तपोषण सहित मार्च, 2017 माह में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण/अध्ययन दौरे का सफलतापूर्वक आयोजन किया गया। ऐसे एक सफल प्रशिक्षण ने भविष्य में एम.ए.आई.एल, अफ़ग़ानिस्तान सरकार के कार्मिकों के लिए इस तरह के और अधिक प्रशिक्षण कार्यक्रम का मार्ग प्रशस्त किया है। प्रसंगवश, यह भी सूचित किया गया है कि एच.आई.एल ने प्रस्तावित प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए 50.25 लाख रु0 के वित्तपोषण सहित अफ़ग़ानिस्तान सरकार के 16 कार्मिकों को 30 दिन के प्रशिक्षण का आयोजन करने के लिए अफ़ग़ानिस्तान सरकार के साथ एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

6. उर्वरक प्रभाग

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी ने 400 करोड़ रु0 के टर्नऑवर को प्राप्त करने के लक्ष्य/दृष्टिकोण के साथ उर्वरक व्यापार को बढ़ाने की योजना बनाई है, जोकि भारत में कृषि खंड का एक प्रमुख घटक है। देश के सकल घरेलू उत्पाद में कृषि को उसके सहयोग के लिए 7वें स्थान पर रखा गया है। भारत उर्वरक का विश्व में दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है तथा तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है। उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार ने आर्थिक सहायता प्राप्त पी एण्ड के फर्टिलाइज़र को आयात करने के लिए एच.आई.एल को न्यूट्रियेन्ट बेस्ड सब्सिडी पॉलिसी में मान्य और सम्मिलित किया है। कंपनी ने राजस्थान, म.प्र., बिहार, औड़िशा तथा पश्चिम बंगाल राज्यों में मांग को पूरा करने हेतु पी.एस.एस.पी तथा जी.एस.एस.पी (व्यापार आधारित) की आपूर्ति के लिए स्थानीय एस.एस.पी विनिर्माताओं के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया है। कंपनी ने सार्वजनिक क्षेत्र के विनिर्माताओं, नेशनल फर्टिलाइज़र्स लिमिटेड (एन.एफ.एल) तथा राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइज़र्स (आर.सी.एफ), के साथ भारत विभिन्न भागों में नीम लेपित यूरिया और एन.पी.के की आपूर्ति के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किया है तथा लगभग 83 करोड़ रु0 का व्यापार किया है। अगले वर्ष अर्थात 2017–18 के लिए, हमने भारत के विभिन्न राज्यों में अपने नेटवर्क के माध्यम से 2.0 लाख मी.ट उर्वरक की आपूर्ति करने का लक्ष्य निर्धारित किया है तथा इसके पश्चात् गत वर्षों की तुलना में 100% वृद्धि का लक्ष्य निर्धारित किया है। यहाँ यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि एच.आई.एल एकमात्र ऐसा उपक्रम है जो किसान समुदाय को तीनों खंडो अर्थात कृषि रसायन/बीज और उर्वरक उत्पाद की एक पूरी बास्किट प्रदान करता है।

7. अनुसंधान एवं विकास

कंपनी ने कीटनाशकों के विश्लेषण जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अनुसंधान एवं विकास कार्यों को बढ़ाया है तथा उत्पादन की लागत को कम करने और उत्पाद की गुणवत्ता में सुधार के लिए नियमित रूप से इन–हाउस अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को कार्यान्वित किया। नियमित अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों के फलस्वरूप, कंपनी यूनिट से संबंधित समस्याओं से निपटने की प्रक्रिया में तथा उच्च लागत के स्थान पर उचित कम लागत वाले विकल्पों को लाने में समर्थ हुई है।

गुड़गॉव में अनुसंधान एवं विकास केन्द्र तथा यूनिटों ने बूफ्रोफ्रेजिन, इमिडाक्लोप्रिड और ग्लाइफोसेट के निर्माण के लिए प्रयोग की जाने वाली कुशल तकनीक पर लगातार कार्य करती है ताकि संयत्र स्तर पर समस्याओं को कम किया जा सके।

8. एम ओ यू :

सरकारी उद्यम विभाग द्वारा विभिन्न समझौता ज्ञापन (एमओयू) पैरामीटरों के आधार पर वर्ष 2015–2016 के लिए कंपनी प्रदर्शन का मूल्यांकन किया गया तथा कंपनी को "अच्छा" दर्जा प्राप्त हुआ है।

हिन्दूस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड और रसायन और उर्वरक मंत्रालय के बीच 2016–17 का समझौता ज्ञापन पर सितम्बर 2016 में हस्ताक्षर किए गए।

9. पुरस्कार / प्रमाणन

वर्ष के दौरान, कंपनी को राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (नराकास), दिल्ली से राजभाषा शील्ड प्राप्त हुई। राजभाषा शील्ड सचिव, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रदान की गई।

वर्ष के दौरान, कंपनी की उद्योगमण्डल यूनिट को राजभाषा हिन्दी के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए कोच्चि टॉलिक से द्वितीय पुरस्कार प्राप्त हुआ। कोच्चि टॉलिक द्वारा आयोजित टंकण एवं कविता प्रतियोगिता में उद्योगमण्डल यूनिट के दो कार्मिकों को तृतीय पुरस्कार प्राप्त हुआ।

कंपनी को उसके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए एस.के.ओ.सी. एच–बी.एस.ई 2017 ''ऑर्डर ऑफ मेरिट्स'' पुरस्कार प्रदान किया गया तथा यह उत्कृष्टता पुरस्कार 'कृषिय विकास' की श्रेणी में प्रदान किया गया।

10. सूचना प्रौद्योगिकी

कंपनी विभिन्न व्यावसायिक कार्यों में सूचना प्रौद्योगिकी (आई. टी) का प्रयोग कर रही है। कंपनी अपने सभी कार्यात्मक क्षेत्रों को तेज़ी और कुशलता से कार्य करने तथा अपने कारोबार संबंधी कार्यों में अधिक पारदर्शिता लाने के लिए सैप लागू करने की प्रक्रिया में है। इकाइयों और कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए लीज़्ड लाइन / ब्रॉडबैंड के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान की गई है। कंपनी का प्रधान कार्यालय वाइफाई सक्षम है।

11. विकसित नीति और इसकी सामाजिक जिम्मेदारी (सी. एस.आर) पहलों का विवरण :

कंपनी की एक बोर्ड से अनुमोदित सी एस आर नीति है तथा वर्ष 2016–17 के दौरान आपकी कंपनी ने समाज के शोषित वर्ग के उत्थान की दिशा में गतिविधियों का सक्रिय रूप से पालन किया है तथा समाज एवं समुदायों के अधिकांश लोगों के जीवन को छूने वाली मूल स्तर पर समस्याओं एवं स्थानीय समुदायों के लिए विभिन्न क्षेत्रों जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, पानी, सफाई, खेती और व्यावसायिक निपुणता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सर्वांगीण विकास के प्रयास किए हैं। कंपनी द्वारा वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निम्नलिखित व्यवहार्य और धारणीय सी एस आर कार्यकलापों की पहल की गई हैं।

(i) केरल में एलूर ग्राम पंचायत के निवासियों को सुरक्षित पीने का पानी तथा समुदाय स्वास्थ्य बीमा योजना प्रदान करना।

(ii) उद्योगमण्डल, केरल में एलूर गॉव और महाराष्ट्र में रसायनी के नजदीक सावला गॉव में स्कूल के बच्चों को मुफ्त में पाठ्य पुस्तकें वर्दी इत्यादि देकर शिक्षा को बढ़ावा देना।

(iii) कंपनी जॉब ट्रेनिंग प्रदान करती है (अर्थात व्यावसायिक प्रशिक्षण) तथा प्रशिक्षुओं को वजीफे का भुगतान करती है।

(iv) कंपनी ने पर्यावरणीय प्रबन्धन, उर्जा संरक्षण और दीर्घकालिक विकास के लिए सामाजिक उत्थान का नेतृत्व करने में श्रेष्ठ कार्य प्रणाली अपनाई है।

वर्ष 2016–17 के दौरान कंपनी ने सी एस आर पहलों पर 14.76 लाख रु0 खर्च किए हैं।

12. मानव संसाधन विकास

कार्मिक कंपनी के विकास और प्रभावशाली संचालन के संचालक होते हैं। हमें आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है कि कंपनी ने उत्पादन का अधिक लक्ष्य प्राप्त करने एवं रचनात्मक कार्य संस्कृति बनाने और भविष्य की चुनौतियों का मुकाबला करने के लिए कार्मिक शक्ति का सर्वोत्तम प्रयोग करने तथा विकास के प्रतिबल को जारी रखने के सभी प्रयास किए।

कार्मिक शक्ति : दिनांक 31.03.2017 को कुल कार्मिक शक्ति 992 थी, जिसमें 281 कार्यपालक तथा 711 गैर–कार्यपालक थे, जबकि गत वर्ष कार्मिक शक्ति 1115 थी, जिसमें, 296 कार्यपालक तथा 819 गैर–कार्यपालक थे।

औद्योगिक संबंध : रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान कंपनी में औद्योगिक संबंध सौहार्दपूर्ण बने रहे।

अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अन्य पिछड़ा वर्ग: वर्ष के दौरान अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अन्य

स्वच्छ भारत अभियान में हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड की भागीदारी

वार्षिक बिक्री सम्मेलन 2017 का ग्रुप फोटो

पिछड़ा वर्ग के आरक्षण पर राष्ट्रपति जी के निर्देशों के कार्यान्वयन को जारी रखा। 31.03.2017 तक अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग के कुल कार्मिकों के सं0 निम्नानुसार है:–

	सं0
अनुसूचित जाति	152
अनुसूचित जनजाति	61
अन्य पिछड़ा वर्ग	321
कुल	**534**

कंपनी द्वारा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए किए गए कार्य/उठाए गए कदम :–

कंपनी ने अपनी यूनिटों के पड़ोसी क्षेत्रों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदाय के हितों हेतु कल्याण के उपाय करने के लिए प्रतिबद्ध है। स्कूल जाने वाले बच्चों के लिए पाठ्य पुस्तकों का वितरण एवं स्कूल यूनिफार्म का वितरण तथा स्थानीय निकायों की पीने के पानी की आपूर्ति में जब भी आवश्यकता हो प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों इत्यादि की स्थापना करने में सहायता करना।

13. कर्मचारी एवं संबंधित प्रकटीकरण का ब्यौरा

कंपनी का कोई भी कर्मचारी कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) और 5(3) के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के अधीन निर्धारित सीमाओं से अधिक पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करता है।

14. निदेशकों, प्रमुख प्रबन्धकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक से संबंधित प्रकटीकरण एवं कर्मचारियों का विवरण :

कंपनी एक भारत सरकार का उद्यम है तथा निदेशकों के पारिश्रमिक भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, कंपनी अधिनियम के निबन्धन के अनुसार एक पारिश्रमिक समिति का भी गठन किया गया है, जिसका नेतृत्व स्वतन्त्र निदेशक द्वारा किया जाता है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 के अन्तर्गत अपेक्षित सूचना कंपनी के प्रबन्धकीय कार्मिको के संबंध में (प्रबन्धकीय कार्मिक की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम, 2014 के साथ पढ़े जाएं, जो इस रिपोर्ट में परिशिष्ट के रुप में संलग्न हैं।

15. राजभाषा हिन्दी का कार्यान्वयन

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड राजभाषा नियम, 1976 के नियम 10(4) के अन्तर्गत अधिसूचित है। तदनुसार आपकी कंपनी राजभाषा कंपनी राजभाषा विभाग (गृह मंत्रालय) द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और राजभाषा हिन्दी में हुई प्रगति की समीक्षा करने हेतु अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की तिमाही बैठकों का नियमित रूप से आयोजन करती है।

वर्ष के दौरान, राजभाषा अधिनियम 1963 की धारा 3(3) में उल्लिखित सभी संबंधित दस्तावेज़ों को द्विभाषी अर्थात हिन्दी तथा अंग्रेज़ी में जारी किया गया। हिन्दी में प्राप्त पत्रों का उत्तर हिन्दी में दिया गया तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम में निर्धारित लक्ष्यानुसार मूल रूप से हिन्दी पत्राचार तथा टिप्पण करने के लिए सभी स्तरों पर प्रयास किए गए।

कंपनी के वेबसाइट द्विभाषी है कंपनी द्वारा विनिर्मित सभी उत्पादों के लीफलैट तथा लेबल न केवल अंग्रेज़ी और हिन्दी में हैं बल्कि क्षेत्रीय भाषाओं में भी तैयार किए जाते हैं।

कंपनी के प्रधान कार्यालय और इसकी यूनिटों में 20 कार्यशालाएं आयोजित की गईं जिनमें से 4 कार्यशालाओं में कंप्यूटर पर यूनिकोड में हिन्दी में टंकण कार्य करने के लिए तथा 16 कार्यशालाओं में कार्मिकों को हिन्दी में टिप्पण एवं आलेखन करने के लिए प्रशिक्षित किया गया।

हिन्दी कार्यशालाओं के आयोजन के अतिरिक्त, कंपनी के प्रधान कार्यालय और यूनिटों में हिन्दी पखवाड़े का भी आयोजन किया गया। जिसमें विभिन्न हिन्दी की प्रतियोगिताएं, जैसे हिन्दी निबंध, टिप्पण एवं प्रारूप लेखन, वाद–विवाद, हिन्दी श्रुतलेखन, अनुवाद, स्लोगन, कविता लेखन, प्रश्न मंच, हिन्दी टंकण और

एच.आई.एल को राजभाषा हिन्दी में उत्कृष्ट कार्यान्वयन करने पर नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), दिल्ली से पुरस्कार प्राप्त हुआ। श्री एस. पी. मोहन्ती, अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, एच.आई.एल राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव से राजभाषा शील्ड प्राप्त करते हुए।

भाषण प्रतियोगिताओं का अयोजन किया गया है। पखवाड़े में सफलता प्राप्त कार्मिकों को कंपनी में लागू पुरस्कार प्रोत्साहन योजना के अनुसार नकद और वस्तु रूप में पुरस्कार दिए गए। वार्षिक बिक्री बैठक में विपणन विभाग और क्षेत्रीय बिक्री कार्यालयों के वरिष्ठ अधिकारियों को राजभाषा अधिनियम 1963, राजभाषा नियम 1976 और राजभाषा विभाग द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के बारे में जानकारी दी गई।

वर्ष के दौरान, कार्मिकों की हिन्दी लेखन प्रतिभा में वृद्धि करने हेतु और कार्यालय में राजभाषा हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग के लिए

छःमाही आधार पर एक गृह पत्रिका रक्षक का प्रकाशन आरम्भ किया गया। पत्रिका का विमोचन माननीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री (भारत सरकार) श्री अनन्त कुमार जी के कर–कमलो से कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक श्री एस.पी. मोहन्ती एवं अन्य अधिकारियों की उपस्थिति में किया गया।

वर्ष के दौरान प्रधान कार्यालय के निरीक्षण दल द्वारा रसायनी यूनिट का राजभाषा हिन्दी की प्रगति संबंधी निरीक्षण किया गया। कार्मिकों के राजभाषा हिन्दी के ज्ञान को बढ़ाने के लिए निगमित कार्यालय के मुख्य द्वार पर प्रतिदिन अंग्रेज़ी शब्दों का हिन्दी अर्थ लिखा जाता है।

16. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005:

प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए आर.टी.आई एक अनिवार्य उपकरण है। आपकी कंपनी में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 (आर.टी.आई) के प्रभावी कार्यान्वयन की दिशा में लगातार काम कर रही है और कंपनी में इसकी यूनिटों सहित सफलतापूर्वक इस अधिनियम को लागू किया गया है। कंपनी आर. टी.आई आवेदनों/अपीलों के रखरखाव के अतिरिक्त समय–समय पर तिमाही रिपोर्टिंग करती है। आर.टी.आई अधिनियम की पारदर्शिता और सार्वजनिक प्राधिकरण की विश्वसनीयता को बढ़ावा देने के उद्देश्य के लिए कंपनी आवेदकों को सटीक और समय पर सूचना का प्रसार करती है।

17. उर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेश तथा विदेशी मुद्रा से आय तथा व्यय पर रिपोर्ट:

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3)(एम) से संबंधित विवरण क) उर्जा संरक्षण ख) प्रौद्योगिकी समावेश ग) विदेशी मुद्रा से आय और व्यय के ब्यौरे इस रिपोर्ट के साथ संलग्न है।

18. जोखिम प्रबन्धन नीति का कार्यान्वयन :

कंपनी ने स्थान में एक विस्तृत प्रबन्धन ढांचे को अपनाया है। रिस्क मैनेजमेंट कमेटी (आर.एम.सी) कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में गठित की गई है। आर.एम.सी जोखिमों की पहचान और समीक्षा करने तथा अल्पावधि और दीर्घावाधि दोनों ही आधार पर जोखिमों को कम करने के लिए कार्रवाई करने तथा रणनीति बनाने के लिए जिम्मेदार है।

19. जिम्मेदारी स्वरूप वक्तव्य :

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3)(ग) के अनुसरण में लेखों पर महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ नोट 29 से 43 तक वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण लेखांकन नीति के साथ पढ़े जाएं, आपके निदेशक पुष्टि करते हैं कि:–

(i) वार्षिक लेखा तैयार करते समय प्रयोज्य लेखांकन मानकों का अनुसरण किया गया है तथा कंपनी द्वारा उनमें से कोई सामग्री बाहर नहीं भेजी गई।

(ii) निदेशकों ने ऐसी लेखांकन नीतियों का चयन किया है और उनका समनुरूप प्रयोग किया है और जो उचित है उनके बारे में निर्णय एवं आकंलन किया है ताकि वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी की कार्य स्थिति तथा उस अवधि के लिए कंपनी की लाभ एवं हानि के बारे में उचित एवं सही दशा प्रस्तुत कर सके।

(iii) निदेशकों ने कंपनी की परिसम्पत्ति को सुरक्षित रखने हेतु कंपनी अधिनियम 2013 के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखांकन अभिलेख रखने के लिए तथा धोखेबाजी तथा अन्य विनियमितताओं को रोकने और पता लगाने हेतु उचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती हैं।

(iv) निदेशकों ने ''चल प्रतिष्ठान'' पर आधारित वार्षिक लेखे तैयार किए हैं।

(v) कंपनी पर लागू सभी नियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली की स्थापना की गई है।

20. कारपोरेट संचालन का अनुपालन :

सरकारी उद्यम विभाग (डीपीई), भारत सरकार ने कारपोरेट संचालन पर लागू दिशा–निर्देशों अनुपालन के आधार पर केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में उद्यमों को ग्रेडिंग के उद्देश्य से कुछ माप दण्ड निर्धारित किए हैं तथा यह रिपोर्ट सरकार को तिमाही वार्षिक आधार पर प्रस्तुत करने की आवश्यकता होती है। आपकी कंपनी द्वारा डी. पी.ई द्वारा निर्धारित सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए कारपोरेट संचालन पर निर्धारित दिशा–निर्देशों का पालन किया गया तथा सरकार को नियमित रूप में रिपोर्ट प्रस्तुत की जा रही है।

कॉरपोरेट संचालन पर रिपोर्ट परिशिष्ट –1 पर संलग्न है।

21. बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबन्धन के लिए आचार संहिता:

सभी बोर्ड सदस्य और वरिष्ठ प्रबन्धन ने पुष्टि की है कि वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान निदेशकों और वरिष्ठ प्रबन्धन की आचार संहिता के प्रावधानों का पालन किया गया है।

22. बोर्ड के निदेशक

आपकी कंपनी में निदेशक मंडल का वर्तमान संघटन निम्नानुसार है :–

क्र0 सं0	निदेशक का नाम	पदनाम	वर्तमान नियुक्ति की तारीख
1.	श्री एस.पी. मोहन्ती*	निदेशक (विपणन) और अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरक्ति प्रभार)	15.09.2015 निदेशक (विपणन) 04.07.2016 अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)
2.	श्री अंजन बनर्जी@	सरकार द्वारा नामित निदेशक	15.02.2017
3.	श्री समीर कुमार बिश्वास	सरकार द्वारा नामित निदेशक	02.09.2015
4.	श्री दिनेश कुमार $	सरकार द्वारा नामित निदेशक	30.05.2016
5.	डॉ0 सी.वी. जयामनी	अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक	09.08.2017
6.	श्री भरत विदुरभाई भगत	अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक	15.06.2016
7.	श्री ओमप्रकाश मित्तल	अंशकालिक गैर सरकारी (स्वतन्त्र) निदेशक	15.06.2016

* 15.09.2015 को श्री एस.पी. मोहन्ती को निदेशक (विपणन) के रूप में नियुक्त किया गया और श्री मोहन्ती को 04.07.2016 से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया।

@15.02.2017 को श्री अंजन बनर्जी को निदेशक (वित्त) के रूप में नियुक्त किया गया।

$ श्री दिनेश कुमार दिनांक 9.8.2017 से कंपनी के निदेशक नहीं रहे।

23. लेखा परीक्षा समितिः

कंपनी अधिनियम 2013 के अधीन आवश्यकताओं के अनुरूप कंपनी में लेखा परीक्षा समिति का गठन किया गया है। वर्तमान संरचना के अंतर्गत लेखा परीक्षा समिति का गठन निम्नानुसार हैः–

1. श्री ओम प्रकाश मित्तल, अध्यक्ष
2. श्री भरत विदुरभाई भगत, सदस्य
3. डॉ0 सी.वी. जयामनी, सदस्य

24. सांविधिक लेखा परीक्षकः

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वर्ष 2016–17 के लिए यूनिटों एवं कार्यालयों के संबंध में उनके नाम के आगे लिखी गई निम्नलिखित सनदी लेखाकारों की फर्मों को कंपनी के सांविधिक/शाखा लेखा परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया गया है :–

लेखा परीक्षक का नाम	यूनिट/कार्यालय जिसकी लेखा परीक्षा के लिए नियुक्त किए गए
मैसर्ज ए.के. बतरा एण्ड एसोसिएट्स, नई दिल्ली।	प्रधान कार्यालय, बठिंडा यूनिट, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, दिल्ली, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र तथा समेकित लेखे।
मैसर्ज ए.पी. राजागोपालन एण्ड कंपनी, मुम्बई।	रसायनी यूनिट तथा क्षेत्रीय बिकी कार्यालय नागपुर तथा अहमदाबाद।
मैसर्ज अब्राहम थॉमस एण्ड कंपनी, केरल।	अलवई यूनिट तथा क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय–कोयम्बटूर तथा हैदराबाद ।
मैसर्ज बंधोपाध्याय एण्ड दत्त, पश्चिम बंगाल।	क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय कोलकाता।

सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट और उस पर निदेशकों के उत्तरों की टिप्पणियां कथन लेखे के साथ अनबद्ध है।

25. लागत–लेखा–परीक्षाः

कंपनी अधिनियम की धारा 2013 की धारा 148 के अनुसार निम्नलिखित लेखापालों को वर्ष 2016–17 के लिए लागत–लेखा–परीक्षकों के रूप में नियुक्त किया हैः–

1. मैसर्ज राजेन्द्रन मणि एण्ड वॉरियर, कोचीन – उद्योगमण्डल यूनिट
2. मैसर्ज बी. एम., शर्मा एण्ड कंपनी, महाराष्ट्र – रसायनी यूनिट
3. मैसर्ज जुगल के. पुरी एण्ड एसोसिएट्स, गुड़गांव – बठिंडा यूनिट

26. प्रबन्धन परिचर्चा तथा विश्लेषणः

प्रबन्धन परिचर्चा तथा विश्लेषण रिपोर्ट परिशिष्ट–II पर है।

27. सहायक कंपनी (एस पी सी एल)

बी.आई.एफ.आर की सिफारिश और माननीय उच्च न्यायालय आध्र प्रदेश के 02.04.2002 के आदेश से सहायक कंपनी यानी दि सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लिमिटेड के अस्तित्व को समाप्त कर दिया गया था। 31.03.2017 को एस.पी.सी.एल के लिए तैयार किए गए अंतिम खातों को और सहायक कंपनी के खातों को एच.आई.एल की वार्षिक रिपोर्ट के साथ जोड़ा नहीं गया है।

तथापि, फॉर्म ए.ओ.सी –1 विवरण में सहायक कंपनी के वित्तीय विवरणों के विशेष महत्वपूर्ण लेख सहित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 129 की उपधारा (3) के अधीन अपेक्षित, कंपनी के वार्षिक लेखे के साथ संलग्न है।

28. पब्लिक डिपोज़िटः

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान आपकी कंपनी ने कंपनी नियम 2014 (डिपोज़िट की स्वकार्यता) के साथ पठित कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 73 और 74 के आश्य में कोई डिपोजिट स्वीकार नहीं किया है।

29. वार्षिक प्रतिलाभ के उद्धरणः

कंपनी (प्रबन्धन एवं प्रशासन) नियम 2014 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 92 (3) के तहत अपेक्षित वार्षिक प्रतिलाभ के उद्धरण इस रिपोर्ट के साथ परिशिष्ट के रूप में संलग्न है।

30. बोर्ड एवं लेखा समिति की बैठकों की सं0ः

आपकी कंपनी की बोर्ड और लेखा समितियों की सं0 का विवरण कारपोरेट शासन रिपोर्ट, जो इस रिपोर्ट का एक भाग है, में वर्णित है।

31. एक स्वतन्त्र निदेशक द्वारा घोषणाः

श्री ओम प्रकाश मित्तल, श्री भरत वी. भगत और डॉ सी.वी. जयामनी, स्वतन्त्र निदेशकों ने बोर्ड में प्रकटन किए है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 149 के प्रावधान के अधीन एक स्वतन्त्र निदेशक की अपनी नियुक्ति के लिए अर्हता के रूप में सभी आवश्यकताएं पूरी करते हैं। बोर्ड ने पुष्टि की है कि वे कंपनी अधिनियम 2013 के अन्तर्गत स्वतन्त्र निदेशक के लिए निर्धारित मापदण्ड पूरा करते हैं।

32. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के अन्तर्गत ऋण, गारन्टी अथवा निवेश का विवरणः

विवेच्याधीन वर्ष के दौरान, कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 186 के अधीन कंपनी ने कोई ऋण, गारन्टी अथवा निवेश नहीं किया है और तथापि, उपरोक्त प्रावधान लागू नहीं है।

33. संबंधित पार्टियों के साथ संविदाओं और व्यवस्थाओं का विवरणः

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान कंपनी ने कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के अधीन विहित कोई संविदा दर्ज नहीं की है।

34. निदेशकों की नियुक्ति, पारिश्रमिक का भुगतान एवं उनके कर्तव्यों का निर्वहन से संबंधित कंपनी की नीति।

कंपनी भारत सरकार का एक उद्यम है तथा निदेशक सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं और भारत सरकार द्वारा निर्धारित वेतन मान के अनुसार परिश्रमिक दिए जाते हैं। कंपनी ने प्रदर्शन और संबंधित वेतन और अन्य लाभ आदि यदि कंपनी के कार्मिकों को देय हों, का निर्णय लेने के लिए लोक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुसार एक नामांकन और परिश्रमिक समिति का गठन किया है। लोक उद्यम विभाग के दिनांक 26 नवम्बर, 2008 मं का.ज्ञा. सं 2(70)/08– डी ई पी (डब्लयू.सी.) द्वारा बोर्ड स्तर तथा बोर्ड स्तर से नीचे के कार्यपालकों के वेतनमान निर्धारित किए गए हैं।

35. कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (सैक्सूयल ह्रासमन्ट) (निवारण, निषेध और सुधार) अधिनियम, 2013 के अधीन प्रकटीकरण।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 22 के अनुसार कंपनी के कार्यस्थल पर महिलाओं में यौन उत्पीड़न की रोकथाम, निषेध और निवारण के लिए एक नीति है।

वर्ष 2016–17 के दौरान यौन–उत्पीड़न से संबंधित कोई शिकायत नहीं आई है।

36. आभार

आपके निदेशक भारत सरकार के विशेषतः रसायन और उर्वरक मंत्रालय का उनके मूल्यवान मार्ग दर्शन तथा समर्थन के लिए हार्दिक रूप से आभार प्रकट करते हैं। निदेशक स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के लागत लेखा शाखा, राज्य सरकारों तथा कंपनी बैंकरों की उनके निरन्तर सहयोग तथा सहायता के लिए धन्यवाद करते हैं।

निदेशक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, सांविधिक लेखा परीक्षक और आन्तरिक लेखा परीक्षकों का उनके लगातार समर्थन एवं सहयोग के लिए भी आभार प्रकट करते हैं।

निदेशक कंपनी के सभी कार्मिकों द्वारा किए गए वास्तविक प्रयत्न तथा कड़े परिश्रम के लिए हार्दिक सराहना अभिलेखबद्ध करते हैं तथा अगले वर्षों में कंपनी और अधिक ऊँचाईयां छूने के लिए उनकी उत्साह और समर्पण के साथ सेवाओं की कामना करती है।

कृते एवं निदेशक मंडल की ओर से

ह0/–
(एस.पी. मोहन्ती)
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

दिनांकः 30.08.2017
स्थानः नई दिल्ली

कारपोरेट संचालन पर रिपोर्ट

कम्पनी की कारपोरेट संचालन पर दार्शनिकता

कारपोरेट संचालन शेयरधारक मूल्य वैधानिक, नैतिक तौर पर और एक स्थायी आधार पर अधिकतम लाभ कमाना है। एच.आई.एल में कारपोरेट संचालन का लक्ष्य प्रत्येक शेयरधारक अर्थात ग्राहक, आपूर्तिकर्ता, कार्मिक, निवेशक, समुदाय, सरकार के लिए निष्पक्षता सुनिशिचित करना है। हम मानते हैं कि मज़बूत कारपोरेट संचालन प्रत्येक शेयरधारक का विश्वास बढ़ाने में और बनाए रखने में महत्वपूर्ण है। यह हमारी संस्कृति, हमारी नीतियाँ, हमारे ग्राहक के साथ हमारे संबंध और हमारी प्रतिबद्धताओं का प्रतिबिंब है। तद्नुसार, कंपनी हमेशा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि प्रदर्शन सत्यनिष्ठा से प्रेरित हो।

कंपनी इन पहलुओं की बेहतरी और इनको स्थिर बनाए रखने के लिए लगातर प्रयासरत है। इस प्रकार अपने शेयरधारकों, ग्राहकों, कर्मचारियों, अन्य संबंधित व्यक्तियों और पूर्ण समाज के लिए दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य बनाने में स्थिर है।

निदेशक मंडल

निदेशक मंडल की संरंचनाः एच.आई.एल. के निदेशक मंडल में दिनांक 31.03.2017 को सात निदेशक हैं, जिसमें दो कार्यात्मक निदेशक हैं और दो गैरकार्यपालक निदेशक हैं, जो श्री समीर कुमार बिश्वास, संयुक्त सचिव सहित भारत सरकार के प्रशासनिक मंत्रालय द्वारा मनोनीत है तथा तीन गैर–सरकारी स्वतन्त्र निदेशक हैं।

वित्तीय वर्ष 2016–17 के दौरान एच.आई.एल. के निदेशक बोर्ड में निम्नलिखित निदेशक थे :–

कार्यपालक निदेशकः–	
श्री समीर कुमार बिश्वास	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) 05 जनवरी 2016 से 03 जुलाई 2016 तक
श्री एस.पी. मोहन्ती	15.09.2015 से निदेशक (विपणन) तथा 04.07.2016 से अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है।
श्री अंजन बनर्जी	निदेशक (वित्त)15.02.2017 से
गैर–कार्यपालक निदेशकः–	
श्री समीर कुमार बिश्वास	सरकारी निदेशक 02.09.2015 से
श्री दिनेश कुमार	सरकारी निदेशक 30.05.2016 से 09.08.2017 तक
श्री डी.के. मदान	सरकारी निदेशक 09.08.2017 से
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशकः–	
श्री वी. मुराली	स्वतंत्र निदेशक 26.11.2013 से 25.11.2016 तक
श्री ओम प्रकाश मित्तल	स्वतंत्र निदेशक 15.06.2016 से
डॉ0 सी.वी. जयामनी	स्वतंत्र निदेशक 15.06.2016 से
श्री भरत विदुरभाई भगत	स्वतंत्र निदेशक 15.06.2016 से

बोर्ड की बैठकों की संख्या/बोर्ड बैठक में प्रत्येक निदेशक की उपस्थिति तथा वर्ष 2016–17 के दौरान अंतिम वार्षिक आम बैठक।

बैठक की तारीख	बैठक का स्थान	बैठक की तिथि तक निदेशकों की कुल संख्या	निदेशकों की उपस्थिति
04.07.2016	नई दिल्ली	7	7 नं0
29.08.2016	नई दिल्ली	7	7 नं0
22.11.2016	नई दिल्ली	7	6 नं0
13.01.2017	नई दिल्ली	6	6 नं0
08.03.2017	नई दिल्ली	7	7 नं0
28.03.2017	नई दिल्ली	7	7 नं0

क्र0 सं0	निदेशकों के नाम	बोर्ड की बैठकों में भाग लिया	29.09.2016 को हुई गत वाषिक आम बैठक में उपस्थिति	31.03.2017 तक अन्य कम्पनियों में अन्य डायरैक्टरशिप की संख्या
1.	श्री एस.पी. मोहन्ती	6	हाँ	शून्य
2.	श्री समीर कुमार बिश्वास	5	–	1@
3.	श्री दिनेश कुमार	6	–	शून्य
4.	श्री अंजन बनर्जी	2	–	शून्य
5.	श्री ओम प्रकाश मित्तल	6	हाँ	4$
6.	डॉ0 सी.वी. जयामनी	6	–	शून्य
7.	श्री भरत विदुरभाई भगत	6	–	शून्य
8.	श्री वेंकटरमन मुराली	3	–	4*

@ हिन्दुस्तान आर्गेनिक कैमिकल लिमिटेड
$ लघु उद्योग भारती
$ नागौर एग्रोटेक लिमिटेड
$ जयपुर कास्टिंग रिसर्च एण्ड डेवलपमेंट क्लस्टर प्राइवेट लिमिटेड
$ समिट मेनटॉरिंग कंसलटेंसी प्राइवेट लिमिटेड
* श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड
* श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस लिमिटेड
* श्रीराम हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड
* गरूडा वायु शक्ति लिमिटेड
* विटजेनमान (इण्डिया) प्राइवेट लिमिटेड

लेखा परीक्षा समिति

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधान के अनुसार, कंपनी में एक लेखा–परीक्षा समिति है, जिसमें 3 निदेशक हैं– लेखा–परीक्षा समिति के अधिकार, कार्य एवं कर्तव्य कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार हैं । 31.03.2017 को लेखा परीक्षा समिति में निम्नलिखित निदेशक शामिल हैं:

1. श्री ओम प्रकाश मित्तल, अध्यक्ष
2. डॉ. सी.वी. जयामनी, सदस्य
3. श्री भरत विदुरभाई भगत, सदस्य

वर्ष 2016–17 के दौरान लेखा–परीक्षा समिति की पांच बैठकें दिनांक 04.07.2016, 29.08.2016, 22.11.2016, 13.01.2017 तथा 08.03.2017 को हुई।

नाम	वर्ष के दौरान आयोजित की गई बैठकें	बैठकों में उपस्थित हुए
श्री वी. मुराली	5 नं0	3 नं0
श्री ओम प्रकाश मित्तल	5 नं0	2 नं0
डॉ0 सी.वी. जयामनी	5 नं0	5 नं0
श्री भरत विदुरभाई भगत	5 नं0	5 नं0
श्री अंजन बनर्जी	5 नं0	1 नं0

पारिश्रमिक समिति

निदेशकों को देय पारिश्रमिक एवं भत्ते भारत के राष्ट्रपति महोदय द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। सरकारी उद्यम विभाग ने निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक केन्द्रीय सार्वजनिक उद्यम (सीपीएसई) एक अंशकालिक स्वतन्त्र निदेशक की अध्यक्षता में एक पारिश्रमिक समिति का गठन करेगे, जो कार्यपालक संवर्ग के लिए वार्षिक बोनस / परिवर्तनशील वेतन नीति तय करेगी।

तदनुसार, समिति का गठन इस उद्देश्य से किया गया है कि समिति ऐसी नीतियॉं बनाएं, जो कार्मिकों को उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए प्रेरित करें, संगठन में दक्षता तथा पुरस्कार प्राप्त करने की योग्यता बनाए रखें।

पारिश्रमिक समिति की संरचना दिनांक 31.03.2017 को एच.आई.एल में निम्नानुसार है:

1. श्री ओम प्रकाश मित्तल, अध्यक्ष
   (अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक)
2. श्री भरत विदुरभाई भगत
   (अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक)
3. डॉ0 सी.वी. जयामनी
   (अंश कालिक गैर–सरकारी निदेशक)

वर्ष 2016–2017 के दौरान निदेशकों को भुगतान किया गया पारिश्रमिक एवं मीटिंग सत्र शुल्क:

कार्यपालक निदेशक को दिए गए पारिश्रमिक

क्र. सं.	नाम	वेतन एवं भत्ते	सेवांत लाभों के लिए प्रावधान	अन्य लाभ	कुल
1.	श्री एस.पी. मोहन्ती	19,80,871/–	2,92,137/–	32,436/–	23,05,444/–रु0
2.	श्री अंजन बनर्जी	2,78,221/–	शून्य	3,546/–	2,81,767/–रु0

स्वतन्त्र निदेशक को भुगतान किया गया अधिवेशन शुल्क

गैर कार्यपालक निदेशक को प्रत्येक बोर्ड तथा उप–समिति की बैठक के लिए 7,500/–रु0 अधिवेशन शुल्क दिया जाता है।

शेयरधारकों / निवेशकों की शिकायत समिति

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड एक सरकारी कम्पनी है तथा कंपनी में भारत सरकार की शेयरधारिता 100% अर्थात इसकी पूरी शेयर–पूँजी भारत सरकार के राष्ट्रपति महोदय एवं उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के पास होती है। अतः, ऐसी कोई भी समिति का गठन अपेक्षित नहीं है।

वार्षिक आम बैठक

क्र0 सं0	वर्ष	स्थान	दिनांक एवं समय	क्या कोई विशेष संकल्प पारित किया गया
1.	2014–15	नई दिल्ली	29.09.2014 (12.00 बजे दोपहर)	नहीं
2.	2015–16	नई दिल्ली	29.09.2015 (12.00 बजे दोपहर)	हाँ
3.	2016–17	नई दिल्ली	29.09.2016 (12.00 बजे दोपहर)	नहीं

प्रकटीकरण:

निदेशकों का प्रबंधन या उनके रिश्तेदारों के साथ कोई सामग्रीपरक लेन–देन नहीं है, जिससे कम्पनी के हित के साथ भारी मतभेद होने की संभवना हो।

कंपनी द्वारा पूँजी–बाजार से संबंधित किसी मामले के गैर–अनुपालन का कोई मामला सामने नहीं आया है क्योंकि, एच. आई.एल. एक गैर–सूचीबद्ध कंपनी है। गत तीन वर्षों के दौरान सरकार द्वारा जारी निर्देशों का अनुपालन भी कंपनी द्वारा विधिवत् किया गया है।

मुखबिर नीति

कंपनी ने अनैतिक व्यवहार, वास्तविक अथवा संदिग्ध धोखा धड़ी या आचार संहिता या नैतिक नीति के उल्लघंन से संबंधित प्रबन्धन को सूचित करने के लिए कर्मचारियों और निदेशकों के लिए कंपनीज् (बोर्ड की बैठक और इसकी शक्तियां) नियम, 2014 के नियम 7 के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177(9) में अपेक्षित मुखबिर नीति की स्थापना की है। मुखबिरी नीति तंत्र कर्मचारियों के उत्पीड़न के खिलाफ पूर्वोपाय करेगी।

सतर्कता

एच.आई.एल एक सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम होने के नाते कंपनी के अभिलेखे सांविधिक लेखा परीक्षकों के अतिरिक्त भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा परीक्षा तथा सतर्कता द्वारा

निरीक्षण के लिए खुला है। एच.आई.एल का एक सतर्कता विभाग है, जिसका मुख्य सतर्कता अधिकारी द्वारा नेतृत्व किया जाता है। सतर्कता विभाग निरीक्षणों के द्वारा निवारक सतर्कता पहलुओं से दबाव बनाता है तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग द्वारा जारी नवीनतम निर्देशों से संगठन को नियमित रूप से अवगत कराता रहता है।

श्री डी. प्रवीन, मुख्य सतर्कता अधिकारी सतर्कता जागरूकता सप्ताह, 2016 के अवसर पर एच.आई.एल स्टॉफ को संबोधित करते हुए।

सतर्कता जागरूकता सप्ताह दिनांक 31 अक्टूबर, 2016 से 5 नवंबर, 2016 तक मनाया गया। इस अवधि के दौरान कार्यपालक तथा गैर कार्यपालक कार्मिकों के लिए वाद–विवाद तथा ''सत्यनिष्ठा संवर्धन और भ्र टाचार उन्मूलन में जन भागीदारी'' थीम पर कविता और स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया।

संप्रेषण का माध्यमः

कंपनी की वेबसाइट पर वार्षिक वित्तीय निष्पादन का ब्यौरा दिया गया है।

सामान्य शेयर–धारकों के लिए सूचनाः

कंपनी की समपूर्ण प्रदत्त शेयर–पूँजी भारत के राष्ट्रपति महोदय और उनके द्वारा नामित व्यक्तियों के पास है। वार्षिक आम बैठक का ब्यौरा ऊपर दिया गया है। कंपनी के शेयर किसी भी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध नहीं हैं।

कॉर्पोरेट संचालन का प्रमाण – पत्र

सेवा में,
सदस्यगण,
हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड
द्वितीय मंजिल, कोर–6, स्कोप काम्पलैक्स,
7, लोदी रोड, नई दिल्ली – 110003

हमने केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के लिए निगमित शासन पर लोक उद्यम विभाग के दिशा निर्देशों में किए गए उल्लेख के अनुसार 31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के द्वारा निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है।

निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन की जिम्मेदारी प्रबन्धन की होती है। हमारी जांच निगमित शासन की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के द्वारा अंगीकार की गई कार्य प्रणाली और उसके अनुपालन तक सीमित थी। यह न तो कंपनी के वित्तीय विवर्णियों की लेखा परीक्षा है और न ही उन पर विचारों की अभिव्यक्ति है।

हमारे विचार में और हमारी अधिकतम जानकारी और उपलब्ध कराए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, हम यह सत्यापित करते हैं कि लोक उद्यम विभाग के उल्लिखित दिशा निर्देशों में किए उल्लेख के अनुसार, कंपनी ने निगमित शासन की शर्तों का अनुपालन किया है।

हस्ता/–
(देबासीस दीक्षित)
व्यावसायिक कंपनी सचिव
एफसीएस–7218
सीपी नं0 – 7871
दिनांकः 30 अगस्त, 2017

प्रबन्धकीय विचार–विमर्श और विश्लेषण

आपकी कंपनी, जिसकी स्थापना वर्ष 1954 में हुई, लोक स्वास्थ्य, फसल सुरक्षा अनुप्रयोगों के लिए कीटनाशकों का निर्माण करती है और यह गुणवत्तावान बीजों के उत्पादन, बहुलीकरण और व्यापार में लगी हुई है। कंपनी ने गुणवत्तावान पैस्टिसाइड्स और गुणवत्तावान बीजों के उत्पादन और आपूर्ति करके कृषिय उत्पादकता में सुधार के लिए योगदान देकर ग्रामीण स्वास्थ्य में सुधार करके ग्रामीण भारत को समृद्ध करने में मुख्य भूमिका निभाई है।

1. क) लोक स्वास्थ्य के लिए कीटनाशक

देश में रोगाणुवाहक रोग विशेष रूप से मलेरिया और काला जार के नियंत्रण में एच.आई.एल. की मुख्य भूमिका है। देश की आबादी के लगभग 95% लोग मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में रहते हैं और देश में 80% मलेरिया के सूचित आंकड़ों में 20% आदिवासी, पहाड़ी, कठिन और दुगर्म क्षेत्रों में रहने वाले लोग सम्मिलित हैं। उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखण्ड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, आसाम और त्रिपुरा मुख्यतः मलेरिया प्रभावित क्षेत्र हैं। देश में डी.डी.टी का एक मुख्य रोगाणुवाहक नियंत्रण यंत्र के रूप में प्रयोग करके 75 मिलियन से वर्तमान स्तर तक मलेरिया की घटनाओं को कम किया जा सका है। इनडोर अवशिष्ट स्प्रे (आई.आर.एस.) लक्षित (टारगेटिड) जनसंख्या के अनुसार, यदि इसके लिए अन्य उपकरण जैसे मैलाथियॉन और सिन्थेटिक पाइरिथ्रोइड्स का प्रयोग नहीं किया जाता है तो डी. डी.टी 50% की वार्षिक तकनीकी आवश्यकता 12,000 मी.टन है।

डी.डी.टी मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम में एक महत्वपूर्ण सदिश नियंत्रण उपकरण है। वर्ष 2016–17 के दौरान, देश में 18 मलेरिया स्थानिक राज्यों में डी.डी.टी का आई.आर.एस उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया है। उत्पाद की लंबी प्रभावकारिता और निरंतर महामारी प्रभाव ने देश के कुछ हिस्सों में बीमारी को नियंत्रित और खत्म करने के लिए राष्ट्रीय वेक्टर नियंत्रण कार्यक्रम के प्रयास का सहयोग किया है। अन्य हस्तक्षेपों के प्रभावी कार्यान्वयन के अलावा, आईडीएस के माध्यम से आईआरएस के जरिए सालाना दो बार सदिश पैदा होने वाली बीमारी के नियंत्रण में बीमारी की घटनाओं में कमी और देश में मृत्यु में कमी का परिणाम है।

एच.आई.एल डी.डी.टी निर्यात करके अफ्रीका में मलेरिया के नियंत्रण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। डी.डी.टी के साथ आईआरएस का प्रयोग पूरे विश्व में मलेरिया संचरण को नियंत्रित करने में प्रभावी साबित हुआ है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यू.एच. ओ) जैसे अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने ''मलेरिया वेक्टर नियंत्रण में डी.डी. टी का उपयोग'' पर अपनी स्थिति वक्तव्य में कहा है कि ''रोग वेक्टर नियंत्रण के लिए डी.डी.टी की आवश्यकता है और उपयोग किया जाता है क्योंकि केवल समकक्ष और परिचालन व्यवहार्यता दोनों का कोई विकल्प नहीं है, मुख्यतः हाई–ट्रांसमिशन वाले क्षेत्रों के लिए''। विश्वभर में मलेरिया से लड़ने के लिए डी.डी.टी पर एक सबसे प्रभावी उपकरण के रूप में नए सिरे से फोकस के साथ, एच. आई.एल वैश्विक आपूर्तिकर्ता के रूप में एक महान क्षमता पाता है।

एच.आई.एल., हालांकि डी.डी.टी की प्रभावकारिता के बारे में आश्वस्त है, डी.डी.टी के विकल्प के विकास के लिए भी विचार कर रही है। कंपनी ने पहले से ही डी.डी.टी के विकल्प के रूप में एक बॉयो–डिग्रेडेबल विकसित करने के लिए रसायनिक प्रौद्योगिक संस्थान, मुम्बई के साथ करार किया है, जिसे एक इन्डोर अवशिष्ट स्प्रे के रूप में प्रयोग किया जा सकता है। एच.आई.एल. कीटनाशकीय उपचारित जाल के लिए प्रौद्योगिकी के विकास के उन्नत चरण में है, जिसे वर्तमान में रोगवाहक नियंत्रण उपकरण के विकल्प के रूप में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बढ़ावा दिया जा रहा है। लोक स्वास्थ्य पर नए सिरे से ध्यान देने के साथ तथा मलेरिया, लैशमेनिएसिस आदि की घटनाओं को कम करने के लिए कंपनी महसूस करती है कि इन सभी पहलों का लाभ लम्बे समय के बाद प्राप्त होगा तथा एच.आई.एल. वेक्टर नियंत्रण पर मजबूती से ध्यान देने वाली एक कंपनी के रूप में उभरेगा।

ख) फसल संरक्षण के लिए कीटनाशक

कृषि बाजार में बहुराष्ट्रीय, बड़ी भारतीय कंपनियां एवं यहां तक कि जाली निष्पादकों से लेकर 700 से भी अधिक फार्मुलेटरों के साथ कड़ी प्रतिस्पर्धा है। एच.आई.एल. ने किसानों को उचित दामों पर गुणवत्ता उत्पाद प्रदान करके एक भरोसेमन्द आपूर्तिकर्ता के रूप में एक अलग जगह बनाई है।

कंपनी ने फसल सुरक्षा के विभिन्न क्षेत्रों में विकास करने के लिए महत्वाकांक्षी योजना बनाई है तथा क्लोरिपायरीफॉस, इमिडाक्लोप्रिड इत्यादि जैसे उत्पादों का उत्पादन करना शुरू किया है। पेन्डिमैथलिन का निर्माण करने का संयंत्र भी उद्योगमण्डल यूनिट में लगने वाला है। कंपनी ने रसायनी में नए संयंत्र की स्थापना के साथ उद्योगमंडल यूनिट में मैंकोजेब प्लांट की क्षमता 2000 मी.ट तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

2. बीज

विभिन्न राज्यों में विभिन्न फसलों/किस्मों के बीज की भविष्य की मांग के आधार पर, जिसमें राज्य कृषि विभागों, राज्य बीज निगम और बीज के साथ संबंधित राज्य सहकारी समितियों और बीज की उत्पादन/बिक्री से वापसी शामिल है, बीज की गतिविधियों की समय–समय पर एच.आई.एल के प्रबंधन द्वारा समीक्षा की जाती है। राज्य सरकारों के बीज की आवश्यकता को पूरा करने के लिए और साथ ही कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के बीज मिनिकिट कार्यक्रम में मुख्य रूप से दलहन और तिलहन के क्षेत्र में हिस्सेदारी बढ़ाने के लिए, राज्य कृषि विभागों द्वारा आवश्यक नवीनतम उच्च उपज देने वाली किस्मों के बीज उत्पादन, राज्य बीज निगमों और मिनीकिट कार्यक्रम के अन्तर्गत रबी और खरीफ़ बीज उत्पादन कार्यक्रम सम्मिलित है। आंचलिक/राष्ट्रीय बीज समीक्षा बैठक की जानकारी का लाभ फसल/किस्मों के बीज की

मांग का ध्यान रखा गया है, जो अल्प आपूर्ति में है तथा इसे बीज उत्पादन कार्यक्रम में समायोजित किया गया है, ताकि बीज के उत्पादन/प्रापण, जिनकी उच्च मांग है का ध्यान रखा है।

एच.आई.एल के बीज उत्पादन में वृद्धि और राज्य में बीज की बिक्री की क्षमता को बढ़ाने के लिए, गुजरात और छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्यों में बीज उत्पादन भी शुरू किया गया है। राज्य में बीजों की मांग जानने के लिए एच.आई.एल के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा राज्य बीज निगमों के निदेशक कृषि/प्रबंध निदेशक के कार्यालय के बार–बार दौरे भी किए जाते हैं तथा फसलें/किस्में जो मांग में नहीं हैं उन्हें भी प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए आउटसोर्स किया जाता है। बीज उत्पादन/वितरण की विभिन्न योजनाओं के तहत कृषि मंत्रालय द्वारा वित्तीय सहायता का लाभ नियमित रूप से संबंधित खाद्य प्रभाग की वार्षिक क्रिया योजना जैसे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन और तिलहन एवं ऑयल पॉम पर राष्ट्रीय मिशन (एन. एम.ओ.ओ.पी) और बीज प्रभाग एच.आई.एल के खुद के बीज गोदाम के निर्माण और बीज उत्पादन क्षेत्रों में बीज प्रसंस्करण संयंत्रों की स्थापना के लिए। एच.आई.एल ने अपने बीज उत्पादकों को बेहतर उत्पादक तकनीकों और कृषि रसायनों के सुरक्षित और समझदार उपयोग पर प्रशिक्षण देने के लिए एक नियमित सुविधा भी बनाई है ताकि किसानों को उनके वित्तीय सशक्तिकरण के लिए शिक्षित किया जा सके। बीजों के उत्पादन/खरीद के लिए विकेंद्रीकरण, पैकिंग सामग्री और परिवहन की व्यवस्था आदि क्षेत्रीय कार्यालयों में इस बीज की गतिविधियों में उनकी उचित भागीदारी के लिए और जिम्मेदारी निभाई गई है।

3. जोखिम और चिंताएं:–

मानसून पर निर्भरता, सिंचाई सुविधाओं की कमी और देश के बहुत से भागों में सूखे की स्थिति जोखिम के मुख्य कारण हैं। कुछ भागों में बाढ़ की घटनाएं भी चिंता का विषय है।

कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव, मुख्य इनपुट के लिए चीन पर निर्भरता, मुद्रा की कीमतों में उतार–चढ़ाव, पैस्टिसाइड्स के खिलाफ नकारात्मक प्रचार आदि भी चिंता का विषय हैं।

4. आंतरिक नियंत्रण और उसकी पर्याप्तता

कंपनी के पास कार्यों में दक्षता लाने, संसाधनों के इष्टतम उपयोग एवं उसकी प्रभावी निगरानी करने तथा लागू विधियों का अनुपालन सुनिश्चित करने के संबंध में प्रबंधन द्वारा कार्यान्वित आंतरिक नियंत्रणों की एक पर्याप्त प्रणाली है।

कंपनी ने आंतरिक लेखा परीक्षा विभाग को मजबूत करनेके लिए पेशेवरों की भर्ती की है, ताकि आंतरिक लेखा परीक्षा प्रणाली और भी मजबूत हो जाए। आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के अंतर्गत समस्त कार्यालयों, कारखानों और मुख्य व्यावसायिक क्षेत्रों को शामिल किया गया है। महतवपूर्ण लेखापरीक्षा प्रेक्षणों तथा उन पर अनुवर्ती कार्रवाई की रिपोर्ट लेखापरीक्षा समिति को दी जाती है।

लेखा परीक्षा समिति कंपनी के आंतरिक नियंत्रण परिवेश की पर्याप्तता की प्रभाविकता की समीक्षा करती है तथा कंपनी की जोखिम प्रबंधन नीतियों एवं प्रणालियों को मजबूत बनाने संबंधी सिफारिशों सहित लेखापरीक्षा सिफारिशों के कार्यान्वयन का मॉनीटरन करती है।

5. परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन।

1. कंपनी में गत वर्ष के दौरान हुई 334.75 करोड़ रू0 की तुलना में चालू वित्त वर्ष के दौरान 369.51 करोड़ रु0 की बिक्री हुई। गत वर्ष की तुलना में लगभग 10% की वृद्धि दर्ज की गई। कर से पूर्व लाभ, मूल्यह्रास और ब्याज और कर 23.55 करोड़ रुपये है। जबकि गत वर्ष यह 19.91 करोड़ रुपये था। वर्ष के दौरान 18.28% की वृद्धि दर्ज की गई और कर के पश्चात गत वर्ष के 1.83 करोड़ रुपय की तुलना में 3.26 करोड़ रुपये का निवल लाभ हुआ।

2. कंपनी ने कर के पश्चात लाभ का 30% अर्थात 0.98 करोड़ रुपये का लाभांश प्रस्तावित किया है।

3. मानव संसाधन/औद्योगिक संबंध में महत्वपूर्ण विकास नियोजित कार्मिको सहित

कंपनी का मानना है कि मानव पूँजी एक बड़ी संपदा है। हमें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि कंपनी के इतिहास में श्रमिकों के कारण एक भी श्रम दिन व्यर्थ नहीं गवाया गया है।

कर्मचारियों को प्रेरित करने के लिए एक शिकायत निवारण तंत्र के पुनः सक्रिय करने के अलावा सर्व कर्मचारी कल्याण योजनाएं भी बनाई जा रही है। कंपनी का एक लक्ष्य कर्मचारियों की संतुष्टि करना भी है, जिस पर कंपनी नियमित रूप से कार्य कर रही है।

6. पर्यावरणीय रक्षा एवं संरक्षण/प्रौद्योगिकीय संरक्षण, नवीकरणीय ऊर्जा विकास और विदेशी मुद्रा संरक्षण :

एच.आई.एल. ने पर्यावरण सुरक्षा एवं संरक्षण में पहले से ही कई उपाय कर लिए हैं।हमारी उद्योगमण्डल यूनिट प्रदूषण नियंत्रण गतिविधियों के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पुरस्कार जीतना शुरू हो गई है। निरूपित बहिःस्राव पानी का पुनर्चक्रण/कमी तथा पुनः उपयोग करके पानी का संरक्षण किया जा रहा है। कंपनी पर्यावरणीय स्थिरता प्राप्त करने के लिए सुरक्षित पर्यावरण अनुकूल फार्मुलेशनों को विकसित कर रही है। कंपनी सौर ऊर्जा छत परियोजनाओं को लगाने की संभावना की मेसर्स पीईसी लिमिटेड के माध्यम से तलाश कर रही है।

7. सचेतक उपाय

कंपनी के उद्देश्य, परियोजनाओं, अपेक्षाओं और अनुमानों के बारे में प्रबन्धन विचार–विमर्श एवं विश्लेषण में उल्लेख किया गया है। कंपनी का प्रदर्शन बाहरी कारणों जैसे मानसून, सरकार की नीतियों में परिवर्तन, आर्थिक कारकों आदि, जो आपकी कंपनी में संचालन को प्रभावित कर सकते हों पर भी निर्भर करता है।

निदेशक रिपोर्ट का परिशिष्ट
फार्म क
ऊर्जा के संरक्षण के संबंध में विवरणों के प्रकटीकरण का प्रपत्र

	विवरण	यूनिट	2016–17	2015–16
क	**विद्युत एवं ईंधन की खपत**			
1	बिजली			
	कुल यूनिट	केडब्ल्यूएच	10077545.00	10820771.00
	कुल राशि	रु0	78385804.00	85647887.00
	दर/यूनिट	रु0	7.78	7.92
2	फर्नेस तेल			
	मात्रा	कि.ली.	676.65	667.91
	कुल राशि	रु0	16152965.00	15410281.00
	दर/कि.ली.	रु0	23872.11	23072.53
3	ईंधन तेल (एचएसडी)			
	मात्रा	कि.ली.	61.07	68.11
	कुल राशि	रु0	3204035.00	2840415.00
	दर/कि.ली.	रु0	52464.96	41701.51
4	प्राकृतिक गैस			
	मात्रा	एमएमबीटीयू	75586.00	77234.00
	कुल राशि	रु0	54048634.00	47801834.00
	दर/कि.ली.	एमएमबीटीयू	715.06	618.92
ख	**उत्पादन की प्रति यूनिट खपत**			
	विवरण	**यूनिट**	**2016–17**	**2015–16**
1	डी.डी.टी तकनीकी			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1789.00	1791.00
	फर्नेस तेल	लीटर	17.50	885.00
2	डी.डी.टी फार्मुलेशन			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	2040.00	1666.00
3	मैलाथियॉन तकनीकी			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1960.00	1965.00
	फर्नेस तेल	लीटर		
	गैस	एम.एम.बी.टी.यू	6.60	8.32
4	मोनोक्रोटोफॉस तकनीकी			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1204.00	1213.00
	फर्नेस तेल	लीटर		
	गैस	एम.एम.बी.टी.यू	16.96	24.60
5	मोनोक्रोटोफॉस फार्मुलेशन			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	43.00	43.00
6	डाइकोफॉल तकनीकी			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	5795.00	5011.00
	फर्नेस तेल	लीटर	0.84	847.00
7	डाइकोफॉल फार्मुलेशन			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	170.00	170.00
8	मैंकोजेब			
	बिजली	केडब्ल्यूएच	1075.00	1290.00
	फर्नेस तेल	लीटर	0.15	133.00
	ईंधन तेल (एच.एस.डी)	लीटर	0.19	205.00

फार्म ख

प्रौद्योगिकी के आमेलन से संबंधित विवरण के प्रकटीकरण के लिए प्रपत्र

अनुसंधान एवं विकास (आर एण्ड डी)

1. विशेष क्षेत्र जिनमें कम्पनी ने अनुसंधान एवं विकास कार्य किया।

क. पैस्टिसाइड्स तकनीकियों के लिए विकास के नुस्खे।

ख. वर्तमान पैस्टिसाइड्स फार्मुलेशनों के लिए सुरक्षित मितव्ययी एवं पर्यावरण अनुकूल नुस्खे का विकास, स्थानीय तौर पर उपलब्ध स्वदेशी कच्ची सामग्री तथा अक्रियों का उपयोग करके लागत दक्षता में सुधार लाना।

ग. कार्य कुशलता को बढ़ाने के लिए वर्तमान प्रक्रियाओं में सुधार लाना, कम विषैली तथा पर्यावरण अनुकूल कच्ची सामग्री का प्रयोग करना तथा पर्यावरणीय प्रदूषण को कम करना।

घ. प्रयोगशाला तथा पॉयलट–प्लांट स्तर पर इन हाउस अनुसंधान एवं विकास द्वारा वाणिज्य स्तर तक प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए प्लांट ट्रायल में विनिर्माणन यूनिटों का सहयोग करना।

2. उपर्युक्त अनुसंधान एवं विकास कार्य के परिणाम स्वरूप प्राप्त लाभ

क.) यूनिटों की प्रक्रिया से संबंधित कठिनाईयों का मुकाबला करना।

ख.) तकनीकियों के लिए अपने फार्मुलेशनों को विकसित करना।

3 कार्यकलाप की भावी योजना ।

(क) एल एल आई एन परियोजना के लिए प्रौद्योगिकी को कुशल बनाना। उत्पादों के शैल्फ – लाइफ विश्लेषणों का संचालन करना तथा प्लांट ट्रायल को बड़े स्तर पर वाणिज्यिक उत्पादनों तक पहुँचाना।

(ख) उच्च शुद्धता डाइकोफॉल के लिए प्रौद्योगिकी को कुशल बनाना। उत्पादों के शैल्फ लाइफ विश्लेषण का संचालन करना तथा प्लांट ट्रायल को बड़े स्तर पर वाणिज्यिक उत्पादनों तक पहुँचाना।

(ग) पेन्डामेथलिन तकनीकी के लिए प्रौद्योगिकी को कुशल बनाना। उत्पादों के शैल्फ – लाइफ विश्लेषणों का संचालन करना तथा प्लांट ट्रायल को बड़े स्तर पर वाणिज्यिक उत्पादनों तक पहुँचाना।

(घ) विभिन्न कृषि प्रतिपादनों में प्रयुक्त नए विलायक, भराव, पायसीकर्ता तथा अन्य कच्ची सामग्री, जो पर्यावरण अनुकूल और हमारे उत्पादन को बाजार में प्रतिस्पर्द्धा का सामना करने के लायक बना पाए, का पता लगाने के लिए विश्लेषण को जारी रखना।

(ड) गुणवत्ता अनुरक्षण के लिए हमारी विभिन्न एककों में प्रसंस्करण संबंधी समस्याओं का समय–समय पर समाधान करना। गुणवत्ता अनुरक्षण के लिए हमारी विभिन्न एककों में प्रसंस्करण संबंधी समस्याओं का समय–समय पर समाधान करना तथा जब भी आवश्यकता हो, विभिन्न उत्पादों के वाणिज्यिक स्तर को उन्नत करने की गतिविधियों को तकनीकी सहायता देना।

फार्म ग

विदेशी मुद्रा आय एवं व्यय

i) निर्यात से संबंधित गतिविधियों, निर्यात को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयास, उत्पादों एवं सेवाएं तथा निर्यात योजनाओं के लिए नए निर्यात बाजार का विकास।

वर्ष के दौरान कम्पनी ने 45 मी.ट. डी.डी.टी 75%, 12 मी.ट. मैंकोजेब 80% और मैलाथियॉन 50%, ई सी 4546 लीटर निर्यात किया है।

ii) कुल विदेशी मुद्रा से आय एवं व्ययः–

	(रू0 करोड़ में)
विदेशी मुद्रा आय	3.43
विदेशी मुद्रा व्यय	11.23

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के लेखे पर कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) (ख) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियॉं

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण कम्पनी अधिनियम 2013 के अधीन निर्धारित वित्तीय सूचना देने की पद्धति के अनुसार तैयार करना कम्पनी के प्रबन्धन की जिम्मेदारी है। भारत के नियंत्रक एवं महा लेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत निर्धारित लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार, स्वतन्त्र लेखा–परीक्षा पर आधारित अधिनियम की धारा 143 के तहत वित्तीय विवरणों पर अधिनियम की धारा 139(5) के तहत अपने विचार प्रकट करने के उत्तरदायी है। यह दिनांक 30 अगस्त 2017 की अपनी लेखा परीक्षा रिपोर्ट में उन्होंने स्पष्ट कर दिया है।

मैंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से 31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के लेखों का अधिनियम की धारा 143 (6) (ख) के अन्तर्गत एक पूरक लेखा परीक्षा की है। यह पूरक लेखा परीक्षा सांविधिक लेखा परीक्षकों के कार्य पत्रों की पहुंच के बिना स्वतंत्र रूप से करी गई है और मुख्य रूप से सांविधिक लेखा परीक्षकों की और कंपनी के कार्मिकों और कुछ लेखांकन अभिलेखों की चुनिंदा जांच तक सीमित है। मेरी लेखा परीक्षा के आधार पर ऐसी कोई महत्वपूर्ण जानकारी नहीं है, जिसे सांविधिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर अथवा पूरक पर कोई टिप्पणी की जा सके।

कृते एवं भारत के नियंत्रक एवं
महा लेखा परीक्षक की ओर से

हस्ता./–
(नंदना मुंशी)
प्रधान निदेशक वाणिज्यिक लेखा परीक्षा
एवं पदेन सदस्य, लेखा परीक्षा बोर्ड – ।।
नई दिल्ली

फार्म सं0 एम जी टी – 9

31 मार्च, 2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष वार्षिक रिटर्न का सार

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92 (3) तथा कंपनीज (प्रबन्धन एवं प्रशासनिक) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसार

1. पंजीकरण एवं अन्य विवरण

i)	सी आई एनः–	यू24211डीएल1954जीओआई002377
li)	पंजीकरण की तिथि 11/3/1954	
iii)	कंपनी का नाम	हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड
iv)	श्रेणी/सब–कंपनी की श्रेणी	कंपनी लिमिटेड शेयर द्वारा (सरकारी कंपनी)
v)	पंजीकृत कार्यालय का पता एवं संपर्क विवरण	द्वितीय तल, कोर–6, स्कोप काम्पलैक्स, 7 लोदी, रोड़, नई दिल्ली–110003 ई–मेलः–**hilheadoffice@gmail.com**
vi)	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
vii)	रजिस्ट्रार एवं ट्रांसफर एजेन्ट, यदि कोई है	लागू नहीं

2. कंपनी का मूल कारोबार गतिविधियाँ

क्र0 सं0	मुख्य उत्पादों/सेवाओं का नाम एवं विवरण	उत्पाद/सेवाओं का एन आई सी कोड	कंपनी के कुल टर्न ओवर का %
	डी.डी.टी, कृषि रसायन और बीज उत्पादन एवं विपणन		100%

3. स्वामित्व, सहायक एवं संबद्ध कंपनियों का विवरणः

क्र0 सं0	कंपनी का नाम एवं पता	सीआईएन/जीएलएन	स्वामित्व/सहायक /संबद्ध कंपनी	रखे गए शेयर का %
1.	सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लि. (02.04.2002 को बंद करने के आदेश हुए)	यू24110टीजी1980एसजीसी002641	सहायक	76%

4. शेयरधारिता स्वरूप

भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में होने के नाते संपूर्ण शेयरधारिता भारत के राष्ट्रपति के नाम है।

5. ऋणग्रस्तता

114.25 करोड़ रू0

स्वतन्त्र लेखा परीक्षा की रिपोर्ट

सेवा में सदस्यगण,

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

सी.आई.एन : यू24211डीएल1954जीओआई1002377

वित्तीय विवरण संबंधी रिपोर्ट

हमने हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड (कंपनी) के वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा की है, जिसमें 31 मार्च, 2017 की बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि लेखा, उस वर्ष की नकद प्रवाह विवरण तथा विशिष्ट लेखांकन नीतियों का सार एवं अन्य व्याख्यात्मक सूचना शामिल है, जिनमें प्रधान कार्यालय, अनुसंधान एवं विकास कॉम्पलैक्स, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय चण्डीगढ़ (उत्तर) और बठिंडा यूनिट की लेखा परीक्षा हमारे द्वारा की गई और 7 अन्य शाखाएं जो रसायनी संयंत्र, अलवॉय संयंत्र, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, कोलकाता, नागपुर (पुणे), हैदराबाद और कोयम्बटूर में स्थित शाखाओं के भारत सरकार के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा नियुक्त कंपनी के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा की गई लेखा परीक्षा के लेखा विवरण शामिल हैं।

वित्तीय विवरण के लिए प्रबन्धन का उत्तरदायित्व :–

इस वित्तीय विवरणों को तैयार करने से संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 (''अधिनियम'') की धारा 134 (5) में कथित मामलों के लिए कंपनी के निदेशक मण्डल की जिम्मेदारी है कि वे कंपनी (लेखे) नियम 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 में विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों में सम्मिलित आमतौर पर भारत में स्वीकृत लेखांकन सिद्धान्तों के अनुसार कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय निष्पादन तथा नकद प्रवाह की वास्तविक तस्वीर प्रस्तुत करें। इस जिम्मेदारी में कंपनी की परिसम्पत्तियों की सुरक्षा तथा धोखाधड़ी और अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधान के अनुसार पर्याप्त लेखा रख–रखाव, अभिकल्प चयन और उचित लेखांकन नीतियों को लागू करना; तथा उचित और विवेकपूर्ण निर्णय लेना और अनुमान लगाना; जो उचित और दूरदर्शी हों, वित्तीय विवरणों को तैयार करने और प्रस्तुत करने से संबंधित लेखांकन अभिलेखों की सटीकता और संपूर्णता की सुनिश्चितता के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करें तथा जो मिथ्या विवरण से मुक्त वास्तविक और निष्पक्ष राय दे तथा चाहे वह धोखाधड़ी या गलती की वजह से हो, भी सम्मिलित है।

लेखा परीक्षकों की जिम्मेदारी

हमारा उत्तरदायित्व अपनी लेखा परीक्षा के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर अपनी राय देना है।

हमने अधिनियम, लेखांकन और लेखा परीक्षा मानकों और जो अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत लेखा परीक्षा रिपोर्ट में शामिल किए जाने के लिए अपेक्षित हैं, उन मामलों के प्रावधान को ध्यान में रखा है।

हमने अधिनियम की धारा 143 (10) के अधीन विनिर्दिष्ट लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम नीतिगत अपेक्षाओं को पूरा करें और इस प्रकार से योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें कि यह आश्वासन प्राप्त हो सकें कि वित्तीय विवरण में महत्वपूर्ण मिथ्या विवरण नहीं है।

लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरण में दी गई राशि और प्रकट किए गए विवरणों के बारे में लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया का पालन करना होता है। लेखा परीक्षा अपने विवेक के अनुसार तथा धोखाधड़ी या गलती के कारण वित्तीय विवरण में अत्यधिक मिथ्या विवरण के जोखिम को ध्यान में रखते हुए प्रक्रियाओं का चयन करना है। जोखिम का निर्धारण करते समय लेखा परीक्षक परिस्थितियों के अनुसार उपयुक्त लेखा परीक्षा प्रक्रियाएं तैयार करने के लिए कंपनी के वित्तीय विवरण तैयार करने और उसमें निष्पक्ष प्रस्तुतीकरण से सुसंगत आन्तरिक नियंत्रण को भी ध्यान में रखता है। लेखा परीक्षा में इस बात का भी मूल्यांकन किया जाता है कि अपनाई गई लेखांकन नीतियाँ उपयुक्त हैं तथा कंपनी के निदेशकों द्वारा तैयार किए गए लेखांकन प्राक्कलन उपयुक्त हैं तथा वित्तीय विवरणों के समग्र प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन शामिल है।

हमारा विश्वास है कि हमने जो लेखा परीक्षा साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे पर्याप्त हैं तथा वित्तीय विवरणों पर हमारे लेखा परीक्षा मत को एक आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त हैं।

अपेक्षित मत का आधार

क. राजस्व

1. कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीति के अनुसार, प्रजनन/आधार बीजों के क्रय मूल्य तथा आयोजकों/किसानों से वसूली जाने वाले संबंधित निर्गम मूल्य के बीच के अंतर का 'कार्य प्रगति पर' के रुप में माना गया है। तथापि, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय उत्तर में, 37.28 लाख रुपए के कुल प्रजनन/आधार बीजों की खरीद की तुलना में तथा बुआई के लिए आयोजकों/किसानों को बीजों के संबंधित निर्गम की न तो आयोजकों/किसानों से कोई वसूली की गई है और न ही बही खातों में बीजों के निर्गम मूल्य के लेनदेन को दर्ज किया गया है। आयोजकों/किसानों से निर्गम मूल्य को दर्ज न करने के कारण, 'कार्य प्रगति पर' और संबंधित 'व्यापार प्राप्तियों' के आंकड़ों को बढ़ाकर लिखा गया है। तथापि, पर्याप्त प्रमाणित सूचना के अभाव में, बढ़ाकर लिखी गई राशि की मात्रा को परिमाणित नहीं किया जा सकता।

ख. परिसम्पत्तियां

लेखापरीक्षा के अन्तर्गत वर्ष के दौरान, सैप सॉफ्टवेयर का आंशिक रूप से कार्यान्वयन किया गया है और इसके कार्यान्वयन के लिए सलाहकार को भुगतान किया गया है। उपरोक्त के अतिरिक्त, एएमसी, लाइसेंस शुल्क, किराया और

अन्य शुल्क के लिए अन्य भुगतान किए गए हैं। हालांकि, कंपनी ने लागत का पूंजीकरण नहीं किया है तथा इसे पूंजीगत कार्य प्रगति के रूप में प्रतिबिंबित किया है। चूंकि, कार्यान्वयन की सीमा और इसकी संबंधित लागत प्रमाणीकृत जानकारी के अभाव में नहीं जानी जा सकती है, वित्तीय विवरणों पर इसके प्रभाव का आकलन नहीं किया जा सकता।

अपेक्षित मत

हमारे विचार में और हमारी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, ऊपर दिए गए अपेक्षित मत के आधार'' में वर्णित मामले के प्रभाव और/अथवा संभावित प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरणों से अधिनियम द्वारा अपेक्षित सूचना यथा अपेक्षित नीति में मिलती है और 31 मार्च 2017 को कंपनी के कार्यों की स्थिति , और उस तारीख में समाप्त वर्ष के लिए इसके लाभ और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह का सामान्यत भारत में स्वीकृत लेखांकरण सिद्धांतों के अनुरूप वास्तविक और उचित निष्पक्ष विचार प्रदर्शित होता हैं।

मामले का पूर्व प्रबलन

हम निम्नलिखित पर ध्यान आकर्षित करते हैं:–

क. वस्तुसूचियां

क) निपटान वर्ष में बेकार/क्षतिग्रस्त सामग्रियों पर लाभ/हानि के संबंध में कंपनी की लेखांकन नीति सं0–7 लेखांकन मानक–2 (मांग–सूचियों का मूल्यांकन) के अनुरूप नहीं है। लाभप्रदत्ता और मांग–सूची मूल्य को बढ़ाकर लिखने के इस अनुपालन के प्रभाव का प्रबंधन द्वारा आवश्यक सूचना उपलब्ध न कराए जाने के कारण पता नहीं लगाया जा सका।

ख) टिप्पणी सं0–16 के अनुसार, मांग–सूची में 263.47 लाख रुपए (गत वर्ष के अनुसार 270.37 लाख रुपए) मूल्य के भंडार और अतिरिक्त पुर्जे तथा 202.26 लाख रुपए मूल्य (गत वर्ष के अनुसार 153.71 लाख रुपए) की कच्चा माल एवं पैकिंग सामग्री शामिल है जिसे तीन वर्षों से नहीं उठाया गया है। इस के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है क्योंकि इन्हें प्रबंधन द्वारा उपयोगी/प्रयोज्य माना जाता है। इसके प्रावधान की आवश्यकता सुनिश्चित नहीं है।

ग) तैयार सामान/कच्चे माल/पैकिंग सामग्री की अन्तिम मालसूची में ऐसी सामग्री शामिल है, जो प्रयोग करने योग्य नहीं है और बिक्री से पहले पुनर्वेधीकरण की आवश्यकता है। पुनर्वेधीकरण के लिए शामिल अनुमानित लागत निश्चित नहीं है और इसलिए प्रदान नहीं की गई है।

ख. व्यापार से प्राप्त आय

टिप्पणी सं0 –17, व्यापार प्राप्य के लिए तीन वर्ष से अधिक के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। 3665.59 लाख रु0 (गत वर्ष 2945.44 लाख रु0)। प्रबंधन का मानना है कि मामले के आधार पर प्रावधान किया जाता है जहां वसूली की संभावना दूर है। इसके प्रावधान की आवश्यकता अभिनिश्चित नहीं की जा सकती॑।

ग. अन्य वर्तमान परिसंपत्तियां

क) वर्ष 1996–97 में कुल 25.81 लाख रुपए के आयकर का प्रावधान किया गया है रु0 14.48 लाख तथा 1997–98 रु0 11.33 लाख अग्रिम करों से कटौती के रूप में नोट सं0–20 के अंतर्गत घोषित राशि को समायोजित किए जाने की जरूरत है। उचित सूचना के अभाव में, 'वर्ष के लिए लाभ' पर प्रभाव का पता नहीं लगाया जा सका।

ख) 1992–93 से उद्योगमंडल इकाई में वसूली योग्य बिक्री कर दावे 25.34 लाख अग्रेषित किया जाता है। दावे को साबित करने के लिए कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है और प्रावधान 4.30 लाख रु0 के अनुकूल है। शेष राशि के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

ग) व्यापार प्राप्तियों के अन्तर्गत बकाया, बीमा दावे प्राप्तियां, ऋण और अग्रिम, अन्य मौजूदा परिसंपत्तियां, व्यापार देनदारियां और अन्य वर्तमान देनदारियों पुष्टि/पुन समायोजन के अधीन हैं। ऐसी पुष्टि/लेखा समाधान, यदि कोई हो, पर परिणामी समायोजन का सटीक प्रभाव, सुनिश्चित नहीं हो सकता है।

घ. देयताएं

बयाना जमा राशि (ई.एम.डी) पार्टियों/विक्रेताओं से प्राप्त की गई और 10 साल से अधिक के लिए बकाया प्रधान कार्यालय की बहियों में 58.97 लाख रुपये प्रतिलेखित किए गए हैं। हालांकि, यह अन्य इकाइयों/क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय से प्रतिलेखित नहीं किए गए हैं।

ङ. दीर्घावधि ऋण और अग्रिम

टिप्पणी सं. 13 दीर्घावधि ऋण और अग्रिम– ऋण और तीन वर्ष से अधिक के लिए वसूली योग्य बकाया राशि 642.88 लाख रु0 (पिछले साल 455.23 लाख रु0) के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है। इसके प्रावधान की आवश्यकता अभिनिश्चेय नहीं है।

च. सांविधिक अनुपालन

क. बिक्री कर रिटर्न समाधान और संशोधन के अधीन हैं।

ख. केन्द्रीय मूल्यवर्धित का समाधान – इनपुट सेवा कर –आर जी, शिक्षा उपकर–आरजी, शिक्षा उपकर–कैपिटल, इनपुट सेवा कर, शिक्षा उपकर उद्योगमंडल इकाई में समाधान के लिए लंबित हैं। हमें सूचित किया जाता है कि उपर्युक्त खातों का समाधान कार्य बाहय संसाधित है।

ग. राय और अस्पष्टता के अंतर के कारण वर्ष के दौरान अफगानिस्तान सरकार के प्रतिनिधियों को प्रदान की गई प्रशिक्षण सेवाओं के संबंध में सेवा कर के प्रावधान नहीं किए गए हैं।

घ. अस्पष्टता के मत के अंतर के कारण आयकर के तहत टीडीएस सेवा शुल्क पर कम दर से कटौती की गई है।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय अपेक्षित नहीं है

अन्य मामले

हमने कंपनी के वित्तीय विवरणों में शामिल सात शाखाओं के वित्तीय विवरणों/सूचना की लेखा परीक्षा नहीं की है जिनके वित्तीय विवरण/सूचना से 31 मार्च, 2017 को 27,880.20 लाख रू0 की कुल परिसंपत्तियाँ और उस तारीख में समाप्त वर्ष के लिए 31,739.17 लाख रू0 के कुल राजस्व प्रतिबिंबित होता है, जैसाकि वित्तीय विवरणों में विचार किया गया है। इन शाखाओं के वित्तीय विवरण/सूचना की शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा लेखा परीक्षा की गई है जिनकी रिपोर्टें हमें प्रस्तुत की गई हैं, और जहाँ तक इसका इन शाखाओं के संबंध में शामिल राशियों और प्रकटीकरण का संबंध है, हमारी राय केवल उक्त शाखा लेखा परीक्षाओं की रिपोर्ट पर आधारित है।

अन्य कानूनी एवं विनियात्मक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 143 की उप धारा 11 के शर्तानुसार जारी कंपनीज (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश 2016 (''आदेश'') तथा कंपनी की बहियों और अभिलेखों की जांच की आधार पर जैसा हमें उचित लगा तथा हमें दी गई सूचना और स्प टीकरणों के अनुसार कंपनी आदेश के पैरा 3 एवं 4, कंपनी पर लागू सीमा तक विनिर्दिष्ट मामलों पर ''संलग्नक – क'' में विवरण प्रस्तुत करते हैं।

2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथा अपेक्षित हम यह रिपोर्ट देते हैं कि :–

क. हमने ऐसी सभी सूचना और स्पष्टीकरण मांगे हैं और प्राप्त किए हैं, जो हमारी सर्वोत्तम जानकारी एवं विश्वास के अनुसार हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनार्थ आवश्यक थे।

ख. हमारी राय में कंपनी द्वारा विधि के अनुसार यथा अपेक्षित उचित लेखा पुस्तिकाएं रखी गई हैं जैसाकि इन लेखा पुस्तिकाओं की हमारी जांच से प्रतीत होता है।

ग. विविध शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा अधिनियम की धारा 143 (8) के तहत लेखा परीक्षित कंपनी के शाखा कार्यालयों की लेखा संबंधी रिपोर्ट हमें भेजी गई है और यह रिपोर्ट तैयार करने में हमारे द्वारा उस पर भलीभांति कार्रवाई की गई है।

घ. इस रिपोर्ट से संबंधित बैलेंस शीट, लाभ एवं हानि का विवरण तथा नकदी प्रवाह विवरण हमारे द्वारा अनिरीक्षित शाखाओं से प्राप्त लेखा पुस्तिकाओं तथा विवरणियों से मेल खाते हैं।

ङ. हमारी राय में उपरोक्त वित्तीय विवरण कंपनीज (लेखा) नियमावली 2014 के नियम 7 के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अधीन विनिर्दिष्ट लेखांकन मानकों के अनुरूप है।

च. क्योंकि कंपनी एक सरकारी कंपनी है, कॉरपोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना सं. जी.एस.आर 463(ई), अधिनियम की धारा 164 की उपधारा (2) की शर्तानुसार लागू नहीं है।

छ. कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता तथा ऐसे नियंत्रणों की प्रभाविकता के संचालन के संबंध में हमारी अलग रिपोर्ट ''अनुलग्नक – ख'' पर देखें।

ज. हमारी राय में तथा हमारी सर्वोत्तम जानकारी में व हमें दिए गए स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनीज (लेखा परीक्षा एवं लेखा परीक्षा) नियमावली 2014 के नियम 11 के अनुसार लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य मामलों के संबंध में हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है :–

(i) कंपनी ने अपने वित्तीय वक्तव्यों में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मुकदमों के प्रभाव का खुलासा किया है। वित्तीय विवरण के लिए नोट नंबर –29 को देखें।

(ii) कंपनी के पास डेरिवेट कॉन्ट्रैक्ट्स सहित कोई दीर्घकालिक अनुबंध नहीं था जिसके लिए कोई महत्वपूर्ण हानि का पूर्वानुमान लगाया जा सके।

(iii) कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा और संरक्षण निधि में कोई भी राशि स्थानांतरित करने की आवश्यकता नहीं थी।

(iv) कंपनी ने अपने वित्तीय विवरणों में 8 नवंबर, 2016 से 30 दिसंबर, 2016 की अवधि के दौरान विनिर्दिष्ट बैंक नोट में स्वामित्व के साथ–साथ लेन–देन के लिए अपेक्षित प्रकटीकरण किए हैं। ऑडिट प्रक्रियाओं के आधार पर और प्रबंधन प्रतिनिधित्व पर आधारित हम रिपोर्ट करते हैं कि खुलासे कंपनी द्वारा रखे गए बही–खातों के अनुसार हैं और प्रबंधन द्वारा हमें प्रस्तुत किए गए हैं। टिप्पणी सं0 40 देखें।

3. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) की अपेक्षा के अनुसार, हमने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों और उप निर्देशों पर विचार किया है और हम प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय (उत्तर), बठिंडा एवं अनुसंधान एवं विकास कॉम्पलैक्स के संबंध में अनुलग्नक I एवं II में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करते हैं।

कृते ए.के. बत्रा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
(फर्म पंजीकरण सं0 003499 एन)

हस्ता/–
सी.ए. अभिषेक बत्रा
भागीदार
(सदस्यता सं0 099121)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30–08–2017

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का संलग्नक – क

31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष के कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के सदस्यों को उसी तारीख की हमारी रिपोर्ट के 'अन्य कानूनी और विनियात्मक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट' के तहत पैराग्राफ 1 का अवलोकन करें, इस संबंध में हमारी रिपोर्ट इस प्रकार है:

(i) इसकी नियत परिसम्पत्तियों के संबंध में

(क) कंपनी ने अलवॉय शाखा, जहाँ नियत परिसंपत्तियों की न तो संख्या और न ही स्थान का पता चला है, को छोड़कर नियत परिसंपत्तियों के पूर्ण विवरणों और मात्रात्मक विस्तृत ब्यौरों एवं स्थिति को दर्शाते हुए यथोचित रिकार्ड रखे हैं।

(ख) जैसाकि हमें स्पष्ट किया है, नियत परिसंपत्तियों का प्रबंधन द्वारा अपनाए गए सत्यापन के चरणबद्ध कार्यक्रम के अनुसार प्रबंधन द्वारा प्रत्येक वर्ष प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है जिसमें, हमारी राय में प्रधान कार्यालय, क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय चण्डीगढ़ के मामलों को छोड़कर सभी नियत परिसंपत्तियों के युक्ति संगत अंतरालों पर प्रत्यक्ष सत्यापन की व्यवस्था है। हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, उक्त सत्यापन में कोई भी महत्वपूर्ण विसंगति नहीं पायी गई है। हम यह भी सूचित करते हैं कि बठिंडा यूनिट के मामले में, प्रयोगशाला विभाग और प्रशासनिक विभाग की स्थिर परिसम्पत्तियों का प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया गया है।

(ग) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरणों के अनुसार तथा हमारे द्वारा की गई जांच और हमें प्रदान किए गए पंजीकृत विलेख/अंतरित विलेख/हस्तांतरण विलेख की जांच के आधार पर हम सूचित करते हैं कि बैलेंसशीट की तारीख को शीर्ष विलेख, भूमि और अधिगृहित इमारतें, जो फ्रीहोल्ड हैं तथा सभी अचल परिसम्पत्तियां कंपनी के नाम पर हैं। भूमि की अचल परिसम्पत्तियों के संबंध में जो पट्टे तथा वित्तीय विवरणों में स्थिर परिसम्पत्तियों के रूप में दर्शायी गई हैं, पट्टे का एग्रीमेंट कंपनी के नाम पर है, जहां कंपनी एग्रीमेंट में पट्टाधारी है। तथापि, कंपनी की सेक्टर 20, उद्योग विहार, गुरूग्राम में पूर्ण स्वामित्व की 58 एकड़ ज़मीन के संबंध में हुडा ने 02 जून, 2017 को एक पुर्नग्रहण आदेश जारी किया था और उसके पश्चात उपरोक्त ज़मीन के संबंध में दिनांक 09.06.2017 को एक बेदखली आदेश हुआ। कंपनी ने माननीय पंजाब और हरियाणा कोर्ट के समक्ष पुर्नग्रहण आदेश को चुनौती दी थी। माननीय न्यायालय ने हुडा को पुर्नग्रहण आदेश पर स्टे लगाया है इसलिए उपरोक्त ज़मीन मुकदमें के अधीन है और मामला न्यायाधीन है।

(ii) माल सूची के संबंध में:

जैसाकि हमें सूचित किया गया है, तैयार माल, अर्ध निर्मित माल, भण्डार, अतिरिक्त पुर्जो तथा कच्ची सामग्रियों का प्रबन्धन द्वारा उचित अंतराल पर प्रत्यक्ष सत्यापन किया गया है। हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी ने अपनी माल सूची का क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय कोलकाता, जहां प्रत्यक्ष सत्यापन के दौरान स्टॉक विसंगतियां पाई गई हैं जहां स्टॉकों का बही के रिकॉर्डों से मिलान करके प्रत्यक्ष सत्यापन पर विसंगतियां पाई गई थी, को छोड़कर रिकॉर्ड पर कोई विसंगतियां नहीं पाई गई हैं।

(iii) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 189 के अंतर्गत रखे गए रजिस्टर में शामिल कंपनियों, फर्मों, सीमित देयता साझेदारी अथवा अन्य पार्टियों को कोई ऋण, प्रतिभूत अथवा अप्रतिभूत नहीं दिया है।

(iv) हमारी राय में और हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने ऋण, निवेश और दी गई गारंटी और प्रतिभूतियों के संबंध में, जो कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 185 और 186 के प्रावधानों के अनुसार लागू हैं, का अनुपालन किया है।

(v) कंपनी ने जनता से किसी भी जमा को स्वीकार नहीं किया है।

(vi) लागत रिकॉर्ड का रख–रखाव कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) के तहत सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट किए गए हैं। हमने कंपनीज अधिनियम, 2013 की धारा 148(।) के तहत केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखे गए लागत के रिकार्डों की विस्तृत समीक्षा की है और हमारी राय है कि प्रथम दृष्टया निर्धारित लागत रिकार्ड तैयार करके रखे गए हैं। तथापि, यह निर्धारण करने के उद्देश्य से कि क्या वे रिकार्ड सही अथवा पूर्ण हैं, हमने इन रिकार्डों की विस्तृत जांच नहीं की है।

(vii) सांविधिक देय राशियों के संबंध में:

(क) कंपनी के रिकार्डों और हमें दी गई सूचना व स्पष्टीकरणों के अनुसार, कंपनी सामान्यतः अविवादित सांविधिक देय राशियां, भविष्य निधि, कर्मचारी राज्य बीमा (ई.एस.आई.), आय कर, बिक्री कर, सेवा कर, सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क, मूल्यवर्धित कर (वैट), उपकर तथा उस पर लागू अन्य महत्वपूर्ण सांविधिक देय राशियों को नियमित रूप से उपयुक्त प्राधिकारियों के पास जमा करती आ रही है और जिस संबंधित वित्तीय वर्ष की अंतिम तारीख को वे राशियां देय होती हैं उस तारीख से 6 माह से अधिक अवधि तक कोई भी महत्वपूर्ण सांविधिक राशि बकाया नहीं है।

(ख) हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार आयकर अथवा

बिक्री कर अथवा सेवा कर अथवा सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या मूल्य वर्धित कर कोई विवादास्पद राशि देय नहीं है, निम्नलिखित को छोड़कर:–

क्र0सं0	संविधि का नाम	स्थान	बकाया वर्ग	राशि	अवधि जिससे राशि का संबंध है	फोरम जहां विवाद लंबित है
1.	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944	प्रधान कार्यालय	अंतर उत्पाद शुल्क पर ब्याज	30,204,515	2011–12 और 2012–13	सीईएसटीएटी
		प्रधान कार्यालय	अंतर उत्पाद शुल्क पर ब्याज	10,618,735	2003–04	सीईएसटीएटी
		प्रधान कार्यालय	प्रदत्त अतिरिक्त शुल्क के लिए धन वापसी की राशि	6,559,026	2005–06	सीईएसटीएटी
		प्रधान कार्यालय	क्या अनुदान आंकलन योग्य मूल्य का एक हिस्सा है	31,356,315	2005–06 से 2009–10	सीईएसटीएटी
		प्रधान कार्यालय	अंतर उत्पाद शुल्क पर ब्याज	3,043,631	2003–04	सीईएसटीएटी
		प्रधान कार्यालय	प्रदत्त अतिरिक्त शुल्क के लिए धन वापसी की राशि	910,697	2011–12	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (ए)
2.	सेवा कर अधिनियम	प्रधान कार्यालय	सेवा कर के कम भुगतान पर ब्याज और जुर्माना और सेनवैट का गलत लाभ	1,187,471	2012–13 और 2013–14	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त (ए)
		प्रधान कार्यालय	सेनवैट क्रेडिट का गलत लाभ (अलवॉय)	239,938	2009–10 से 2013–14	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के सहायक आयुक्त
3.	आय कर	प्रधान कार्यालय	अनुसूची 271 (1) सी के अधीन दंड का छूट	95,72,500	एवाई 2006–07	आयुक्त (ए)
4.	वाणिज्यिक कर विभाग	प्रधान कार्यालय	एफ और सी फॉर्म न जमा करना (अलवॉय)	7,330,905	2013–14	अपीलीय प्राधिकारी
		क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – नागपुर	मूल्य वर्धित कर (महाराष्ट्र)	113319 (प्रदत्त 30000 रु0)	2002–2003	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील) नागपुर
		क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय– नागपुर	केन्द्रीय बिक्री कर (महाराष्ट्र)	68705 (प्रदत्त 25000रु0)	2002–2003	संयुक्त आयुक्त बिक्री कर (अपील) नागपुर

क्र0सं0	संविधि का नाम	स्थान	बकाया वर्ग	राशि	अवधि जिससे राशि का संबंध है	फोरम जहां विवाद लंबित है
		क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – कोयम्बटूर	कर का कम लगाया जाना	1191486	2011–12	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, एरनाकुलम
		क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – कोलकाता	मूल्य वर्धित कर (पाटलीपुत्र)	1535876 (प्रदत्त 307176)	2013–14	अपील आयुक्त, वाणिज्यिक कर, पटना
		क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय – कोलकाता	मूल्य वर्धित कर (पश्चिम बंगाल)	163419	1997–98	सहायक आयुक्त, वाणिज्यिक कर विभाग, उल्टाडंगा

(i) अलवॉय यूनिट और क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय, कोलकाता और नागपुर के मामले, जिनके विवरण अनुसूची–क पर संलग्न हैं; और

(ii) प्रधान कार्यालय के संबंध में आयकर, उत्पाद शुल्क, सेवा कर आदि के लंबित मामलों का ब्यौरा हमें उपलब्ध नहीं किया गया है।

(vii) हमारे विचार में और हमें दिए गई सूचनी और स्पष्टीकरणों के अनुसार कंपनी ने बैंकों के ऋणों अथवा उधार की चूकौती में कंपनी ने कोई चूक नहीं की है। इसके अतिरिक्त कंपनी ने वित्तीय संस्थाओं से कोई ऋण अथवा उधार नहीं ली है और न हीं कोई डिबेंचर जारी किया है। तथापि कंपनी ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार सरकार के ऋण के भुगतान की शर्तों में चूक की है:

जिस वर्ष में चूक हुई	चूक की राशि (लाख में)
2011–12	499.00
2012–13	499.00
2013–14	580.00
2014–15	580.00
2015–16	562.00
2016–17	382.00
कुल	**3,102.00**

(ix) कंपनी ने वर्ष के दौरान प्रारंभिक पब्लिक प्रस्ताव या आगामी पब्लिक प्रस्ताव (ऋण साधन सहित) के जरिए धनराशि नहीं जुटाई है। तथापि, वर्ष के दौरान 50 करोड़ रूपये का अवधि ऋण उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया गया था जिसके लिए उसे प्राप्त किया गया था।

(x) हमारी उत्कृष्ट जानकारी तथा हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई है और कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा वर्ष के दौरान सामग्री में कोई धोखाधड़ी करने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(xi) चूंकि कंपनी सरकारी कंपनी है, अतः कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 5 जून, 2015 की अधिसूचना सं0 जी.एस. आर. 463(ई) के अनुसार कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची V के साथ पठित खण्ड 197 के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं होते और इसलिए आदेश के पैरा 3 के खण्ड (xi) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xii) कंपनी निधि कंपनी नहीं है और इसलिए आदेश के पैरा 3 के खण्ड (xii) के अंतर्गत रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।

(xiii) हमारे विचार में और हमें दी गई सूचना तथा स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 और 188 के अनुपालन में, जहां लागू हो, संबंधित पार्टियों के साथ सभी लेनदेन तथा संबंधित पार्टी लेनदेन के ब्यौरे को लागू लेखांकन मानकों द्वारा अपेक्षित अनुसार वित्तीय विवरणों आदि का खुलासा किया गया है।

(xiv) कंपनी ने समीक्षाधीन वर्ष के दौरान शेयरों का कोई अधिमान आवंटन या निजी प्लेसमेंट या पूर्ण या आंशिक रूप से परिवर्तनीय डिबेंचर नहीं लिए हैं।

(xv) हमारे विचार में हमें दी गई सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, वर्ष के दौरान, कंपनी ने अपने निदेशकों या व्यक्तियों के साथ कोई गैर–नकदी लेनदेन नहीं किया है और इसलिए इस पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 192 के प्रावधान लागू नहीं होते।

(xvi) कंपनी को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45–I के अंतर्गत पंजीकृत होने की आवश्यकता नहीं है।

कृते ए.के. बत्रा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
(फर्म पंजीकरण सं0 003499 एन)

हस्ता/–
सी.ए. अभिषेक बत्रा
भागीदार
(सदस्यता सं0 099121)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30–08–2017

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरणों पर समसंख्यक तारीख की स्वतंत्र–लेखा परीक्षक की रिपोर्ट का अनुलग्नक– ख

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 की उप–धारा 3 के खण्ड (i) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट (''अधिनियम'')

हमें 31 मार्च, 2017 के अनुसार इस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की लेखा–परीक्षा के अनुसार हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड (''कंपनी'') की वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को लेखा–परीक्षा करने के लिए नियुक्त किया गया था।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

कंपनी का प्रबंधन भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की लेखा–परीक्षा पर मार्गदर्शन टिप्पणी में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के अनिवार्य घटकों पर विचार करते हुए, कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग के मानदंड की तुलना में आंतरिक नियंत्रण के आधार पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की स्थापना करने और बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। इन उत्तरदायित्वों में, पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की रूपरेखा, कार्यान्वयन और रखरखाव शामिल है जो इसके व्यवसाय को व्यवस्थित करने और दक्ष आचरण सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी ढंग से कार्य करते हैं, जिसमें कंपनी की नीतियों का अनुपालन, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, धोखाधड़ी और त्रुटियों की रोकथाम और पता लगाना, लेखांकन रिकार्डों की पर्याप्तता और पूर्णतः तथा कपंनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत अपेक्षित अनुसार विश्वसनीय वित्तीय सूचना को समय पर तैयार करना शामिल था।

लेखा–परीक्षक का उत्तरदायित्व

हमारी ज़िम्मेदारी है वित्तीय रिपोर्टिंग (''मार्गदर्शन नोट'') और आईसीएआई द्वारा जारी लेखांकन मानक, जारी किए गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर दिए गए मार्गदर्शन के अनुसार संचालित हमारे लेखापरीक्षा के आधार पर वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर एक राय व्यक्त करना है और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की लेखा परीक्षा के लिए लागू सीमा तक, दोनों आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखा–परीक्षा के लिए लागू है और दोनों भारतीय चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी किए गए हैं। उन मानकों और मार्गदर्शन नोट के लिए आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का पालन करें और इस प्रकार से योजना बनाकर लेखा परीक्षा करें कि यह आश्वासन प्राप्त हो सके कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित हो सके और सभी महत्वपपूर्ण मामले कारगर ढंग से संचालित हों।

हमारे लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग और उनके ऑपरेटिंग प्रभावशीलता पर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षा साक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रियाएं शामिल हैं। वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की हमारी लेखापरीक्षा में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करना, जोखिम जो कि एक महत्वपूर्ण दोष महो का आकंलन करना, और आंके गए जोखिम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण की डिजाइन और संचालन प्रभावशीलता का परीक्षण और मूल्यांकन करना शामिल है। चयनित प्रक्रियाएं, लेखापरीक्षक के फैसले पर निर्भर करती है, जिसमें वित्तीय विवरण के महत्वपूर्ण तथ्यों की गलतबयानी के जोखिम के आकंलन शामिल हैं, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों।

हमारा मानना है कि वित्तीय रिपोर्टिंग से कंपनी की आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली पर हमारे लेखापरीक्षा राय के लिए आधार प्रदान और उपयुक्त हैं।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की अंतर्निहित सीमाओं का अर्थ

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण ऐसी प्रक्रिया है जिसकी रूपरेखा वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता तथा आम तौर पर लेखांकन सिद्धांत के अनुसार बाहरी प्रयोजनों के लिए वित्तीय विवरण तैयार करना है।

वित्तीय रिपोर्टिंग की तुलना में कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में निम्नलिखित नीतियां और प्रक्रियाएं शामिल हैं जोः

(1) रिकार्डों के रखरखाव से संबंधित है, जो तर्कसंगत ब्यौरा के आधार पर कंपनी की परिसंपत्तियों के लेनदेन और निपटान को उचित और सही ढंग से प्रदर्शित करता है;

(2) तर्कसंगत आश्वासन उपलब्ध कराता है कि लेनदेन को सामान्य तौर पर स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरण तैयार करने की अनुमति देने के लिए आवश्यकता अनुसार रिकार्ड किया जाता है, तथा यह कि कंपनी की प्राप्तियों और व्यय को केवल कंपनी के प्रबंधन और निदेशकों के प्राधिकार के अनुसार किया जा रहा है; और

(3) कंपनी की परिसंपत्तियों के अनधिकृत अर्जन का समय पर पता लगाने, उपयोग तथा निपटान करने के लिए उपयुक्त आश्वासन उपलब्ध कराना, जिनका वित्तीय विवरणों पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाएं

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित सीमाओं के कारण, मिली भगत या अनुचित प्रबंधन अध्यारोहण की संभावना सहित त्रुटि या धोखाधड़ी के कारण महत्वपूर्ण गलत

बयानी हो सकती है और इसका पता नहीं किया जा सकता है। साथ ही, भविष्य की वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए समय–समय पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के किसी भी मूल्यांकन के आकलन जोखिम के अधीन हैं कि वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में होने वाले बदलावों के कारण अपर्याप्त हो सकते हैं, या नीतियों के अनुपालन की डिग्री या प्रक्रियाएं खराब हो सकती हैं।

मत

हमें दी गई जानकारी और स्पष्टीकरण के अनुसार, और हमारी राय के आधार पर कंपनी ने आम तौर पर सभी महत्वपूर्ण मामलों में, वित्तीय रिपोर्टिंग पर पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण और वित्तीय रिपोर्टिंग पर ऐसी आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों को आम तौर पर 31 मार्च , 2017, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड एकाउंटेंट्स भारत द्वारा जारी किए गए 'वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लेखापरीक्षा पर मार्गदर्शन सूचना' में वर्णित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करके वित्तीय रिपोर्टिंग मानदंडों पर आंतरिक नियंत्रण पर आधारित है। हालांकि कुछ क्षेत्रों में और अधिक सुधार की आवश्यकता है विशेष रूप से आंतरिक लेखा परीक्षा, परिसंपत्ति की पहचान, देनदारों की वसूली की निगरानी। सूचना के प्रवाह को बढ़ाने के लिए अंतर विभाग समन्वय में वृद्धि, ताकि कंपनी में स्थापित नियंत्रण मानदंडों के उद्देश्यों को पूरा किया जा सके। हालांकि, हमारी राय उपरोक्त संबंध में अपेक्षित नहीं है।

कृते ए.के. बत्रा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
(फर्म पंजीकरण सं0 003499 एन)

हस्ता/–
सी.ए. अभिषेक बत्रा
भागीदार
(सदस्यता सं0 099121)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30–08–2017

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा संख्या 143 (5) के अन्तर्गत दिए गए निर्देशों के अनुसार, वर्ष 2016–17 के लिए हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड के लेखा परीक्षा रिपोर्ट का रिपोर्ट संलग्नक – ।

वर्ष 2016–17 के लिए कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 (5) के अन्तर्गत दिए गए निर्देशः

1. **क्या कंपनी का फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि पर क्रमशः स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख है? यदि नहीं, तो कृपया फ्रीहोल्ड और लीज़होल्ड भूमि के क्षेत्र का उल्लेख करें जिसके लिए अधिकार/पट्टा विलेख उपलब्ध नहीं है।**

   जी हां, कंपनी के पास फ्रीहोल्ड और लीजहोल्ड भूमि का स्पष्ट अधिकार/पट्टा विलेख है। तथापि, कंपनी की सेक्टर 20, उद्योग विहार, गुरूग्राम में पूर्ण स्वामित्व की 58 एकड़ ज़मीन के संबंध में हुडा ने 02 जून, 2017 को एक पुर्नग्रहण आदेश जारी किया था और उसके पश्चात उपरोक्त ज़मीन के संबंध में दिनांक 09.06.2017 को एक बेदखली आदेश हुआ। कंपनी ने माननीय पंजाब और हरियाणा कोर्ट के समक्ष पुर्नग्रहण आदेश को चुनौती दी थी। माननीय न्यायालय ने हुडा को पुर्नग्रहण आदेश पर स्टे लगाया है इसलिए उपरोक्त ज़मीन मुकदमें के अधीन है और मामला न्यायाधीन है।

2. **क्या लेनदार/ऋण/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने आदि का कोई मामला हुआ है, यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और उसमें कितनी राशि शामिल थी।**

   जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, वर्ष के दौरान लेनदारों/ऋणों/ब्याज आदि को माफ करने/बट्टे खाते में डालने का कोई मामला सामने नहीं आया है।

3. **क्या तृतीय पक्षकारों के पास पड़ी मालसूचियों का उचित रिकॉर्ड रखा गया है और सरकार या अन्य प्राधिकारियों से कोई उपहार/अनुदान के रूप में परिसंपत्तियां प्राप्त की गई हैं।**

   जैसा कि हमें स्पष्ट किया गया है, कंपनी का तृतीय पक्षकारों के पास कोई स्टॉक नहीं है और कंपनी को सरकार या अन्य प्राधिकारियों से कोई उपहार के रुप में कोई परिसम्पत्ति प्राप्त नहीं हुई हैं। हालांकि कंपनी को बीज परीक्षण प्रयोगशाला और बीज प्रसंस्करण संयंत्र की स्थापना के लिए अनुदान के रूप में 4.42 करोड़ रू0 की राशि प्राप्त हुई है।

कृते ए.के. बत्रा एण्ड एसोसिएट्स
सनदी लेखापाल
(फर्म पंजीकरण सं0 003499 एन)

हस्ता/–
सी.ए. अभिषेक बत्रा
भागीदार
(सदस्यता सं0 099121)

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः 30–08–2017

31.03.2017 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए एच.आई.एल. के लेखों पर सांविधिक लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और प्रबन्धन का जवाब

	टिप्पणियाँ	लेखा परीक्षा रिपोर्ट का संदर्भ	प्रबन्धन का जवाब
1.	क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय उत्तर में	राजस्व– पैरा 'क'	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवश्यक कार्रवाई प्रजनक बीजों की खरीद की जाएगी।
2.	सैप का पूंजीकरण	परिसम्पत्तियां– पैरा 'ख'	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
3.	वस्तुसूचियां	मामले की अवधारणा –पैरा 'क'	वस्तुसूची की आयु एकमात्र मापदंड नहीं है कि स्टॉक काम में लाने योग्य/उपयोगी है या नहीं। जहां काम में न लाने योग्य/अनुपायोगी के लिए प्रावधान आवश्यक है, उस लेखा पुस्तकों में रखा जाता है।
4.	ट्रेड प्राप्य	मामले की अवधारणा –पैरा 'ख'	ऋण की आयु एकमात्र मापदंड नहीं है कि ऋण संदेहपूर्ण है या नहीं। विभिन्न कारक जैसे विश्वसनीयता, विपणन स्टाफ की प्रतिक्रिया तथा वसूली की संभावना भी ऋण को बुरा और संदेहपूर्ण माना जाने के निर्णय के लिए प्रमुख हैं।
5.	अन्य चालू परिसम्पत्तियां एवं देनदारियां	मामले की अवधारणा –पैरा 'ग' और 'घ'	वित्तीय वर्ष 2017–18 में आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।
6.	दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	मामले की अवधारणा –पैरा 'ङ'	ऋणों और अग्रिमों पर टिप्पणियाँ संदिग्ध/गैर वसूलनीय की रूप में केवल अनुमानों के आधार पर हैं। जब भी संदिग्ध/गैर वसूलनीय के लिए प्रावधान अपेक्षित होता है, लेखा बही में प्रावधान किया जाता है।

कृते एवे निदेशक मंडल की ओर से

हस्ता/–
अंजन बनर्जी
(निदेशक वित्त)

हस्ता/–
एस.पी. मोहन्ती
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक

वार्षिक लेखा
2016–17

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड
31 मार्च, 2017 का तुलन पत्र
सीआईएन–यू24211डीएल1954जीओआई002377

(रु0 लाख में)

विवरण	नोट सं.	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
I इक्विटी तथा देयताएं			
1) अंशधारियों की निधि			
क) शेयर पूँजी	1	**9133.24**	9133.24
ख) प्रारक्षित एवं अधिशेष	2	**548.13**	222.12
2 आबंटन के समय शेयर उपयोगी धन			
3 गैर चालू देयताएं			
क) दीर्घावधि ऋण	3	**600.40**	982.00
ख) अन्य दीर्घ अवधि देयताएं	4	**755.39**	727.73
ग) दीर्घावधि प्रावधान	5	**2354.36**	2862.74
4 चालू देयताएं			
क) अल्पावधि ऋण	6	**11425.64**	8072.19
ख) व्यापार देय	7	**9786.23**	6325.36
ग) अन्य चालू देयताएं	8	**9606.90**	7792.87
घ) अल्पावधि प्रावधान	9	**1070.24**	908.17
जोड़		**45280.53**	37026.42
II परिसम्पत्तियाँ			
1 गैर वर्तमान परिसम्पत्तियाँ			
क) संपत्ति, संयंत्र और उपकरण			
i) ठोस परिसम्पत्तियाँ	10	**4300.88**	4392.50
ii) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	11	**0.00**	0.00
iii) पूँजीगत कार्य प्रगति पर		**1402.53**	1135.86
ख) गैर वर्तमान निवेश	12	**5.20**	5.20
ग) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	13	**737.29**	661.82
घ) अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्तियां	14	**33.25**	33.46
2 चालू परिसम्पत्तियाँ			
क) वर्तमान निवेश	15	**0.00**	0.00
ख) वस्तुसूचियाँ	16	**8745.51**	7987.37
ग) प्राप्य व्यापार	17	**23567.23**	20099.70
घ) नकद एवं नकद समतुल्य	18	**4004.46**	856.46
ङ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	19	**570.97**	718.87
च) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	20	**1913.20**	1135.18
जोड़		**45280.52**	**37026.42**

इस तिथि को हमारी रिपोर्टानुसार ए के बत्रा एसोसिएट्स सनदी लेखपाल एफ आर एन : 003499 एन

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(आर. धीमान)	**(जी. नाथ)**	**(अंजन बनर्जी)**	**(एस.पी. मोहन्ती)**	**(सीए अभिषेक बत्रा)**
कंपनी सचिव	महा प्रबंधक (वि. एवं ले.)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
		डीआईएनः 07761132	डीआईएनः 05336787	सदस्यता सं0 099121

स्थानः नई दिल्ली
दिनांक:30.08.2017

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड
31 मार्च, 2017 को समाप्त वर्ष का लाभ – हानि लेखा
सीआईएन–यू24211डीएल1954जीओआई002377

(रु0 लाख में)

	विवरण	नोट सं.	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
	राजस्व			
I	परिचालनों से राजस्व	21	**35791.13**	32030.37
II	अन्य आय	22	**793.83**	284.38
III	**कुल राजस्व (I+II)**		**36584.96**	32314.75
IV	**व्यय**			
क)	खपत की गई सामग्री की कीमत	23	**19923.98**	10667.14
ख)	व्यापार में स्टॉक की खरीद तैयार माल की वस्तुसूचियों, चालू कार्य तथा विक्रय स्टॉक में बदलाव	24	**(550.82)**	1740.64
ग)	रोज़गार हितलाभ व्यय	25	**9345.44**	10331.24
घ)	वित्त लागत	26	**1388.16**	1263.81
ङ)	मूल्यह्रास तथा परिशोधन व्यय	10	**552.68**	495.85
च)	अन्य खर्च	27	**5523.63**	7309.45
	कुल खर्च		**36183.04**	31808.13
V	**असाधारण एवं असामान्य मद से पूर्व लाभ**		**401.93**	506.62
VI	पूर्व अवधि आय		**12.02**	–275.93
VII	असाधारण मद		**0.00**	0.00
VIII	**असाधारण मद से पूर्व लाभ**		**413.95**	230.69
IX	असामान्य मद		**000**	0.00
X	**कर से पूर्व लाभ**		**413.95**	230.69
XI	सतत परिचालन के कर खर्च		**87.94**	47.89
XII	**सतत परिचालनों से अवधि के लिए लाभ/हानि**		**326.01**	182.80
XIII	**असतत परिचालनों से लाभ/हानि**		**0.00**	0.00
XIV	**असतत परिचालनों पर कर खर्च**		**0.00**	0.00
XV	**कर पश्चात् असतत परिचालनों से लाभ/हानि**		**0.00**	0.00
XVI	**अवधि के लिए लाभ/हानि (कर पश्चात् लाभ)**		**326.01**	182.80
XVII	**प्रति शेयर बेसिक आय (रु0 में)**		**36**	20
XVIII	**प्रति शेयर डिलूटड आय (रु0 में)**		**36**	20

इस तिथि को हमारी रिपोर्टानुसार ए के बत्रा एसोसिएट्स सनदी लेखपाल एफ आर एन : 003499 एन

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(आर. धीमान)	**(जी. नाथ)**	**(अंजन बनर्जी)**	**(एस.पी. मोहन्ती)**	**(सीए अभिषेक बत्रा)**
कंपनी सचिव	महा प्रबंधक (वि. एवं ले.)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
		डीआईएनः 07761132	डीआईएनः 05336787	सदस्यता सं0 099121

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः30.08.2017

नकद प्रवाह विवरण
31 मार्च, 2017 को वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरण

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
1. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
परिचालनों से निधि		
क. कर तथा असाधारण मदों से पूर्व लाभ	**413.95**	230.69
ख. जोड़िए		
– आधे वेतन पर चिकित्सा अवकाश/उपदान/छुट्टी वेतन/ बोनस/कर (निवल) के लिए प्रावधान	**192.46**	740.95
– ब्याज़ खर्च	**1388.15**	1263.81
– उत्पाद शुल्क के लिए प्रावधान	**(55.56)**	15.99
– संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	**40.58**	55.78
– परिसम्पत्तियों के बट्टे खाते डालने पर हानि	**0.00**	0.00
– मूल्यह्रास	**552.68**	495.85
– असाधारण मद – पूर्व अवधि मूल्यह्रास	**(2.30)**	(6.07)
उप जोड़ ख	**2116.01**	2566.31
ग. घटाइए:		
– बैंक खर्च	**(0.42)**	(0.96)
– स्टाफ एवं अन्य से ब्याज़	**(14.69)**	(12.14)
– परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	**(0.07)**	(0.69)
– प्रदत्त कर	**(6.96)**	(45.60)
– संदिग्ध ऋण दावे एवं अन्य वसूलियां/प्रतिलेखित किए गए	**(0.60)**	(8.48)
उप जोड़ ग	**(22.74)**	(67.87)
घ. कार्यशील पूँजी बदलावों से पूर्व परिचालन लाभ (क+ख+ग)	**2507.24**	2729.13
ङ. कार्यशील पूँजी बदलाव		
– वस्तुसूची में (वृद्धि)/कमी	**(702.57)**	2843.91
– ट्रेड प्राप्य में (वृद्धि)/कमी	**(3508.11)**	(3821.64)
– अलपावधि ऋण एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	**148.50**	(86.34)
– अन्य चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**(778.04)**	60.83
उप जोड़ ङ	**(4880.21)**	(1003.24)
च. वर्तमान देयताओं में वृद्धि/(कमी)		
– देय व्यापार में वृद्धि/(कमी)	**3460.87**	(981.76)
– अन्य चालू परिसम्पत्तियों में वृद्धि/(कमी)	**1814.03**	446.67
उप जोड़ च	**5274.90**	(535.09)
छ. कार्यगत पूँजी में बदलाव (घ+छ)	**434.69**	(1538.33)
निवेशन गतिविधियों से नकदी (ङ+च)	**2941.93**	1190.80
2. निवेशन गतिविधयों से नकद प्रवाह		
– स्थिर परिसम्पत्तियों की बिक्री	**0.09**	0.69
– स्थिर परिसम्पत्तियों की खरीद/पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	**(725.45)**	(843.10)
– उपदान ट्रस्ट में निवेश	**(1096.69)**	(1453.35)
– बैंक ब्याज़	**0.42**	0.96

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 को समाप्त वर्ष	31.03.2016 को समाप्त वर्ष
– स्टाफ एवं अन्यों से ब्याज़	**14.69**	12.14
– उपदान निधि पर ब्याज़	**476.95**	504.75
– दिर्घावधि ऋणों एवं अग्रिम में (वृद्धि)/कमी	**(75.48)**	(14.40)
– अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियों में (वृद्धि)/कमी	**0.21**	13.17
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	**(1405.27)**	(1779.13)
3. वित्तपोषण गतिविधियों से नकद प्रवाह		
– दिर्घावधि ऋणों में वृद्धि/(कमी)	**(381.60)**	(382.00)
– अन्य दिर्घावधि देयताओं में वृद्धि/(कमी)	**27.66**	198.12
– अल्पवधि ऋणों में वृद्धि/(कमी)	**3353.46**	2140.87
– ब्याज़ खर्च	**(1388.15)**	(1263.81)
वित्तपोषण गतिविधियों से निवल नकद प्रवाह	**1611.37**	693.18
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल वृद्धि/(कमी)	**3148.01**	104.85
नकद एवं नकद समतुल्य प्रारम्भिक शेष	**856.46**	751.61
नकद एवं नकद समतुल्य अन्तिम शेष	**4004.47**	856.46

नकद प्रवाह विवरण की टिप्पणीयां
नकद एवं नकद समतुल्य में निम्नलिखित सम्मिलित हैं:

	31.03.2017 को समाप्त वर्ष राशि (लाख में)	31.03.2016 को समाप्त वर्ष राशि (लाख में)
बैंक शेष	**3989.88**	545.25
गारन्टी	**11.32**	23.21
लियन के अधीन एफ डी आर	**0.00**	0.00
पास में चेक	**0.00**	283.11
पास में नकद	**3.20**	4.85
अन्य (स्टाम्प/पेशगी)	**0.06**	0.04
जोड़	**4,004.47**	856.46

इस तिथि को हमारी रिपोर्टानुसार ए के बत्रा एसोसिएट्स सनदी लेखपाल एफ आर एन : 003499 एन

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(आर. धीमान)	**(जी. नाथ)**	**(अंजन बनर्जी)**	**(एस.पी. मोहन्ती)**	**(सीए अभिषेक बत्रा)**
कंपनी सचिव	महा प्रबंधक (वि. एवं ले.)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
		डीआईएनः 07761132	डीआईएनः 05336787	सदस्यता सं0 099121

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः30.08.2017

वित्तीय विवरण टिप्पणियां

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
नोट सं0 1: शेयर पूँजी		
क) प्राधिकृत निर्गमित अभिद्धत तथा प्रदत्त शेयर और प्रति शेयर अधिमूल्य		
प्राधिकृत शेयर पूँजी		
1000/– रु0 प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1000/– रु0 प्रत्येक के 10,00,000 इक्विटी शेयर)	**10000.00**	10000.00
निर्गमित, अभिदत्त तथा प्रदत्तः		
1,000/– रु0 के 9,13,324 इक्विटी शेयर (गत वर्ष 1000/– रु0 प्रत्येक के 9,13,324 इक्विटी शेयर	**9133.24**	9133.24
ख) वर्ष के आरम्भ में तथा अन्त में बकाय इक्विटी शेयर की संख्या का मिलान		
वर्ष के आरम्भ में बकाया शेयरों की संख्या	**913324**	913324
जोड़िएः वर्ष के दौरान आबंटित शेयर की संख्या	**0**	0
वर्ष के अन्त में बकाया शेयरों की संख्या	**913324**	913324
ग) इक्विटी शेयर के साथ संलग्न शर्तें/अधिकार		
कंपनी के पास 1000/– रु0 प्रति शेयर अधिमूल्य के केवल एक श्रेणी के इक्विटी शेयर हैं।		
प्रत्येक शेयर होल्डर प्रति शेयर एक वोट का हकदार है।		
घ) 5ः से अधिक शेयर पूँजी रखने वाला शेयर धारक		
शेयर धारक का नाम	**भारत सरकार**	भारत सरकार
शेयरों की संख्या	**913324**	913324
स्वामित्व	**100%**	100%
शेयर का प्रत्यक्ष मूल्य	**9133.24**	9133.24
शेयर का प्रत्यक्ष मूल्य		

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
नोट सं0 2: प्रारक्षित एवं अधिशेष		
सामान्य प्रारक्षित		
लाभ एवं हानि लेखा में प्रारम्भिक शेष	**222.12**	123.22
घटाइए: गत वर्ष एम.ए.टी/मूल्यह्रास	**—83.90**	
जोड़िए: चालू वर्ष के अंतरण	**326.01**	182.80
अन्तिम शेष	**548.13**	222.12
97.80 लाख रुपये प्रस्तावित लाभांश कर के पश्चात लाभ का 30% है		
नोट नं0 3: दीर्घावधि ऋण		
सावधि ऋण:		
अप्रतिभूत		
भारत सरकार	**600.40**	982.00
जोड़	**600.40**	982.00

ऋण का ब्यौरा (भारत सरकार की सुनियोजित योजना के अधीन) पाँच समान वार्षिक किस्तों में / 11.50% प्रतिवर्ष की ब्याज दर पर देय है जिस पर कोई सिक्यूरिटी नहीं दी गई है।

वित्तीय वर्ष	ऋण की रकम	शेष
2009-10	993.00	794.40
2009-10	600.00	480.00
2009-10	900.00	900.00
2012-13	410.00	410.00
2014-15	400.00	400.00
2014-15	1100.00	1100.00
2015-16		
2016-17		
शेष	**4403.00**	**4084.40***

* नोट सं0 3 और 8 में दर्शाई गई है

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
नोट सं0 4: अन्य दीर्घावधि देयताएं		
अन्य		
सुरक्षा जमा/बयाना राशि	**755.39**	727.13
जोड़	**755.39**	727.13
नोट सं0 5: दीर्घावधि प्रावधान		
कर्मचारियों के हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए	**5705.34**	6378ण्29
घटाइएः एच.आई.एल कर्मचारी उपदान ट्रस्ट के लए अंतरित	**(5,716.82)**	(6,354.88)
छुट्टी वेतन के लिए	**2365.84**	2839.33
जोड़	**2354.36**	2862.74
नोट सं0 6: अल्पावधि ऋण		
प्रतिभूत		
बैंक से नकद क्रेडिट (कच्चे माल, निर्माणाधीन कार्य, तैयार माल तथा बही ऋण की एवज में प्रतिभूत)	**11425.64**	8072.19
जोड़	**11425.64**	8072.19
नोट सं0 7: व्यापार देय		
व्यापार देय (विविध लेनदार)	**9786.23**	6325.36
जोड़	**9786.23**	6325.36

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
नोट सं0 8: अन्य चालू देयताएं		
सरकारी ऋण	**3484.00**	3102.40
उपार्जित ब्याज तथा सरकारी ऋण पर देय	**1887.66**	1417.33
उपार्जित ब्याज परन्तु सरकारी ऋण पर देय नहीं	**160.46**	136.60
ग्राहकों से अग्रिम	**300.79**	383.29
एलआईसी प्रीमियम देय	**7.71**	2.39
कमीशन देय	**121.61**	146.25
अदत्त वेतन एवं मज़दूरी	**86.61**	14.34
बकाया देयताएं	**2993.20**	2135.74
सांविधिक देयताएं		
ईएसआई देय	**1.76**	0.94
भविष्य निधि देय	**71.63**	40.49
देय वेतन पर टीडीएस	**50.98**	16.99
देय वेतन के अलावा अन्य पर टीडीएस	**27.58**	25.16
सीएसटी देय	**259.39**	218.25
वैट देय	**34.72**	15.80
उत्पाद शुल्क देय	**89.64**	135.48
एस.बी.सी देय	**0.00**	0.81
कार्य संविदा देय	**0.74**	0.09
सेवा कर देय	**28.42**	0.52
जोड़	**9606.90**	**7792.87**

प्रति वर्ष बकाया ऋण और उस पर ब्याज (रु0 करोड़ में):

वर्ष	**मूलधन**	**ब्याज़**	**जोड़**
2011–12	4.99	**1.04**	6.03
2012–13	4.99	**2.50**	7.49
2013–14	5.80	**2.97**	8.77
2014–15	5.80	**2.97**	8.77
2015–16	5.62	**4.70**	10.32
2016–17	3.82	**4.70**	8.52
जोड़	31.02	**18.88**	49.90

नोट सं0 9: दीर्घावधि प्रावधान

कर्मचारियों के हितलाभ के लिए प्रावधान		
उपदान के लिए	**223.94**	125.02
छुट्टी वेतन के लिए	**755.81**	775.98
बोनस के लिए	**2.55**	0.21
अन्य प्रावधान		
कराधान के लिए	**87.94**	6.96
जोड़	**1070.24**	908.17

नोट सं0 10 : संपत्ति, संयंत्र और उपकरण – ठोस

वर्ष के आरम्भ तथा अन्त में सकल अग्रेनीत राशि तथा निवल अग्रेनीत राशि का समाधान

(रु0 लाख में)

	सकल अग्रेनीत राशि				संचित मूल्यह्रास					संचित हानि				निवल अग्रेनीत राशि	
विवरण	**1 अप्रैल, 2016 तक**	**वर्ष के दौरान अभिवृद्धि समायोजन**	**वर्ष के दौरान कटौती**	**31 मार्च, 2017 तक**	**1 अप्रैल, 2016 तक**	**वर्ष के दौरान दिया गया**	**प्रतिधारित आय से समायोजित**	**वर्ष के दौरान कटौती**	**31 मार्च, 2017 तक**	**31 मार्च, 2016 तक**	**वर्ष के दौरान परिवर्तित**	**वर्ष के दौरान दिया गया**	**31 मार्च, 2017 तक**	**31 मार्च, 2017 तक**	**31 मार्च, 2016 तक**
1. भूमि – अपना	431.66	0	0	431.66	0	0	0	0	0.00	0	0	0	0	431.66	431.66
2. भूमि – पट्टे पर	2.94	0	0	2.95	1.94	0.03	0.00	0.00	1.97	0	0	0	0	0.98	1.00
3. भवन	2667.38	81.57	0	2748.95	1177.94	66.63	-2.02	0	1242.55	0	0	0	0	1506.40	1489.44
4. संयंत्र एवं उपस्कर	11451.23	299.78	0	11751.01	9144.91	438.99	-0.27	0.00	9583.63	0	0	0	0	2167.38	2306.32
5. फर्नीचर एवं फिक्सर	90.18	21.9	0.49	111.59	77.60	4.52	0.00	0.48	81.64	0	0	0	0	29.95	12.58
6. गाड़ियाँ	68.31	27.56	0	95.87	50.78	7.41	0.00	0	58.19	0	0	0	0	37.68	17.53
7. कार्यालय उपस्कर	429.39	15.14	0.04	444.49	321.33	21.11	0.00	0.04	342.40	0	0	0	0	102.09	108.06
8. कंप्यूटर	140.35	12.84	0.39	152.80	120.96	10.49	0.00	0.38	131.07	0	0	0	0	21.73	19.39
9. अन्य	23.76	0	0	23.76	17.24	3.50	0.00	0.00	20.74	0	0	0	0	3.02	6.52
कुल	**15305.20**	**458.79**	**0.92**	**15763.08**	**10912.70**	**552.68**	**-2.29**	**0.90**	**11462.19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**4300.89**	**4392.50**
पूँजीगत प्रगतिशील कार्य	1135.86	313.33	46.66	1402.53	0	0		0	0.00					1402.53	1135.86
कुल जोड़	**16441.06**	**772.12**	**47.58**	**17165.61**	**10912.70**	**552.68**	**-2.29**	**0.90**	**11462.19**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5703.42**	**5528.36**
गत वर्ष	15628.96	1677.44	865.33	16441.06	10453.92	505.10	-6.09	40.23	10912.70	0.00	0.00	0.00	0.00	5528.36	

नोट सं0 11 : स्थिर परिसम्पत्तियां–अमूर्त

वर्ष के आरम्भ तथा अन्त में सकल अग्रेनित राशि तथा निवल अग्रेनित राशि का समाधान

(रु0 लाख में)

	सकल अग्रेनित राशि				संचित मूल्यह्रास					संचित हानि				निवल अग्रेनीत राशि	
विवरण	**31 मार्च, 2016 तक**	**वर्ष के दौरान अभिवृद्धि समायोजन**	**वर्ष के दौरान कटौती**	**31 मार्च, 2017 तक**	**31 मार्च, 2016 तक**	**वर्ष के दौरान दिया गया**	**प्रतिधारित आय से समायोजित**	**वर्ष के दौरान कटौती**	**31 मार्च, 2017 तक**	**31 मार्च, 2016 तक**	**वर्ष के दौरान परिवर्तित**	**वर्ष के दौरान दिया गया**	**31 मार्च, 2017 तक**	**31 मार्च, 2017 तक**	**31 मार्च, 2016 तक**
1. गुडविल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. ब्रैंड / ट्रेड मार्क	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3. कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4. मस्तूल शिखर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5. खनन अधिकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6. प्रतिलिप्याधिकार	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7. एकस्वकृत	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
जोड़	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
नोट सं0 12: गैर वर्तमान निवेश		
इक्विटी शेयरों में निवेश (अनुद्धृत)		
क) केरल इन्वीरो इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, कोचीन में प्रति शेयर 10/– रु0 के 50,000/– इक्विटी शेयर	**5.00**	5.00
ख) 100 रु0 प्रति के 100 इक्विटी शेयर?		
– एच.आई.एल कर्मचारी सहकारी क्रेडिट सोसायटी लिमिटेड, उद्योगमंडल	**0.10**	0.10
– एच.आई.एल उपभोक्ता सहकारी स्टोर लिमिटेड, उद्योगमंडल	**0.10**	0.10
जोड़	**5.20**	5.20
नोट सं0 13: दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम		
प्रतिभूत जमा		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	**0.00**	0.00
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**159.58**	155.24
संदिग्ध	**0.00**	0.00
घटाइए: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**0.00**	0.00
जोड़	**159.58**	155.24
क अन्य ऋण और अग्रिम		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	**0.00**	0.00
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**577.71**	506.58
संदिग्ध	**41.40**	41.40
घटाइए: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**41.40**	41.40
जोड़	**577.71**	506.58
कुल जोड़	**737.29**	661.82

तीन वर्षों से अधिक बकाया ऋण एवं अग्रिम के लिए कोई प्रावधान नहीं है जिसकी राशि 642.88 लाख रु0 है (गत वर्ष 455.23 लाख रु0)

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
नोट सं0 14: अन्य गैर वर्तमान परिसम्पत्तियॉ		
क दीर्घावधि प्राप्य व्यापार		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	**0.00**	0.00
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**0.00**	0.00
संदिग्ध	**0.00**	0.00
घटाइए: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**0.00**	0.00
जोड़	**0.00**	0.00
ख अन्य		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	**0.00**	0.00
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**33.25**	33.46
संदिग्ध	**61.69**	61.69
घटाइए: अशोध्य तथा संदिग्ध अग्रिम के लिए प्रावधान	**61.69**	61.69
जोड़	**33.25**	33.46
कुल जोड़	**33.25**	33.46
नोट सं0 15: वर्तमान निवेश		
क) इक्विटी में निवेश	**0.00**	0.00
ख) अधिमान शेयरों में निवेश	**0.00**	0.00
ग) सरकार अथवा ट्रस्ट प्रतिभूतियों में निवेश	**0.00**	0.00
घ) डिबेंचर अथवा बॉण्ड्स में निवेश	**0.00**	0.00
ङ) अन्य निवेश	**0.00**	0.00
जोड़	**0.00**	0.00

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
नोट सं0 16: वस्तुसूचियॉ		
क. कच्ची सामग्री		
स्टॉक में	**2017.21**	1966.95
ख. निर्माणाधीन		
स्टॉक में	**1984.01**	1180.26
ग. तैयार माल		
स्टॉक में	**3412.92**	3665.92
मार्गस्थ	**0.00**	0.00
उपोत्पाद	**0.08**	0.00
अविक्रेय स्टॉक के लिए प्रावधान	**–300.67**	–278.06
घ. भण्डार एवं अतिरिक्त		
स्टॉक में	**985.94**	737.24
मार्गस्थ	**0.00**	0.00
ङ. खुले औजार		
स्टॉक में	**1.42**	1.26
च. पैकिंग सामग्री		
स्टॉक में	**619.29**	674.82
छ. ईंधन		
स्टॉक में	**25.31**	38.98
जोड़	**8745.51**	7987.37

263.47 लाख रु0 के भण्डारण एवं अतिरिक्त पुर्जे (गत वर्ष 270.37 लाख रु0) तथा 202.26 लाख रु0 का कच्चा माल तथा पैकिंग सामग्री (गत वर्ष 153.71 लाख रु0) तीन वर्षों से अधिक अवधि से सक्रिय नहीं हैं, इनके लिए कोई प्रावधान नहीं, चूँकि इन्हें सेवा योग्य/प्रयोग योग्य समझा गया है।

(रु0 लाख में)

विवरण	**31.03.2017 तक**	31.03.2016 तक

नोट सं0 17: व्यापार प्राप्य

क भुगतान के लिए देय तिथि से छः माह से अधिक बकाया प्राप्य व्यापार		
प्रतिभूत खरे, समझे गए	0.00	0.00
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	12078.52	8772.76
संदिग्ध	60.68	55.18
घटाइए: अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	60.68	55.18
जोड़ (क)	**12078.52**	8772.76
ख प्राप्य व्यापार (अन्य)		
प्रतिभूत खरे, समझे गए	0.00	0.00
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	11488.71	11326.94
संदिग्ध	0.00	0.00
घटाइए: अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	0.00	0.00
घटाइए: विविध देनदारियों के लिए आरक्षित–इण्डोसल्फॉन बिक्री	0.00	0.00
जोड़ (ख)	11488.71	11326.94
जोड़ (क+ख)	23567.23	20099.70

तीन वर्षों से अधिक समय से बकाया विविध देनदारों जो 3665.59 लाख रु0 है (गत वर्ष 2945.44 लाख रु0) के लिए कोई प्रावधान नहीं रखा गया है।

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
नोट सं0 18: नकद एवं नकद समतुल्य		
क बैंक के पास शेष		
I किसी विशेष उद्देश्य के लिए बैंक शेष		
चालू खाते/बचत खाते में	**3989.88**	545.25
II मार्जिन धन अथवा प्रतिभूति की एवज में रखा गया बैंक शेषः		
क) ऋण	**0.00**	0.00
ख) गारंटी	**11.32**	23.21
ग) अन्य प्रतिबद्धताएं	**0.00**	0.00
III एफडीआर (लियन अधीन)	**0.00**	0.00
ख पास में चैक, डिमांड ड्राफ्ट		
पास में चैक	**0.00**	0.00
पास में डिमांड ड्राफ्ट	**0.00**	283.11
ग पास में नकद	**3.20**	4.85
घ अन्य (स्टाम्पस/अग्रदाय)	**0.06**	0.04
जोड़	**4004.46**	856.46
नोट सं0 19 : अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम		
प्रतिभूत, खरे समझे गए	**181.68**	223.60
अप्रतिभूत, खरे समझे गए	**389.29**	495.27
संदिग्ध	**0.76**	3.00
घटाइएः अशोध्य और संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	**0.76**	3.00
जोड़	**570.97**	718.87
नोट सं0 20 : अन्य वर्तमान परिसम्पत्तियाँ		
उपार्जित ब्याज एवं जमा/अग्रिम पर देय	**1.07**	1.49
पूर्वदत्त व्यय	**10.46**	6.42
सरकार/आईपीएफटी/रेनपेप/अन्यों से वसूलनीय राशि	**1122.82**	438.61
प्रतिभूति एवं अन्य जमा	**25.75**	36.43
आपूर्तिकर्ताओं को अग्रिम	**624.54**	510.55
राजस्व प्राधिकारियों के पास शेष		
अग्रिम कर	**123.22**	141.46
सेवा कर/प्राप्य टी डी एस/शुल्क और करों	**31.15**	26.03
घटाइएः प्रावधान	**25.81**	25.81
जोड़	**1913.20**	1135.18

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक

नोट नं0 21 : राजस्व बिक्री

प्रचालनों से राजस्व

उत्पादों की बिक्री	**36951.27**	33474.68
घटाइएः उत्पाद शुल्क	**1160.14**	1444.31
जोड़	**35791.13**	32030.37

वर्ष 2016–17 के लेखों में अपनाई गई मूल्य भिन्नता अनन्तिम मूल्यों से अधिक है, जिन मूल्यों पर बिक्री में एनवीबीडीसीपी को 3093.54 लाख रू0 की आपूर्ति की गई है।

नोट नं0 22 : अन्य आय

ब्याज		
बैंक से	**0.42**	0.96
स्टाफ एवं अन्य से	**14.69**	12.14
विदेशी मुद्रा का अंतर	**0.00**	0.80
किराया	**6.84**	4.59
निर्यात लाभ	**5.03**	59.81
प्रयोगात्मक कृषि उत्पादन आय	**0.00**	4.35
परिसम्पत्तियों की बिक्री पर लाभ	**0.07**	0.69
संदिग्ध ऋण दावे एवं अन्य वसूलियां/प्रतिलेखित किए गए	**0.60**	8.48
देयताएं/प्रावधान प्रतिलेखित किए गए	**294.60**	5.73
सहायिकी	**265.72**	98.96
विविध आय	**205.86**	87.87
जोड़	**793.83**	284.38

नोट सं0 23 : खपत की गई कच्ची सामग्री की कीमत

प्रारम्भिक स्टॉक	**1966.95**	2924.70
खरीद	**20066.55**	9825.87
कुल	**22033.50**	12750.57
बिक्री/समायोजन	**64.34**	62.86
घटाइएः अन्य विभागों में खपत	**27.97**	53.62
	21941.19	12634.09
घटाइएः अंतिम स्टॉक	**2017.21**	1966.95
जोड़	**19923.98**	10667.14

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
नोट सं0 24: वस्तुसूचियों में बदलाव		
आरंभिक स्टॉक		
तैयार उत्पाद	**3665.92**	4040.02
उपोत्पाद	**0.00**	0.21
निर्माणाधीन कार्य	**1180.26**	2546.60
	4846.18	6586.83
घटाइए: स्टॉक पर उत्पाद शुल्क	**0.00**	0.00
	4846.18	6586.83
अन्तिम स्टॉक		
तैयार उत्पाद	**3412.92**	3665.92
उपोत्पाद	**0.08**	0.01
निर्माणाधीन कार्य	**1984.01**	1180.26
	5397.01	4846.19
वृद्धि(–)/कमी(+)	**–550.83**	1740.64
नोट सं0 25: कर्मचारियों के हितलाभ व्यय		
वेतन एवं प्रोत्साहन	**7140.30**	7907.16
भविष्य निधि में अंशदान	**766.83**	796.79
उपदान निधि अंशदान	**66.19**	163.50
स्टाफ कल्याण खर्च	**1353.52**	1452.37
कर्मचारी राज्य बीमा का अंशदान	**9.55**	6.52
एचआईएल कर्मचारी कल्याण निधि को अंशदान	**0.51**	0.62
बोनस	**8.54**	4.28
जोड़	**9345.44**	10331.24
नोट सं0 26: वित्त व्यवस्था लागत		
ब्याज़ खर्च		
सरकारी ऋण	**428.31**	428.31
अन्य ऋण लागत		
नकद क्रेडिट पर ब्याज़	**1150.75**	1063.11
अन्य ब्याज़	**0.00**	**0.00**
घटाइए: पूँजीगत निर्माणधीन कार्य में सम्मिलित धनराशि	**190.90**	227.61
जोड़	**1388.16**	1263.81

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
नोट सं0 27: अन्य व्यय		
विर्निमाणन / उत्पादन व्यय		
पुनः पैकिंग एवं फार्मुलेशन प्रभार	**26.72**	29.28
खपत की गई पैकिंग सामग्री	**604.50**	700.75
भण्डार एवं अतिरिक्त खपत	**59.89**	18.88
आन्तरिक ढुलाई	**141.79**	58.99
ऊर्जा, ईंधन और पानी	**1568.15**	1578.33
अनुसंधान एवं विकास एवं प्रयोगशाला व्यय	**17.57**	27.61
अन्य कार्य / फुटकर कार्य व्यय	**237.34**	227.60
आरम्भिक और अंमित स्टॉक पर उत्पाद शुल्क का अंतर	**(55.56)**	15.99
बीज विकासधीन	**219.86**	1810.78
एम.आई.डी.एच खर्च		
खर्च 234.94		
घटाइये अनुदान (233.01)	**1.93**	–
मरम्मत एवं रखरखाव		
मशीनरी एवं संयत्र पर	**328.75**	328.94
भवन	**135.96**	175.08
अन्य पर	**54.16**	53.28
बिक्री एवं प्रशासनिक व्यय		
किराया	**87.30**	80.87
दरें और कर	**62.16**	99.35
बीमा	**46.21**	60.28
सी एस आर व्यय	**14.76**	19.60
स्वच्छ भारत उपकर	**5.98**	1.35
बिजली एवं पानी प्रभार	**27.40**	28.84
विज्ञापन	**104.65**	46.51
प्रचार–प्रसार	**50.53**	32.56
प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी	**22.17**	23.98
डाक, टेलीफोन एवं ई–मेल व्यय	**48.37**	32.25
यात्रा खर्च		
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	**0.00**	2.00
निदेशक	**11.36**	6.43
अन्य	**109.99**	161.20
गाड़ी चलाने तथा रख–रखाव पर व्यय	**25.21**	17.43
कानूनी तथा पेशेवर प्रभार	**96.43**	104.81
लेखा परीक्षकों को भुगतान		
लेखा परीक्षक	**3.45**	3.45
कराधान मामलों के लिए	**1.73**	1.73
खर्चों की प्रतिपूर्ति के लिए	**1.17**	0.68
आंतरिक एवं अन्य लेखा परीक्षा शुल्क	**3.27**	3.27

(रु0 लाख में)

विवरण	31.03.2017 तक	31.03.2016 तक
सीआईएसएफ/सुरक्षा खर्च	**281.79**	231.54
स्टाफ को प्रशिक्षण के लिए खर्च	**49.57**	10.47
भर्ती पर खर्च	**4.97**	14.15
गेस्ट हाउस के लिए खर्च	**12.50**	10.36
फाइलिंग शुल्क	**0.91**	8.87
टाउनशिप/भूमि रख–रखाव खर्च	**37.23**	43.23
अभिदान और सदस्यता शुल्क	**4.03**	8.38
समाचार–पत्रों एवं पत्रिकाएं	**0.53**	1.14
बैंक प्रभार	**77.93**	54.41
विदेशी मुद्रा अन्तर (निवल)	**5.69**	(0.61)
भाड़ा ढुलाई एवं रख–रखाव व्यय	**549.63**	729.40
विविध व्यय	**80.44**	95.77
मनोरंजन व्यय	**44.52**	23.83
बिक्री पर नकद छूट/कटौती	**242.22**	118.56
कमीशन	**15.29**	145.22
बिक्री पर हानि/बट्टे खाते में डाली गई परिसम्पत्तियाँ	**0.00**	0.00
संदिग्द्ध ऋण/दावों के लिए प्रावधान	**17.97**	17.13
कालावधि समापत स्टॉक के लिए प्रावधान	**22.61**	38.65
कंप्यूटर व्यय	**12.59**	10.05
विविध राशि बट्टेखाते में डाली गई	**0.01**	0.07
विलम्ब शुल्क	**0.00**	0.00
जोड़	**5523.63**	7309.45

नोट सं0 28: पूर्व अवधि समायोजन

असाधारण व्यय		
बिक्री	**0.00**	0.00
समाग्री	**8.48**	22.40
बिक्री एवं प्रशासनिक व्यय	**0.00**	29.25
कर	**1.68**	144.50
ब्याज़	**0.00**	1.93
अन्य	**5.44**	22.16
जोड़	**15.60**	305.05
असाधारण आय		
अन्य आय	**1.06**	0.00
समाग्री	**1.67**	0.93
कार्मिक	**0.16**	0.00
बिक्री एवं प्रशासनिक व्यय	**1.88**	17.60
कर	**15.45**	3.04
ब्याज़	**0.00**	0.00
जोड़	**27.62**	29.13
निवल	**12.02**	–275.92

29) आकस्मिक देयताएं तथा वचनबद्धताएं (जिसके लिए प्रावधान नहीं किया गया है)

विवरण	31 मार्च, 2017 तक	31 मार्च, 2016 तक
क) आकस्मिक देयताएं		
क) कंपनी पर ऐसे दावे जिन्हें ऋण नहीं माना गया है।	15,50,58,206	16,20,50,414
ख) अधिकारियों एवं कर्मचारियों का वेतन संशोधन बकाया (1.1.2007 / 1.04.2007 से 27.04.2011 तक)	11,05,70,480	13,45,50,241
ख) वचनबद्धताऐं		
क) संविदाओं की अनुमानित राशि, जो पूंजीगत लेखे पर लिखनी हैं तथा जिनके लिए प्रावधान नहीं किया गया है।	23,87,14,92	26,00,084
ख) एसपीसीएल के पक्ष में दी गई काउंटर गारंटी	84,77,55,000	75,18,89,000
ग) अन्य	11,36,79,934	7,36,63,899
जोड़ (क + ख)	125,09,35,112	112,47,53,638

30) यदि वित्तीय संस्थानों द्वारा सदर्न पेस्टिसाइड्स कारपोरेशन लि0 मामले में दी गई काउंटर गारंटी (जिसे आकस्मिक देनदारी के रूप में दर्शाया गया है) की मांग की जाती है तो आर्थिक मंत्रिमण्डलीय समिति (सीसीईए) द्वारा दिनांक 27 जुलाई, 06 को किए गए अनुमोदन के अनुसार भारत सरकार सहायता प्रदान करेगी।

31) भारत सरकार के अनुमोदन से वेतनमान लागू हो गए हैं। अधिकारियों एवं कर्मचारियों का दिनांक 1.1.2007 / 1.4.2007 से 27.4.2011 तक का बकाया सरकार से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् तभी देय होगा, जब कंपनी सरकार को संतुष्टिकरण के लए उत्पादक तथा लाभप्रदत्ता में सुधार के माध्यम से पर्याप्त अतिरिक्त संसाधन प्राप्त करेगी।

32) कुछ विविध देनदारों, विविध लेनदारों तथा ऋण व अग्रिम के शेष की संपुष्टि / मिलान समायोजन किया जाना है।

33) संबंधित पार्टी प्रकटीकरण :

मुख्य प्रबन्धन कार्मिकः

क) श्री एस.पी. मोहन्ती, निदेशक (विपणन) / अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक का अतिरिक्त प्रभार

ख) श्री अंजन बनर्जी, निदेशक (वित्त) (15.02.2017 से)

ग) श्री रूपेन्द्र धीमान, कंपनी सचिव

संबंधित पार्टियो से लेन–देन निम्नानुसार हैः–

नाम	लेन–देन की प्रकृति	राशि (रू0)
श्री एस.पी मोहन्ती	पारिश्रमिक	23,05,444 / –
श्री अंजन बनर्जी	पारिश्रमिक	2,81,767 / –
श्री रूपेन्द्र धीमान	पारिश्रमिक	9,89,388 / –

34) (क) 31.03.2008 तक सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लि0 (एस.पी.सी.एल) की इक्विटी पूँजी 496.66 लाख रूपये (प्रत्येक 1,000 / – रूपये मूल्य के 49,666 शेयर) हैं। एस.पी.सी.एल का ममला बीआईएफआर को सौंप दिया गया था तथा बीआईएफआर ने एस.पी.सी.एल परिसमाप्त करने का नोटिस जारी कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय, आध्र प्रदेश ने एस.पी. सी.एल को दिनांक 2 अप्रैल, 2002 से बन्द करने का ओदश जारी कर दिया है और कंपनी की सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ सरकारी परिसमापक को सौंप दी गई हैं। चूँकि निवेश, विविध देनदारों तथा ऋण व अग्रिम से किसी प्रकार का प्रतिफल / भुगतान प्राप्त होना संदेहास्पद है, अतः वर्ष 2009–10 में निवेश और विविध देनदारों तथा ऋण व अग्रिम से संबद्ध संपूर्ण राशि को अपलिखित किया गया है।

(ख) चूँकि सहायक कंपनी एस.पी.सी.एल के परिसमापक की प्रक्रिया जारी है तथा इसकी सभी परिसंपत्तियाँ एवं देनदारियाँ सरकारी परिसमापक को सौंप दी गई हैं, अतः इसे प्रचालित किए जाने की संभावना नहीं है और इसके परिणामस्वरूप इस कंपनी द्वारा अपना कोष अपनी मूल कंपनी अर्थात एच.आई.एल को वापस करने के मार्ग में बड़ी बाधा है। तद्नुसार, लेखांकन मानक – 21 के अनुसार एस.पी.सी.एल के लेखे को कंपनी के लेखे के साथ समेकित नहीं किया जा रहा है।

35) टाउनशिप (पट्टाधारित) में से 2,158 वर्ग गज जमीन दिल्ली नगर निगम द्वारा अधिगृहित कर ली गई है। कंपनी ने इस मामले में 4.32 लाख रूपए का दावा किया है। दिल्ली विकास प्राधिकरण से 'अनापत्ति प्रमाप–पत्र' नहीं मिल पाने के कारण दावे का निपटारा नहीं किया जा सका है। दिल्ली विकास प्राधिकरण ने 'अनापत्ति प्रमाण–पत्र' जारी करने के लिए अन्तरण लेवी (महसूस) शुल्क के रूप में 1.10 लाख रूपए की मांग की है। इस मामले का निपटारा हो जाने के बाद लेखे में समायोजन कर दिया जाएगा।

36) कंपनी की सेक्टर 20 उद्योग विहार, गुरूग्राम में 58 एकड़ फ्रीहोल्ड जमीन है। 2 जून, 2017 को, हुडा ने एक पुनर्ग्रहण आदेश जारी किया जिसके बाद 9.06.2017 को उपरोक्त भूमि के संबंध में एक बेदखली आदेश दिया गया। कंपनी ने माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय में पुनर्ग्रहण आदेश को चुनौती दी थी। माननीय कोर्ट ने हुडा द्वारा जारी किए गए पुनर्ग्रहण के आदेश पर रोक लगा दी थी। अब तक, यह मामला न्यायाधीन है।

37) वित्तीय वर्ष 2013–14 (निर्धारण वर्ष 2014–15) तक के आय कर निर्धारण का कार्य पूर कर लिया गया है। कुछ निर्धारण के संबंध में कंपनी ने अपील कर दी है। इस अपील के निपटान के कारण देय किसी आकस्मिक देनदारी तथा जुर्माने, यदि कोई हो, के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है।

38) कंपनी एक खण्ड अर्थात कृषि उत्पादों, कीटनाशकों और उर्वरकों का कारोबार कर रही है। लेखांकन मानक एएस–17 के अन्तर्गत खण्ड रिपोर्टिंग लागू नहीं है।

39) दिनांक 31.03.2017 तक सूक्ष्म एवं लघु उद्योग, जिनका कंपनी पर एक लाख रू0 से अधिक ऐसा ऋण, जो 30 दिनों से अधिक का बकाया है, शून्य हैं।

40) लेखांकन मानक–28 के अनुसार परिसम्पत्तियों की हानि के लिए कोई प्रावधान करना आवश्यक नहीं समझा गया है, क्योंकि परिसम्पत्तियों के बही मूल्य के अनुसार परिसम्पत्तियों के प्रयोग या निपटान से वसूलनीय राशि अधिक नहीं होती है।

41) 08.11.2016 से 30.12.2016 की अवधि के दौरान रखे गए और लेन–देन किए गए विनिर्दिष्ट बैंक नोटों (एसबीएन) का विवरण नीचे दिया गया है:

विवरण	विनिर्दिष्ट बैंक नोट (रु0)	अन्य डिनोमिनेशन नोट (रु0)	कुल (रु0)
08.11.2016 को हाथ में अंतिम नकद	293000.00	109694.55	402694.55
(+) अनुमति प्राप्त प्राप्तियां	–	602854.00	602854.00
(-) अनुमति प्राप्त भुगतान	–	509145.50	509145.50
(-) बैंक जमा राशि	293000.00	–	293000.00
30.12.2016 को हाथ में अंतिम नकद	–	203403.05	203403.05

42) लेखांकन मानक–15(आर) के अनुसार प्रकटीकरण:–

लेखांकन नीति की श्रृंखला में तथा लेखांकन मानक–15(आर) के अनुसार पोस्ट इम्लायमेंट हितलाभों की संक्षिप्त स्थिति को लाभ एवं हानि लेखा तथा तुलन–पत्र में निम्नानुसार स्वीकृति दी जाती है:–

क) तुलन पत्र की तारीख को मूल बीमांकिक धारणा (भारित औसत के रूप में अभिव्यक्त)

विवरण	उपदान		छुट्टी वेतन	
	2016–17	2015–16	2016–17	2015–16
छूट दर	6.70%	7.70%	6.70%	7.70%
संपूर्ति स्तर में वृद्धि की दर	6.00%	8.00%	6.00%	8.00%
सुनियोजित परिसम्पत्तियों पर लाभ की दरः	8.35%	8.45%	.....	.....

ख) अवधि के दौरान दायित्व के वर्तमान मूल्य में बदलाव

विवरण	**उपदान**	**छुट्टी वेतन**
शुरूआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	65,03,30,773	36,15,31,240
अर्जन समायोजन	..	....
ब्याज लागत	5,00,75,470	2,78,37,905
पूर्व सेवा लागत	..	....
वर्तमान सेवा लागत	2,14,49,621	3,57,93,820
संक्षिप्त कार्य लागत/क्रेडिट	..	....
निपटान लागत/ क्रेडिट	..	....
लाभ चुकता (उद्यमों द्वारा)	(1,80,662)	(6,17,59,796)
लाभ चुकता (निधि से)	(11,15,35,397)	....
बीमांकिक (लाभ)/दायित्वों पर हानि	(1,72,11,334)	(5,12,38,109)
अवधि के अन्त में दायित्वों का वर्तमान मूल्य	59,29,28,471	31,21,65,060

ग) अवधि के दौरान योजनागत परिसम्पत्तियों के उचित मूल्य में बदलाव

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
अवधि की शुरूआत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	63,54,88,401	..
अर्जन समायोजन	..	..
योजनागत परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	5,36,98,770	..
अंशदान	34,122	..
लाभ प्रदत्त	(11,15,35,397)	..
योजनागत परिसम्पत्तियों पर बीमांकिक लाभ/(हानि)	(60,04,110)	..
अवधि के अन्त में योजनागत परिसम्पत्तियों पर उचित मूल्य	57,16,81,786	..

घ) योजनागत परिसम्पित्तियों का उचित मूल्य

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
अवधि की शुरूआत में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	63,54,88,401	..
अर्जन समायोजन	..	..
योजनागत परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	4,76,94,660	..
अंशदान	34,122	..
लाभ प्रदत्त	(11,15,35,397)	..
अवधि के अन्त में योजनागत परिसम्पत्तियों पर उचित मूल्य	57,16,81,786	..
निधिक स्थिति	(2,12,46,685)	(31,21,65,060)
योजनागत परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ की तुलना में वास्तविक की अधिकता	(60,04,110)	..

ङ) अवधि के लिए मान्य बीमांकिक लाभ/हानि

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
अवधि के लिए – आबंध बीमांकिक लाभ/हानि	1,72,11,334	5,12,38,109
अवधि के लिए बीमांकिक लाभ/हानि–योजनागत परिसम्पत्तियाँ	60,04,110	..
अवधि के लिए कुल (लाभ)/हानि	(1,12,07,224)	(5,12,38,109)
अवधि में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1,12,07,224)	(5,12,38,109)
अवधि के अन्त में अमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानियाँ	..	..

च) तुलन–पत्र तथा लाभ एवं हानि विवरण में मान्य राशि

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
अवधि के अन्त में आबन्ध का वर्तमान मूल्य	59,29,28,471	31,21,65,060
अवधि के अन्त में योजनागत परिसम्पत्तियों का उचित मूल्य	57,16,81,786	..
निधिक स्थिति	(2,12,46,685)	(31,21,65,060)
आमान्य बीमांकिक (लाभ)/हानियाँ	..	..
अमान्य पूर्व सेवा लागत (गैर निहित लाभ)	..	..
तुलन–पत्र में मान्य निवल देयता	2,12,46,685	31,21,65,060

छ) अवधि के लिए लाभ एवं हानि के ब्यौरे में मान्य व्यय

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
वर्तमान सेवा लागत	2,14,49,621	3,57,93,820
पूर्व सेवा लागत	...	..
ब्याज़ लागत	5,00,75,470	2,78,37,905
सुनियोजित परिसम्पत्तियों पर अनुमानित प्रतिलाभ	(5,36,98,770)	..
कटौती लागतध (क्रेडिट)	...	..
निपटान लागतध (क्रेडिट)	...	..
अवधि में मान्य निवल बीमांकिक (लाभ)/हानि	(1,12,07,224)	(5,12,38,109)
लाभ एवं हानि के ब्यौरे में मान्य व्यय	66,19,097	1,23,93,616

ज) वर्तमान अवधि के लिए राशि

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
आबन्ध का वर्तमान मूल्य	59,29,28,471	31,21,65,060
योजनागत परिसम्पत्तियाँ	57,16,81,786	..
अतिरिक्त(घाटा)	(2,12,46,685)	(31,21,65,060)
योजनागत देयताओं पर आनुभाविक समायोजन– (घाटा)/लाभ	2,71,24,801	4,11,06,372
योजनागत परिसम्पत्तियों पर आनुभाविक समायोजन– (घाटा)/लाभ	(60,04,110)	..

झ) लाभ एवं हानि विवरण में व्यय का समाधान विवरण

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
अवधि के अन्त में आबन्धों का वर्तमान मूल्य	59,29,28,471	31,21,65,060
अवधि के आरम्भ में आबन्धों का वर्तमान मूल्य	(65,03,30,773)	(36,15,31,240)
प्रदत्त लाभः		
(i) उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से भुगतान किया गया	1,80,662	6,17,59,796
(ii) निधि से भुगतान किया गया	11,15,35,397	..
योजनागत परिसम्पत्तियों पर वास्तविक प्रतिलाभ	(4,76,94,660)	..
लाभ एवं हानि विवरण में स्वीकृत व्यय	66,19,097	1,23,93,616

ञ) तुलन–पत्र में स्वीकृत देयताओं में उतार – चढ़ाव

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
प्रारम्भिक निवल देयताएं	1,48,42,372	36,15,31,240
उपरोक्तानुसार व्यय	66,19,097	1,23,93,616
उद्यम द्वारा प्रत्यक्ष रूप से दिए गए लाभ	(1,80,662)	(6,17,59,796)
निधि में दिया गया अंशदान	(34,122)	..
अंतिम निवल देयताएं	2,12,46,685	31,21,65,060

ट) योजनागत परिसम्पत्तियों की प्रमुख श्रेणियाँ (कुल योजनागत परिसम्पत्तियों की प्रतिशतता)

विवरण	उपदान	छुट्टी वेतन
भारत सरकार प्रतिभूति	..	..
राज्य सरकार प्रतिभूति	..	..
उच्च गुणवत्ता वाले कारपोरेट बॉण्ड	..	..
सूचीबद्ध कंपनियों के इक्विटी शेयर	..	..
संपत्ति	..	..
विशेष जमा योजना	..	..
बीमाकर्ता द्वारा प्रबंधित निधियाँ	100%	..
बैंक शेष	..	..
सावधि जमा	..	..
अन्य परिसम्पत्तियाँ	..	..

ठ) अन्य विवरण

कर्मचारियों की संख्या	986
सामान्य सेवानिवृत्ति	60 वर्ष
उपदान की राशि की सीमा	10,00,000/– रु0
छुट्टी वेतन (अर्जित अवकाश) की सीमा	300 दिन। जब अर्जित अवकाश (नकद योग्य और गैर नकद योग्य) 300 से कम हो, जितनी छुट्टियाँ कम होगी 300 तक की सीमा पूरी करने के लिए उतनी आधे वेतन पर चिकित्सा अवकाश में से ली जाएगी, बशर्ते कि आधे वेतन पर चिकित्सा अवकाश में पर्याप्त दिन उपलब्ध हों। इस प्रकार की एच.पी.एस.एल मूल्य निर्धारण के लिए आधे वेतन पर ली जाती हैं।

43) आवश्यकता के अनुसार गत वर्ष के आँकडों को पुनः समूहित/पुनः व्यवस्थित किया गया।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ :

1) लेखांकन की अवधारणा :

कम्पनी अपने लेखे पूर्वकालिक लागत परम्परा के अन्तर्गत प्रोद्भवन आधार पर तैयार करती है।

2) अचल परिसम्पत्तियाँ :

सभी अचल परिसम्पत्तियाँ पूर्वकालिक लागत में से मूल्यह्रास हेतु प्रावधान घटाने के बाद दर्शाई गई है।

3) निर्माणाधीन परियोजना पर व्ययः

क) परियोजना के विनिर्माण में कम्पनी द्वारा किया गया प्रत्यक्ष व्यय पूँजीकृत कर दिया जाता है।

ख) परियोजना के लिए आबंटित दीर्घावधि ऋण पर प्रदत्त ब्याज को पूँजीकृत कर दिया जाता है।

4) मूल्यह्रासः

क) मूल्यह्रास हेतु प्रावधान कम्पनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची 2 में विहित दरो के अनुसार परिसम्पत्तियों के उपयोग की प्राक्कलित अवधि के आधार पर सरल रेख पद्धति से किया जाता है।

ख) पट्टाधारित भूमि की लागत को पट्टे की अवधि में परिशोधित किया जाता है।

ग) 5,000 रूपए अथवा इससे कम मूल्य वाली प्रत्येक मद के मामले में पूर्ण मूल्यह्रास हेतु प्रावधान अधिप्राप्ति के वर्ष में किया जाता है।

5) पूँजी निवेशः

''दीर्घावधिक श्रेणी'' के निवेश लागत पर किए जाते हैं।

6) मालसूची का मूल्यांकनः

क) मालसूची (बीज सहित) का मल्यांकन न्यून लागत तथा निवल वसूली योग्य मूल्य पर किया जाता है।

– कच्चे बीज का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

– निर्माणाधीन कार्य का मूल्यांकन अनुमानित लागत पर किया जाता है।

– तैयार माल और व्यापार में स्टॉक का मूल्यांकन न्यूनतम लागत अथवा निवल वसूली मूल्य पर किया जाता है।

– परिवर्तन लागत में उत्पादन की इकाई से प्रत्यक्षतः संबंधित लागत, यथा प्रत्यक्ष श्रम तथा कच्ची सामग्री को तैयार माल में परिवर्तित करने में होने वाले सभी स्थायी एवं परिवर्तनशील ऊपरी व्यय का क्रमबद्ध आबंटन शामिल है।

– तैयार माल की लागत में मालसूची के रूप में रखे गए उत्पाद शुल्क योग्य तैयार माल पर प्रदत्त/देय उत्पाद शुल्क शामिल हैं; जिन मामलों में अंतिम मूल्य का निर्धारण नहीं हो पाता उन मामलों में ऐसी देनदारी पर अनन्तिम/ज्ञात बिक्री मूल्य के आधार पर विचार किया जाता है।

ख) भण्डार एवं अतिरिक्त पुर्जों, खुले औजारों, पैकिंग सामग्री और अन्य माल सूचियां का मूल्यांकन लागत पर किया जाता है।

ग) लागत भारित औसत लागत पर आधारित है।

7) अनावश्यक/क्षतिग्रस्त उपस्कर सामग्रीः

अनावश्यक/क्षतिग्रस्त उपस्कर/सामग्री पर लाभ/हानि का लेखांकन ऐसे उपस्कर/ऐसी सामग्री के निपटान के वर्ष में किया जाता है।

8) सेवानिवृत्ति लाभः

कर्मचारियों से संबंधित निम्नलिखित देनदारियों के लिए प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान किया जाता है :

क) मृत्यु/सेवानिवृत्ति पर उपदानय और

ख) संचित अवकाश

9) अनुदान सहायताः

भारत सरकार से प्राप्त अनुदान को संबंधित व्यय से काट लिया जाता है।

10) बीज आर्थिक सहायताः

वर्ष के दौरान, भारत सरकार की वार्षिक कार्य योजना के आधार पर लेखांकन किया गया।

11) आस्थगित राजस्व व्ययः

स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना के अन्तर्गत कर्मचारियों की स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति देय अनुग्रह/क्षतिपूर्ति राशि पर होने वाला व्यय (यदि कोई अनुदान सहायता मिली हो तो उसे छोड़कर) भारमुक्ति के वर्ष से पाँच वर्षों की अवधि में समान किस्तों में परिशोधित किया जाता है।

12) विदेशी मुद्र लेन–देनः

क) विदेशी मुद्र से संबंधित लेन–देन का लेखांकन लेन–देन की तारीख को प्रचलित विनिमय दर पर किया जाता है।

ख) अचल परिसम्पत्तियों की अधिप्राप्ति के क्रम में उद्भूत देनदारी की वापसी को छोड़कर अन्यी मामलों में विदेशी मुद्रा लेन–देन के कारण उद्भूत विनियम अंतर को उस वर्ष की आय व व्यय मान लिया जाता है, जिस वर्ष में वे उद्भूत होते हैं।

13) अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ

अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ केवल तभी मान्य हैं यदि यह संभव हो कि उन परिसम्पत्तियों से प्राप्त आर्थिक लाभ उद्यम के लिए प्रवाहित होंगे तथा परिसम्पित्तियों की कीमत की विश्वसनीयता का अनुमान लगाया जा सकता है। अप्रत्यक्ष परिसम्पत्तियाँ लागत पर दर्ज की गई हैं तथा लागत में से संचित परिशोधन तथा संचित हानियाँ यदि कोई हैं तो को घटाने के बाद ली गई है।

14) राजस्व पहचानः

क) एन.वी.बी.डी.सी.पी को की गई आपूर्ति का मूल्यांकन कम्पनी द्वारा परिकलित व स्वीकृत मूल्यों पर तथा वित्त मंत्रालय की लागत लेखा शाखा तथा उच्च अधिकार प्राप्त समिति द्वारा विहित मानदण्ड को ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

ख) एन.वी.बी.डी.सी.पी के लिए उत्पादों के अंतिम स्टॉक का मूल्यांकन उत्पादन की न्यूनतम लागत अथवा स्वीकृत मूल्यों के आधार पर किया जाता है।

ग) सी.ए.बी द्वारा निर्धारित अंतिम मूल्य तथा स्वीकृत मूल्यों में अंतर का समायोजन कंपनी द्वारा स्वीकृति के वर्ष में बिक्री में किया जाता है।

घ) बिक्री कर हेतु प्रावधान आपूर्ति के वर्ष में अनन्तिम मूल्य (क्रय आदेश के अनुसार) के आधार पर किया जाता है। अनन्तिम मूल्य तथा अंतिम मूल्य में अंतर, यदि कोई है, करों के कारण बिक्री कर का प्रभाव का प्रावधान कंपनी द्वारा स्वीकृति के वर्ष में किया जाता है।

15) पुराने ऋण के लिए प्रावधानः

वित्तीय वर्ष के अन्त में कंपनी के लेखों के ऐसे ऋण, जो तीन वर्ष से अधिक समय से बकाया है तथा संदिग्ध और अवसूलनीय हैं, के लिए प्रावधान किया गया है। मुकदमें बाजी / मध्यस्थता के अधीन तर्क संगत ऋणों के लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया है तथा ऐसे ऋणों की एवज में वित्तीय वर्ष के अन्त तक कोई वित्तीय देयता अनुमानित नहीं है।

अतिरिक्त सूचनाएं

क) अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक और निदेशकों को किए गए भुगतान सहित कार्मिकों पर व्यय

क्र.सं.	विवरण	2016-17		2015-16	
		अ.प्र.नि.	निदेशक	अ.प्र.नि.	निदेशक
		(रूपये)		(रूपये)	
1.	वेतन एवं भत्ते	–	20,49,767	18,99,791	38,27,218
2.	भविष्य निधि में कंपनी का अंशदान	–	2,09,325	1,90,119	3,25,173
3.	अनुलाभः				
	चिकित्सा	–	11802	7,587	19,389
	कैंटिन	–	24180	16,740	42,780
4.	प्रावधान / भुगतानः				
	उपदान	–	136947	10,00,000	14,37,462
	अवकाश नकदीकरण	–	155190	12,05,267	17,42,128
	जोड़	–	25,87,211	43,19,504	73,94,150

टिप्पणीः भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, सरकारी उद्यम ब्यूरो के समय–समय पर यथा संशोधित कार्यालय ज्ञापन संख्या 2(18) / पीसी / 64 दिनांक 20 नवम्बर, 1964 के प्रावधानों के अनुसार अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक तथा निदेशकों को स्टॉफ कार का उपयोग करने सहित विहित राशि का भुगतान करने पर निजी उपयोग के लिए प्रतिमाह 1000 मि.मी. तक की यात्रा करे की अनुमति दी गई है।

ख). खपत की गई कच्ची सामग्री के संबंध में मात्रात्मक विवरण

मात्राः मी.ट/कि.ली. (रू0 लाख में)

क्र.सं.	वस्तु	2016–17		2015–16	
		चालू वर्ष		गत वर्ष	
		मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
क	**मुख्य कच्ची सामग्री**				
क)	डीडीटी के लिए				
i)	एमसीबी	1976.445	1412.27	1780.600	1045.87
ii)	क्लोरल	969.305	901.80	863.323	620.86
iii)	ओलियम	2755.250	296.00	2620.865	269.96
iv)	अन्य	622.575	216.33	904.656	236.14
ख)	**अन्य तकनीकी उत्पादों के लिए**	1717.817	914.82	1483.363	853.79
ख	साल्वैंट एवं सर्फैक्टेंट	1022.500	590.28	1177.966	664.70
ग	मुख्य आयातित कच्ची सामग्री	246.396	1480.40	198.953	642.34
घ	कृषि उत्पादों के लिए तकनीकी एवं अन्य सामग्री खपत	123.133	502.95	454.376	947.49
ड	अन्य	3912.512	1752.23	2483.797	2982.82
च	बीज		11856.91		2403.17
	जोड़	**13345.933**	**19923.99**	**11967.899**	**10667.14**

ग कच्ची सामग्री, संघटक एवं अतिरिक्त की खपत का ब्रेक–अप तथा उनकी प्रतिशतता

(रु0 लाख में)

क्र. सं.	मदें	आयातित		स्वदेशी		कुल (रू लाख में)
		(रू लाख में)	प्रतिशतता	(रू लाख में)	प्रतिशतता	
क	कच्ची सामग्री	1414.02	7.10	18509.97	92.90	19923.99
		(1197.2)	(11.22)	(9469.94)	(88.78)	(10667.14)
	संघटक, भंडारण और अतिरिक्त पुर्जे	0	0.00	504.89	100.00	504.89
		(0.00)	(0.00)	(715.66)	(100.00)	(715.66)

घ सीआईएफ के आधार पर परिकलित आयात का मूल्य

(रु0 लाख में)

क्र.सं.	व्यय मदें	**2016-17**	2015-16
1	कच्ची सामग्री एवं तैयार माल	1120.25	441.28
2	संघटक, अतिरिक्त पुर्जे एवं पूँजीगत सामग्री	0.00	0.00
	जोड़	1120.25	441.28

ङ विदेशी मुद्रा में खर्च

(रु0 लाख में)

क्र.सं.	व्यय मदें	**2016-17**	2015-16
	यात्रा	**3.18**	3.83

च विदेशी मुद्रा में आय

(रु0 लाख में)

क्र.सं.	व्यय मदें	**2016-17**	2015-16
	निर्यात	342.62	2865.58

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दिनांक 18.09.1967 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 8(1) एफ–67 के अनुसार टाउनशिप के अनुरक्षण पर खर्च (जैसाकि प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत किया गया तथा लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।

(रूपये)

क्र.सं.	व्यय मदें	**2016-17**	2015-16
	कर्मचारियों के वेतन, मज़दूरी एवं अन्य हितलाभ	1158240	735848
	पट्टा किराया	–183379	–253392
	सम्पदा कर	424539	413259
	बिजली पर खर्च	820225	876529
	पानी प्रभार	570122	800544
	भवन की मरम्मत एवं रख–रखाव	1955181	2717168
	अतिथि गृह पर खर्च	802272	1099006
	स्थिर परिसम्पत्तियों पर व्यय मूल्यह्रास	114195	152637
	जोड़	**5661395**	6541599

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के दिनांक 05.03.1969 के कार्यालय ज्ञापन संख्या बीपीई (17)/(एडीवी) (एफ)/69 के अनुसार सामाजिक कार्यों पर खर्च (प्रबन्धन द्वारा प्रस्तुत परन्तु लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।

(रूपये)

क्र.सं.	व्यय मदें	2016-17	2015-16
	चिकित्सा सुविधाएं	53551302	57894417
	आर्थिक सहायता प्राप्त परिवहन एवं कैंटीन	16134155	17071416
	सामाजिक एवं सांस्कृतिक कार्यक्रम	1027528	462767
	स्कूल सुविधाओं का अनुरक्षण	460630	389050
	जोड़	**71173615**	75817650

भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के कार्यालय ज्ञापन संख्या बीपीई/जीएल–642/79 बीपीई (आई एण्ड आर) (12(1)78) दिनांक 18.12.1978 के अनुसार प्रचार पर खर्च (प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत किया गया परन्तु लेखा परीक्षकों द्वारा सत्यापित नहीं किया गया।

(रूपये)

क्र.सं.	व्यय मदें	2016-17	2015-16
	बिक्री वर्धन व्यय	5052523	4730082
	जोड़	**5052523**	4730082

इस तिथि को हमारी रिपोर्टानुसार ए के बत्रा एसोसिएट्स सनदी लेखपाल एफ आर एन : 003499 एन

हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–	हस्ता/–
(आर. धीमान)	**(जी. नाथ)**	**(अंजन बनर्जी)**	**(एस.पी. मोहन्ती)**	**(सीए अभिषेक बत्रा)**
कंपनी सचिव	महा प्रबंधक (वि. एवं ले.)	निदेशक (वित्त)	अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक	साझीदार
		डीआईएनः 07761132	डीआईएनः 05336787	सदस्यता सं0 099121

स्थानः नई दिल्ली
दिनांकः30.08.2017

सहायक कम्पनी का ब्यौरा

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 129 के अनुसार सहायक कम्पनी दि सदर्न पैस्टिसाइड्स कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का ब्यौरा।

(रु0 हज़ार में)

क्र0सं0	मदें	31.3.2017 तक	31.3.2016 तक
1.	सहायक कम्पनी के वित्तीय वर्ष की समाप्ति की तारीख	31.3.2017	31.3.2016
2.	उपरोक्त तिथि पर एच.आई.एल द्वारा नियंत्रित किए गए सहायक कम्पनी के शेयर		
(i)	संख्या	प्रत्येक 1000/– रु0 के 49,666	प्रत्येक 1000/– रु0 के 49,666
(ii)	नियंत्रण की सीमा	76%	76%
3.	वित्तीय वर्ष मं जहाँ तक एच.आई.एल का संबंध रहा, के लिए सहायक कम्पनी के लाभ की कुल निवल राशि		
(i)	वर्ष के लिए एच.आई.एल के लेखे में रखी गयी राशि	शून्य	शून्य
(ii)	वर्ष के लिए एच.आई.एल के लेखे में नहीं रखा गया हिसाब	(–)11,34,92	(–)11,34,92
4.	वर्ष के अन्त तक संचित जहाँ तक एच.आई.एल का सहायक कम्पनी से सबंध है लाभ (+)/हानि(–) की कुल निवल राशि		
(i)	वर्ष के लिए एच.आई.एल के लेखे में रख गया हिसाब	शून्य	शून्य
(ii)	वर्ष के लिए एच.आई.एल के लेखे में नहीं रखा गया हिसाब	(–) 32,45,02	(–) 32,45,02

टिप्पणीः उपरोक्त सूचना वर्ष 2001–2002 के लिए (गत लेखा परीक्षित लेखा) सहायक कम्पनी के वार्षिक लेखे पर आधारित है। चूँकि सहायक कम्पनी अभी परिसमापक के अधीन है, इसलिए 2016–2017 का लेखा उपलब्ध नहीं है।

नोट

नोट

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

समृद्धि हेतु सुरक्षा

PROTECT TO PROSPER

आई.एस.ओ 9001:2008 कंपनी एवं स्टार एक्सपोर्ट हाउस

कृषि रसायन

कीटनाशी

- हिलक्रॉन 36 एस एल (मोनोक्रोटोफास)
- हिल्फॉन 18.5 ई सी (डाइकोफॉल)
- हिलथाला 50 ई सी (मैलाथियॉन)
- हिलबैन 20 ई सी (क्लोरपाइरिफॉस)
- हिलक्रास 76 ई सी (डाइक्लोरोवॉस)
- हिलफेट 75 एस पी (एसिफेट)
- हिलस्टार 25 डब्ल्यू जी (थियामेथोक्सेम 25% डब्ल्यू जी)
- हिल्फॉस प्लस (प्रोफेनो + साइप)
- हिलब्लेज 25% एस सी (बुप्रोफेजिन 25% एस सी)
- हिलमिडा 17.8 एस एल (इमिडाक्लोप्रिड)
- हिलसाइप्रिन 10 ई सी (साइपरमेथ्रिन)
- हिलसाइप्रिन 25 ई सी (साइपरमेथ्रिन)
- हिलप्रिड 20 एस पी (एसीटेमिप्रिड)
- हिलहन्टर (क्लोरपायरिफॉस 50% + साइपरमेथ्रिन 5% ई सी)
- हिलजेंट (फिप्रोनिल जी आर)
- हिलकार्टैप (कार्टैप 4 जी आर)
- हिलजाफास 40 ई सी (ट्राइजोफॉस)
- हिल्फॉस 50 ईसी (प्रोफेनोफॉस)
- हिलकार्टैप 4 जी (कार्टैप हाइड्रोक्लोराइड)
- हिलाम्बदा 5 ई सी (लाम्बदा - साइहैलोथ्रिन)
- हिलाम्बदा 2.5 ई सी (लाम्बदा - साइहैलोथ्रिन)

खरपतवार नाशी

- हिलटैक्लोर (बुटाक्लोर 50 ई सी)
- हिलाशी-41 एस एल (ग्लाइफोसेट)
- हिल्प्रेटी 50 ई सी (प्रेटीलाक्लोर)
- हिलवेंडी 30 ई सी (पेन्डीमेथालिन)
- हिलपिक 15 डब्ल्यू पी (क्लोडिनेफॉप)
- हिलफुरॉन 75 डब्ल्यू डी जी (सल्फोसल्फ्यूरॉन)

फफूंदी नाशी

- हिलथैन एम- 45 (मैंकोजेब 75 डब्ल्यू पी)
- हिलकॉपर 50 डब्ल्यू पी (कॉपर ऑक्सीक्लोराइड)
- हिलनेट 75 डब्ल्यू पी (थियोफिनेट मिथाइल)
- हिलजिम 50 डब्ल्यू पी (कार्बेन्डाजिम)
- हिलजोन 5% ई सी (हैक्साकोनाजोल)
- हिलमिल (मैंकोजेब 64%+मैटालेक्सिल 8%)
- हिलबंच (मैंकोजेब-63%+ कार्बेन्डेजिम 12%)
- हिलब्लास्ट 75 डब्ल्यू पी (ट्राइसाइक्लोजॉल)
- हिलसल्फ 80 डब्ल्यू डी जी (सल्फर 80% डब्ल्यू डी जी)

बीज

- धान
- गेहूँ
- चना दाल
- सरसों
- मूंग
- सोयाबीन
- मूंगफली
- हाइब्रिड मक्का
- धान फसल–जई,बसीम

सब्जियों के बीज

- फ्रेंच बीन
- भिंडी
- ओ पी और हाइब्रिड
- धनिया, मूली
- पालक

उर्वरक

- यूरिया
- एस एस पी
- डी ए पी
- एम ओ पी
- एन पी के
- वेनटोनाइट सल्फर

टेक्नीकल्स : मोनोक्रोटोफॉस, डाईकोफॉल, मेलाथियान, एसीफेट, मैंकाजेब, इमिडाक्लोप्रिड, बुप्रोफेजिन, क्लोरोपायरीफॉस.....

पेस्टिसाइड्स के सुरक्षित और उचित प्रयोग पर प्रशिक्षण

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

स्कोप कॉम्पलेक्स, कोर 6, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली 110003 (भारत), दूरभाष: 011-24361019, 24362100, www.hil.gov.in

समृद्धि हेतु सुरक्षा

हिन्दुस्तान इन्सेक्टिसाइड्स लिमिटेड

(भारत सरकार का उद्यम)

सीआईएन यू24211डीएल1954जीओआई002377

निगमित /पंजीकृत कार्यालय

द्वितीय मंजिल, कोर–6, स्कोप काम्पलैक्स, 7 लोदी रोड, नई दिल्ली– 110003
दूरभाषः 24362100, 24361107, फैक्सः 24362116
ई–मेलः hilheadoffice@gmail.com वेबसाइटः www.hil.gov.in

संयंत्र

अलवॉय : उद्योगमंडल, एल्लोर पो.ओ., एरनाकुलम जिला, केरल– 683501
दूरभाषः 0484–2545217, फैक्सः 0484–2545464, ई–मेलःhiludl@dataone.in

रसायनी : रायगढ़ जिला, महाराष्ट्र–410207, दूरभाषः 02192–250391, फैक्सः 02192–250392
ई–मेलः hilrasayani@bsnl.in

बठिंडा : ए–4, इन्डस्ट्रियल ग्रोथ सेन्टर, मनसा पटियाला रोड, बठिंडा, पंजाब– 151001
दूरभाष : 0164–6533050, फैक्सः 0164–2430099,
ई–मेलः hilbathinda@gmail.com, hilbpi@gmail.com

अनुसंधान एवं विकास कॉम्पलैक्स

सेक्टर 20, उद्योग विहार, गुडगांव, हरियाणा–122016 दूरभाषः 0124–2341674
इ–मेलः hilrd2009@gmail.com

क्षेत्रीय बिक्री कार्यालय

अहमदाबाद	hilahd@gmail.com	0792-7682520
बैंगलोर	hilrsobangalore@gmail.com	080-23464343
चण्डीगढ़	rsonorth123@gmail.com	0172-2776263
कोयम्बटूर	hilcbe@gmail.com	0422-2425235
हैदराबाद	hyd2_hilsouth@yahoo.com	0402-3234098
कोलकाता	hileast2015@gmail.com	0332-2367930
रायपुर	hilakl@rediffmail.com	0712-2240664